रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-29112025-268085
CG-DL-E-29112025-268085

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 784] नई दिल्ली, बुधवार, नवम्बर 26, 2025/अग्रहायण 5, 1947
No. 784] NEW DELHI, WEDNESDAY, NOVEMBER 26, 2025/AGRAHAYANA 5, 1947

पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 नवम्बर, 2025

सा.का.नि. 870(अ).- अंतर्देशीय पोत अधिनियम, 2021 (2021 का 24) की धारा 106 की उपधारा (2) के खंड (य) से (यछ) के साथ पठित धारा 34 की उपधारा (1), धारा 35, धारा 36 की उपधारा (1), धारा 37 की उपधारा (3), धारा 38 की उपधारा (1) और (4), धारा 39, धारा 41 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार भारत सरकार के पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय द्वारा संख्या सा.का.नि 422(अ.) दिनांक 7 जून, 2022 द्वारा अधिसूचित अंतर्देशीय जलयान (चालक दल) नियम, 2022 के अधिक्रमण में, ऐसे अधिक्रमण से पूर्व की गई या लोप की गई संबंधित पूर्व बातों को छोड़कर, नए अंतर्देशीय जलयान (चालक दल) नियम 2025 तैयार करने का प्रस्ताव करती है, और अंतर्देशीय जलयान अधिनियम, 2021 (2021 का 24) की धारा 106 की उपधारा (1) द्वारा यथा अपेक्षित उन सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए एतद्वारा प्रकाशित करती है जिनके इससे प्रभावित होने की संभावना है; और एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप नियमों पर उस तारीख से तीस दिन की समाप्ति के पश्चात विचार किया जाएगा, जिस दिन इस अधिसूचना की प्रतियां, राजपत्र में यथा प्रकाशित रूप में, जनता को उपलब्ध करा दी जाती हैं;

इन मसौदा नियमों पर आपत्तियां या सुझाव, यदि कोई हों, तो निदेशक (आईडब्ल्यूटी-I), पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय, परिवहन भवन, 1-संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001 को या diriwt1-psw@gov.in और uttam.mishra27@gov.in पर ईमेल द्वारा ऊपर निर्दिष्ट अवधि के भीतर भेजे जा सकते हैं;

मसौदा नियम

1. संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभ.-

(1) इन नियमों को अंतर्देशीय जलयान (चालक दल) नियम, 2025 कहा जाएगा।

(2) ये नियम शासकीय राजपत्र में अंतिम रूप से प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएँ.-

(1) इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो-

क. “अधिनियम” से अंतर्देशीय पोत अधिनियम 2021 (2021 का 24) अभिप्रेत है;

(ख) "अनुमोदित प्रशिक्षण संस्थान" से नियम 21 के अंतर्गत अनुमोदित प्रशिक्षण संस्थान अभिप्रेत है;

(ग) "बुनियादी सुरक्षा पाठ्यक्रम" से निम्नलिखित पाँच पाठ्यक्रम अभिप्रेत है, जिनका पाठ्य विवरण और अवधि वह होगी जो भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए:

(i) प्राथमिक चिकित्सा सहायता;

(ii) उत्तरजीविता तकनीकों में दक्षता;

(iii) व्यक्तिगत सुरक्षा और सामाजिक उत्तरदायित्व;

(iv) अग्नि रोकथाम और अग्निशमन; और

(v) निर्दिष्ट सुरक्षा कर्तव्यों वाले नाविकों के लिए सुरक्षा प्रशिक्षण;

(घ) "सामान्य प्रयोजन रेटिंग में कन्वर्जन पाठ्यक्रम" से ऐसा पाठ्यक्रम अभिप्रेत है जिसका पाठ्य विवरण और अवधि वह होगी जो भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण द्वारा निर्दिष्ट की जाए;

(ङ) "अनुभव" में अंतर्देशीय जलयानों और वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 1958 (1958 का 44) के तहत पंजीकृत जलयानों पर सेवा करके चालक दल द्वारा अर्जित अनुभव शामिल है, जिसमें नदी-समुद्री जलयान भी शामिल हैं;

(च) "जलयानों का सकल टनभार (जीटी)" से 24 मीटर और उससे अधिक लंबाई वाले जलयान के लिए, जलयानों के टनभार माप पर अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन, 1969 के अनुसार परिकलित सकल टनभार, और 24 मीटर से कम लंबाई वाले जलयान के लिए, मर्चेंट शिपिंग (जलयानों का टनभार माप) नियम, 1987 के अनुसार परिकलित सकल टनभार अभिप्रेत है।

(छ) "भारतीय अंतर्देशीय जलयान चालक दल (आईएनडीआईवीसी) संख्या" से एक अनुमोदित प्रशिक्षण संस्थान द्वारा प्रत्येक अंतर्देशीय जलयान चालक दल के सदस्य को दी गई विशिष्ट संख्या अभिप्रेत है;

(ज) "नया प्रशिक्षण कार्यक्रम" से अभिप्राय है इस नियम के अंतर्गत बुनियादी सुरक्षा पाठ्यक्रम, कन्वर्जन पाठ्यक्रम, पुनश्चर्या और पुनर्विधिमान्यकरण पाठ्यक्रम, तैयारी पाठ्यक्रम अभिप्रेत है।

(झ) "पोर्टल" से अधिनियम की धारा 22 और धारा 106 के अंतर्गत भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण द्वारा विकसित केंद्रीय डाटाबेस 'जलयान' और 'नाविक' पोर्टल अभिप्रेत है;

(ञ) "प्रारंभिक पाठ्यक्रम" से अभिप्राय है डेक और इंजन विभाग में विभिन्न ग्रेडों के लिए पाठ्यक्रम अभिप्रेत है, जिसका पाठ्य विवरण और अवधि वह होगी जो भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण द्वारा निर्दिष्ट की जाए;

(ट) "पुनश्चर्या एवं पुनर्विधिमान्यकरण पाठ्यक्रम" से डेक विभाग और इंजन विभाग में विभिन्न ग्रेडों के लिए पाठ्यक्रम अभिप्रेत है, जिसे सीओसी धारक को अगले 5 वर्षों के लिए सीओसी की वैधता के अनुमोदन हेतु प्रत्येक 5 वर्ष में पूरा करना होता है। पाठ्यक्रमों का पाठ्य विवरण और अवधि वह होगी जो भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण द्वारा निर्दिष्ट की जाए;

(ठ) "अनुसूची" से इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूचियां अभिप्रेत है, जिनमें प्रशिक्षण संस्थानों के अनुमोदन के मानक और मास्टर/प्राधिकारी के उत्तरदायित्व शामिल हैं;

(ड) "इंजनों की कुल शक्ति (किलोवाट)" से अंतर्देशीय जलयान के सभी प्रणोदन इंजनों की कुल शक्ति अभिप्रेत है;

(ढ) "क्षेत्र" से ऐसा कोई भी अंतर्देशीय जल क्षेत्र अभिप्रेत है, जिसे राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, निम्नलिखित अधिकतम आवश्यक तरंग ऊँचाई मानदंडों के आधार पर, इन नियमों के प्रयोजनार्थ क्षेत्र 1, क्षेत्र 2 और क्षेत्र 3 के रूप में घोषित करे-

क. क्षेत्र 1 से वह क्षेत्र अभिप्रेत है जहाँ अधिकतम आवश्यक तरंग ऊँचाई 2.0 मीटर से अधिक नहीं है;

ख. क्षेत्र 2 से वह क्षेत्र अभिप्रेत है जहाँ अधिकतम आवश्यक तरंग ऊँचाई 1.2 मीटर से अधिक नहीं है;

ग. क्षेत्र 3 से वह क्षेत्र अभिप्रेत है जहाँ अधिकतम आवश्यक तरंग ऊँचाई 0.6 मीटर से अधिक नहीं है।

(2) इन नियमों में प्रयुक्त तथा परिभाषित नहीं किए गए किन्तु अधिनियम में परिभाषित शब्दों और अभिव्यक्तियों के वही अर्थ होंगे जो अधिनियम में उनके लिए निर्दिष्ट हैं।

3. अंतर्देशीय जलयान.-

इन नियमों के प्रयोजन के लिए, अंतर्देशीय जलयानों को निम्नलिखित श्रेणियों के अनुसार वर्गीकृत किया जाएगा-

(क) अंतर्देशीय जलयान, जो श्रेणी क में आते हैं, निम्नलिखित में से किसी भी प्रकार के डेक किए गए जलयान हैं-

(क) हाउस बोट को छोड़कर अन्य जलयान, जिनकी लंबाई 24 मीटर से अधिक हो और हाउस बोट जिनकी लंबाई 30 मीटर से अधिक हो;

(ख) जलयान जिनमें 50 से अधिक यात्री सवार हों;

(ग) बांधकर ले जाने के लिए सुसज्जित सभी जलयान, जिनकी बोलार्ड पुलिंग क्षमता 10 टन से अधिक हो;

(घ) पेट्रोलियम वस्तुओं, रसायनों या द्रवीकृत गैसों को भारी मात्रा में कार्गो के रूप में ले जाने के लिए डिज़ाइन और निर्मित जलयान;

(ङ) खतरनाक सामान ले जाने वाले जलयान; और

(च) 300 सकल टनभार और उससे अधिक के जलयान।

(ख) श्रेणी ख - वे जलयाना जो श्रेणी 'क' या श्रेणी 'ग' के अंतर्गत नहीं आते।

(ग) श्रेणी ग - 10 मीटर से कम लंबाई वाले जलयान।

4. न्यूनतम कार्मिक.-

(1) प्रत्येक अंतर्देशीय जलयान में उप-नियम (3) के अंतर्गत यथाविनिर्दिष्ट न्यूनतम कार्मिक होंगे।

(2) प्रत्येक अंतर्देशीय जलयान पर लागू कार्मिकों की न्यूनतम संख्या, सर्वेक्षण प्रमाणपत्र में सर्वेक्षक द्वारा, जलयान के प्रकार और आकार, उसके प्रचालन क्षेत्र, इंजन क्षमता और ऐसे अन्य कारकों के अनुसार दर्ज की जाएगी, जैसा समय-समय पर केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्धारित किया जाए।

(3) प्रत्येक यंत्रचालित अंतर्देशीय जलयान में प्रचालन के दौरान न्यूनतम निम्नलिखित चालक दल होंगे:

वर्ग क	डेक चालक कार्मिक संख्या		
	जीटी < 300	300 ≤ जीटी < 1000	जीटी ≥ 1000
	क) अंतर्देशीय मास्टर श्रेणी 2 प्रमाणपत्र धारक एक मास्टर	क. अंतर्देशीय मास्टर श्रेणी 2 प्रमाणपत्र धारक एक मास्टर	(क) अंतर्देशीय मास्टर श्रेणी 1 प्रमाणपत्र धारक एक मास्टर (ख) एक मुख्य अधिकारी जिसके पास अंतर्देशीय मास्टर श्रेणी 2 प्रमाणपत्र हो या एक मास्टर जिसके पास अंतर्देशीय मास्टर श्रेणी 3 प्रमाणपत्र हो और जिसे 300 से अधिक जीटी के जलयान पर मास्टर श्रेणी 3 के रूप में 2 वर्ष का अनुभव हो
	इंजन कार्मिक		
	केडब्ल्यू < 425 प्रणोदन शक्ति	प्रणोदन शक्ति: 425 ≤ केडब्ल्यू < 750	केडब्ल्यू ≥ 750 प्रणोदन शक्ति
	क) अंतर्देशीय इंजन चालक श्रेणी 2 प्रमाण पत्र धारक एक इंजीनियर	क. अंतर्देशीय इंजन चालक श्रेणी 1 प्रमाणपत्र धारक एक इंजीनियर	क. एक मुख्य अभियंता जिसके पास अंतर्देशीय इंजीनियर प्रमाणपत्र हो या एक मुख्य अभियंता जिसके पास अंतर्देशीय इंजन चालक श्रेणी 1 प्रमाणपत्र हो और जिसके पास ≥ 750 किलोवाट प्रणोदन शक्ति वाले जलयान पर इंजन चालक श्रेणी 1 के रूप में 2 वर्ष का अनुभव हो। ख. एक सेकंड अभियंता जिसके पास अंतर्देशीय इंजन चालक श्रेणी 1 प्रमाणपत्र हो या अंतर्देशीय इंजन चालक श्रेणी 2 प्रमाणपत्र हो और जिसके पास 2 वर्ष का अनुभव हो।

	रेटिंग		
	जीटी < 300 या केडब्ल्यू < 425	जीटी≥ 300 या केडब्ल्यू ≥ 425	
	क. डेक कर्मचारियों, इंजन कर्मचारियों और खाना पकाने के कामों के लिए तीन सामान्य प्रयोजन रेटिंग	क. डेक कर्मचारियों, इंजन कर्मचारियों और खाना पकाने के कामों के लिए चार सामान्य प्रयोजन रेटिंग	
वर्ग ख	डेक कार्मिक		
	जीटी < 300	300 ≤ जीटी < 1000	जीटी ≥ 1000
	क) अंतर्देशीय मास्टर श्रेणी 3 / सेरांग प्रमाणपत्र धारक एक मास्टर	क) अंतर्देशीय मास्टर श्रेणी 2 प्रमाणपत्र धारक एक मास्टर	(क) अंतर्देशीय मास्टर श्रेणी 1 प्रमाणपत्र धारक एक मास्टर (ख) अंतर्देशीय मास्टर श्रेणी 2 प्रमाणपत्र धारक एक मुख्य अधिकारी
	इंजन कार्मिक		
	केडब्ल्यू < 425 प्रणोदन शक्ति	प्रणोदन शक्ति: 425 ≤ केडब्ल्यू < 750	केडब्ल्यू ≥ 750 प्रणोदन शक्ति
	क) अंतर्देशीय इंजन चालक श्रेणी 2 प्रमाणपत्र धारक एक इंजीनियर	क) अंतर्देशीय इंजन चालक श्रेणी 1 प्रमाणपत्र धारक एक इंजीनियर या अंतर्देशीय इंजन चालक श्रेणी 2 प्रमाणपत्र धारक एक इंजीनियर जिसे 425 किलोवाट से कम क्षमता वाले जलयान पर श्रेणी 2 इंजन चालक के रूप में 2 वर्ष का अनुभव हो।	क. अंतर्देशीय इंजीनियर प्रमाण पत्र के साथ एक मुख्य अभियंता या अंतर्देशीय इंजन ड्राइवर श्रेणी 1 प्रमाण पत्र धारक एक मुख्य अभियंता, जिसके पास ≥ 750 किलोवाट वाले जलयान पर इंजन ड्राइवर श्रेणी 1 के रूप में 2 वर्ष का अनुभव हो। ख. अंतर्देशीय इंजन चालक श्रेणी 1 प्रमाण पत्र के साथ एक सेकंड अभियंता या अंतर्देशीय इंजन चालक श्रेणी 2 प्रमाण पत्र के साथ 2 वर्ष का अनुभव हो।
	रेटिंग		
	जीटी < 300	जीटी≥ 300	
	ख. डेक कर्मचारियों, इंजन कर्मचारियों और खाना पकाने के कामों के लिए दो सामान्य प्रयोजन रेटिंग	डेक कर्मचारियों, इंजन कर्मचारियों और खाना पकाने के कामों के लिए तीन सामान्य प्रयोजन रेटिंग	
वर्ग ग: न्यूनतम कार्मिक संख्या निर्दिष्ट प्राधिकारी को स्वीकार्य होनी चाहिए			
टिप्पण 1: सेरांग, इंजन चालक श्रेणी 2 और जीपी रेटिंग के मामले में, ऊपर निर्दिष्ट आवश्यकताओं का अनुपालन, नियमों के लागू होने के 3 वर्षों के भीतर किया जा सकता है।			

टिप्पण 2: 1 घंटे से कम अवधि की लघु यात्राओं पर 500 जी.टी. से कम के जलयानों के लिए सामान्य प्रयोजन रेटिंग की संख्या कम की जा सकती है, जैसा कि निर्दिष्ट प्राधिकारी को स्वीकार्य हो।

टिप्पण 3: 1000 जीटी से अधिक के जलयानों के संबंध में डेक विभाग और इंजन विभाग के लिए निर्धारित कार्मिकों के अतिरिक्त, 3000 जीटी से अधिक के प्रत्येक जलयान पर एक मास्टर (विदेश जाने वाला) या मास्टर (तटीय यात्रा के निकट) और एक मेट (विदेश जाने वाला) या मेट (तटीय यात्रा के निकट) या मेट (मेट के विकल्प के रूप में), एक अंतर्देशीय जलयान मास्टर प्रथम श्रेणी, जिसके पास प्रतिबंधित जीएमडीएसएस लाइसेंस और नौवहन महानिदेशालय द्वारा जारी रडार ऑब्जर्वर पाठ्यक्रम प्रमाणपत्र और भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण द्वारा निर्दिष्ट अंतर्देशीय जलयान मैन्युवरिंग सिम्युलेटर पाठ्यक्रम प्रमाणपत्र हो, को रखा जाएगा। ऐसे जलयानों पर एक समुद्री इंजीनियर अधिकारी (एनसीवी) श्रेणी II या एक समुद्री इंजीनियर अधिकारी (विदेश जाने वाला) श्रेणी III, या एक अंतर्देशीय जलयान इंजीनियर या अंतर्देशीय जलयान इंजन चालक I श्रेणी भी रखा जाएगा जिसे 3000 जीटी से अधिक के यांत्रिक रूप से चालित जलयान पर कम से कम दो वर्ष का अनुभव हो।

टिप्पण 4: निर्दिष्ट प्राधिकारी, चालक दल की कमी के मामले में, एकमात्र यात्रा के लिए या एक माह से अनधिक अवधि के लिए, जो भी पहले हो, उप-नियम (3) के अंतर्गत निर्धारित संख्या से कम कार्मिकों की अनुमति दे सकता है।

टिप्पण 5: न्यूनतम दो वर्ष के अनुभव वाले मास्टर श्रेणी 3 या सेरांग प्रमाणपत्र के मौजूदा धारकों को 300 जीटी से कम के श्रेणी 'क' जलयानों पर सेवा करने की अनुमति दी जा सकती है।

टिप्पण 6: इस नियम की अधिसूचना से पहले सीओसी के मौजूदा धारकों को बुनियादी सुरक्षा पाठ्यक्रम को पूरा करना होगा और नए प्रशिक्षण कार्यक्रम को पूरा करने के लिए इन नियमों के लागू होने की तारीख से अधिकतम 3 वर्ष का समय दिया जाता है।

(4) अधिनियम की धारा 3 के खंड (म) के उपखंड (ii) में निर्दिष्ट प्रत्येक गैर-यांत्रिक रूप से चालित अंतर्देशीय जलयान (जैसे डब जलयान, बजरा, प्लवमान इकाइयां, प्लवमान सतहें, रिग या जेटी) जिसकी लंबाई 15 मीटर से कम हो, को न्यूनतम एक सामान्य प्रयोजन रेटिंग द्वारा संचालित किया जाएगा और 15 मीटर या उससे अधिक लंबाई वाले प्रत्येक ऐसे जलयान को न्यूनतम दो सामान्य प्रयोजन रेटिंग द्वारा संचालित किया जाएगा।

(5) 425 किलोवाट से अनधिक प्रणोदन शक्ति वाले किसी भी यंत्रचालित अंतर्देशीय जलयान को मास्टर और इंजीनियर की अपेक्षाओं का अनुपालन करने वाला माना जाएगा, बशर्ते कि ऐसे जलयान में मास्टर और इंजीनियर के रूप में ऐसा व्यक्ति हो जिसके पास उपयुक्त श्रेणी के दोनों प्रमाण-पत्र हों।

(6) निर्दिष्ट प्राधिकारी उप-नियम (3) में निर्धारित से उच्च स्तर के न्यूनतम कार्मिकों की संख्या निर्दिष्ट कर सकता है, यदि जीवन, संपत्ति, पर्यावरण और अंतर्देशीय जलमार्गों की सुरक्षा के हित में अन्य कारक जैसे कि जलयान के व्यापार के स्वरूप, यात्रा की लंबाई, ऐसी अतिरिक्त कार्मिक संख्या की आवश्यकता हो।

5. परीक्षकों एवं परीक्षा केन्द्रों की नियुक्ति.-

(1) संबंधित राज्य सरकार द्वारा अधिनियम की धारा 36 के अंतर्गत नियुक्त मुख्य परीक्षक, परीक्षा आयोजित करने और ऐसे सक्षमता प्रमाणपत्र प्राप्त करने के इच्छुक व्यक्तियों को सक्षमता प्रमाणपत्र जारी करने के लिए जिम्मेदार होगा।

(2) मुख्य परीक्षक को संबंधित राज्य सरकार द्वारा नियुक्त उपयुक्त संख्या में परीक्षकों द्वारा सहायता प्रदान की जाएगी।

(3) परीक्षा केंद्रों की सूची, ऐसे परीक्षा केंद्रों पर लागू मानदंड और मानक तथा परीक्षाओं का आयोजन या मूल्यांकन संबंधित राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी परिपत्रों द्वारा निर्दिष्ट किए जाएंगे।

(4) प्रत्येक परीक्षा केंद्र, स्थानीय आवश्यकताओं के आकलन के आधार पर विभिन्न ग्रेडों के लिए अपने परीक्षा कार्यक्रम की घोषणा करेगा, जिसमें परीक्षा की पर्याप्त आवृत्ति सुनिश्चित की जाएगी ताकि उम्मीदवारों को आवेदन की तिथि से परीक्षा देने के लिए 6 माह से अधिक प्रतीक्षा न करनी पड़े।

(5) किसी भी व्यक्ति को मुख्य परीक्षक के रूप में तब तक नियुक्त नहीं किया जाएगा जब तक कि वह अर्हताओं और अनुभव की निम्नलिखित अपेक्षाओं में से किसी एक अपेक्षा को पूरा नहीं करता है:

(क) नौवहन महानिदेशालय द्वारा जारी मास्टर (विदेश जाने वाला) या समुद्री इंजीनियर अधिकारी (एमईओ) श्रेणी I सक्षमता प्रमाणपत्र धारक हो, जिसमें जलयानों पर या राज्य समुद्री बोर्डों या नौवहन महानिदेशालय या पत्तनों या राज्य अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण या अंतर्देशीय जल परिवहन निदेशालय या समकक्ष के तहत प्रमाणपत्रित अधिकारी के रूप में कम से कम 8 वर्ष का अनुभव हो; या;

(ख) नौवहन महानिदेशालय द्वारा जारी फर्स्ट मेट (विदेश जाने वाला) या समुद्री इंजीनियर अधिकारी (एमईओ) श्रेणी II सक्षमता प्रमाणपत्र धारक हो, जिसमें जलयानों पर या राज्य समुद्री बोर्डों या नौवहन महानिदेशालय या पत्तनों या राज्य अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण या अंतर्देशीय जल परिवहन निदेशालय या समकक्ष के तहत प्रमाणपत्रित अधिकारी के रूप में कम से कम 10 वर्ष का अनुभव हो; या;

ग. मास्टर (तटीय यात्रा जलयान के निकट) या समुद्री इंजीनियर अधिकारी (एमईओ) श्रेणी III (तटीय यात्रा जलयान के निकट-मुख्य इंजीनियर अधिकारी) प्रमाणपत्र के साथ कम से कम 10 वर्ष का नौकायन अनुभव हो, जिसमें से कम से कम 5 वर्ष जलयानों पर या राज्य समुद्री बोर्डों या नौवहन महानिदेशालय या पत्तनों या राज्य अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण या अंतर्देशीय जल परिवहन निदेशालय के अधीन मास्टर या मुख्य इंजीनियर के रूप में हो; या

घ. माध्यमिक विद्यालय प्रमाणपत्र (एसएससी) और उससे ऊपर की शैक्षणिक अर्हता के साथ अंतर्देशीय जलयान मास्टर श्रेणी I या अंतर्देशीय इंजीनियर प्रमाणपत्र और अंतर्देशीय जलयानों पर या राज्य समुद्री बोर्डों या राज्य अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण या अंतर्देशीय जल परिवहन निदेशालय या नौवहन महानिदेशालय या पत्तन या समकक्ष के अधीन प्रमाणपत्रित अधिकारी के रूप में कम से कम 15 वर्ष की सेवा हो, जिसमें से कम से कम 5 वर्ष की सेवा, पोतों या राज्य समुद्री बोर्डों या नौवहन महानिदेशालय या पत्तन में मास्टर या मुख्य इंजीनियर के रूप में हों; या।

ङ. उपरोक्त (क), (ख), (ग) या (घ) के अनुसार अर्हताएं धारक हों और भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण या अभिहित प्राधिकरण या नौवहन महानिदेशालय या समुद्री वाणिज्य विभाग द्वारा अनुमोदित किसी भी संस्थान या विभाग में संकाय या परीक्षक के रूप में अनुभव रखता हो। संकाय या परीक्षक के रूप में अनुभव की अवधि को इस उप-नियम के खंड (क), (ख), (ग) और (घ) के तहत अपेक्षित शिपयार्ड या अंतर्देशीय जलयान के अनुभव के लिए गिना जा सकता है; और

च. इन नियमों की अधिसूचना के बाद नियुक्त किसी भी मुख्य परीक्षक के मामले में, उसे किसी भी अनुमोदित प्रशिक्षण संस्थान में भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण द्वारा निर्दिष्ट अंतर्देशीय जलयानों के लिए प्रशिक्षक और मूल्यांकनकर्ता पाठ्यक्रम पूरा करना होगा।

परंतु यह कि निर्दिष्ट प्राधिकारी विदेश जाने वाले मास्टर को या मरीन इंजीनियर ऑफिसर क्लास I मुख्य परीक्षकों को इस पाठ्यक्रम की अपेक्षा से छूट दे सकता है।

(6) मुख्य परीक्षक निम्नलिखित कर्तव्यों का निर्वहन करेगा;

(क) राज्य में विभिन्न ग्रेडों के सक्षमता प्रमाणपत्रों के लिए परीक्षाओं के समग्र संचालन का पर्यवेक्षण करना;

(ख) विभिन्न ग्रेडों के सक्षमता प्रमाणपत्र जारी करने का समग्र पर्यवेक्षण करना; और

(ग) राज्य में विभिन्न ग्रेडों के सक्षमता प्रमाणपत्रों के लिए परीक्षाओं की समय अंतराल और समय-सारिणी निर्धारित करना।

(7) डेक विभाग और इंजन विभाग के लिए क्रमशः अलग-अलग परीक्षक होंगे। ऐसी नियुक्ति के लिए न्यूनतम अर्हक अनुभव की गणना, संबंधित विभाग, डेक या इंजन, जैसा भी मामला हो, में उम्मीदवार की सेवा और विशेषज्ञता के आधार पर की जाएगी। किसी भी व्यक्ति को संबंधित विभाग के लिए परीक्षक के रूप में तब तक नियुक्त नहीं किया जाएगा जब तक कि वह निम्नलिखित में से संबंधित अर्हता और अनुभव पूरा नहीं कर लेता:

(क) नौवहन महानिदेशालय द्वारा जारी मास्टर (विदेश जाने वाले) या समुद्री इंजीनियर अधिकारी (एमईओ) श्रेणी I सक्षमता प्रमाणपत्र धारक हो, साथ ही जलयानों पर या राज्य समुद्री बोर्डों या नौवहन महानिदेशालय या पत्तनों या राज्य अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण या अंतर्देशीय जल परिवहन निदेशालय या समकक्ष के तहत प्रमाणपत्रित अधिकारी के रूप में न्यूनतम 5 वर्ष का अनुभव हो; या

(ख) नौवहन महानिदेशालय द्वारा जारी प्रथम मेट (विदेश जाने वाला) या समुद्री इंजीनियर अधिकारी (एमईओ) श्रेणी II सक्षमता प्रमाणपत्र धारक हो, साथ ही जलयानों पर या राज्य समुद्री बोर्डों या नौवहन या पत्तन महानिदेशालय या राज्य अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण या अंतर्देशीय जल परिवहन निदेशालय या समकक्ष के तहत प्रमाणपत्रित अधिकारी के रूप में कम से कम 7 वर्ष का अनुभव हो; या

(ग) मास्टर (तटीय यात्रा पोत के निकट) या समुद्री इंजीनियर अधिकारी (एमईओ) श्रेणी III (तटीय यात्रा पोत के निकट - मुख्य इंजीनियर अधिकारी) प्रमाणपत्र के साथ कम से कम 7 वर्ष का नौकायन अनुभव जिसमें से कम से कम 3 वर्ष का अनुभव पोतों पर मास्टर या मुख्य इंजीनियर के रूप में या राज्य समुद्री बोर्डों या नौवहन या पत्तन महानिदेशालय या राज्य अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण या अंतर्देशीय जल परिवहन निदेशालय या समकक्ष के अधीन होना चाहिए; या

(घ) माध्यमिक विद्यालय प्रमाणपत्र (एसएससी) और उच्चतर और शैक्षणिक योग्यता और अंतर्देशीय जलयान मास्टर श्रेणी I या अंतर्देशीय इंजीनियर प्रमाणपत्र के साथ अंतर्देशीय जलयानों पर या राज्य समुद्री बोर्डों या राज्य अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण या नौवहन या पत्तन महानिदेशालय या अंतर्देशीय जल परिवहन निदेशालय या समकक्ष के तहत या प्रमाणपत्रित अधिकारी के रूप में न्यूनतम 12 वर्ष की सेवा, जिसमें से कम से कम 3 वर्ष की सेवा मास्टर या मुख्य अभियंता के रूप में हो; और

(ङ) उपरोक्त (क), (ख), (ग) या (घ) में उल्लिखित अर्हताएं धारक हो और भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण या नामित प्राधिकरण या नौवहन महानिदेशालय या समुद्री वाणिज्य विभाग द्वारा अनुमोदित किसी भी संस्थान या विभाग में संकाय या परीक्षक के रूप में अनुभव हो। संकाय या परीक्षक के रूप में अनुभव की अवधि को इस उप-नियम के खंड (क), (ख), (ग) और (घ) के अंतर्गत अपेक्षित शिपयार्ड या अंतर्देशीय जलयान के अनुभव में गिना जा सकता है; और

(च) इन नियमों की अधिसूचना के बाद नियुक्त किसी भी परीक्षक के मामले में, तो उसे किसी अनुमोदित प्रशिक्षण संस्थान में भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण द्वारा निर्दिष्ट अंतर्देशीय जलयानों के लिए प्रशिक्षक और मूल्यांकन पाठ्यक्रम पूरा करना होगा।

परंतु, यह कि निर्दिष्ट प्राधिकारी मास्टर (विदेश जाने वाले) मास्टर या समुद्री इंजीनियर अधिकारी श्रेणी I परीक्षकों को इस पाठ्यक्रम की अपेक्षा से छूट दे सकता है।

(8) परीक्षक निम्नलिखित कर्तव्यों का निर्वहन करेगा; अर्थात्: -

(क) किसी परीक्षा केंद्र पर विभिन्न ग्रेडों के सक्षमता प्रमाणपत्रों के लिए परीक्षाओं का पर्यवेक्षण एवं संचालन करना।

(ख) विभिन्न ग्रेडों के सक्षमता प्रमाणपत्र जारी करना।

(ग) परीक्षा और प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लेने वाले व्यक्तियों का मूल्यांकन करना तथा सफल अभ्यर्थियों की सूची मुख्य परीक्षक को प्रस्तुत करना।

(घ) मुख्य परीक्षक को उसके कर्तव्यों और जिम्मेदारियों के निर्वहन में सहायता करना।

(9) इस नियम और अधिनियम की धारा 37(1) के प्रयोजनों के लिए, संबंधित राज्य सरकार परीक्षकों द्वारा मुख्य परीक्षक को उपलब्ध कराई गई रिपोर्ट का मूल्यांकन कर सकती है।

6. सक्षमता प्रमाण पत्र जारी करना.-

(1) किसी भी अभ्यर्थी को इन नियमों के प्ररूप संख्या 4 और प्ररूप संख्या 5 के अंतर्गत सक्षमता प्रमाणपत्र तब तक प्रदान नहीं किया जाएगा जब तक कि वह न्यूनतम 50% अंक प्राप्त न कर ले।

(2) सक्षमता प्रमाणपत्र के प्रत्येक ग्रेड के लिए परीक्षा में लिखित और मौखिक परीक्षा शामिल होगी; जो प्रत्येक ग्रेड की परीक्षा के लिए पाठ्यक्रम पर आधारित होगी, जैसा भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर परिपत्रों के रूप में जारी किया जाए।

(3) उपरोक्त उप-नियम (2) इन नियमों के अंतर्गत जारी किए गए सेवा प्रमाणपत्र पर लागू नहीं होगा।

(4) निम्नलिखित ग्रेडों के लिए सक्षमता प्रमाणपत्र जारी किया जा सकता है, अर्थात्:

(क) डेक विभाग-

(i) मास्टर श्रेणी 1

(ii) मास्टर श्रेणी 2

(iii) मास्टर श्रेणी 3/सेरांग

(ख) इंजन विभाग-

(i) अंतर्देशीय इंजीनियर

(ii) इंजन चालक श्रेणी 1

(iii) इंजन चालक श्रेणी 2

(5) उप-नियम (2) में सक्षमता प्रमाण-पत्र के सभी धारकों को सक्षमता प्रमाण-पत्र जारी करने की तारीख से पांच वर्ष के पश्चात् तथा उसके बाद प्रत्येक पांच वर्ष के अंतराल पर किसी अनुमोदित प्रशिक्षण संस्थान में पुनश्चर्या और पुनर्विधिमान्यकरण पाठ्यक्रम अनिवार्य रूप से पूरा करना होगा तथा सक्षमता प्रमाण-पत्र को मुख्य परीक्षक द्वारा अनुमोदित किया जाएगा।

7. मास्टर एवं डेक विभाग.-

(1) अंतर्देशीय पोत मास्टर श्रेणी 1, मास्टर श्रेणी 2 और मास्टर श्रेणी 3/सेरांग के रूप में सक्षमता प्रमाण पत्र प्रदान करने के लिए परीक्षा, परीक्षक द्वारा संबंधित राज्य में परीक्षा स्थलों पर परीक्षा केंद्र द्वारा प्रकाशित तिथियों पर आयोजित की जाएगी।

(2) परीक्षा के लिए प्रत्येक आवेदन पत्र, इन नियमों के साथ संलग्न प्ररूप संख्या 3 में भरकर उसमें उल्लिखित दस्तावेजों की प्रतियों के साथ जमा किया जाएगा और ऐसा आवेदन, अभ्यर्थी की नियम 9, नियम 10, नियम 11, नियम 13, नियम 14 और नियम 15 में यथावर्णित पात्रता सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक सहायक दस्तावेजों के साथ 'जलयान' और 'नाविक' पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन जमा किया जाएगा या संबंधित परीक्षा केंद्रों या नामित प्राधिकारी द्वारा, जैसा भी मामला हो, घोषित की गई निर्धारित तिथि के अनुसार परीक्षा केंद्र पर जमा किया जाएगा।

(3) जलयान के मास्टर की सामान्य जिम्मेदारियां और अधिकार इन नियमों की अनुसूची II में दर्शाए गए हैं।

8. अंतर्देशीय जलयान के मास्टर श्रेणी 1 के प्रमाणन के लिए न्यूनतम अपेक्षाएं-

(1) मास्टर श्रेणी 1 के रूप में प्रमाणन के लिए प्रत्येक अभ्यर्थी को:

(क) इन नियमों के अंतर्गत जारी किए गए अंतर्देशीय जलयान के मास्टर श्रेणी 2 के रूप में वैध सक्षमता प्रमाणपत्र धारक होना चाहिए;

(ख) द्वितीय श्रेणी मास्टर के बाद न्यूनतम 3 वर्ष की जलयान सेवा, जिसमें से कम से कम एक वर्ष न्यूनतम 300 गीगाटन के अंतर्देशीय जलयान के प्रभारी के रूप में हो;

(ग) विधिवत पंजीकृत एमबीबीएस चिकित्सक से प्ररूप संख्या 1 में अपनी शारीरिक योग्यता के संबंध में चिकित्सा प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा;

(घ) किसी अनुमोदित प्रशिक्षण संस्थान में मास्टर श्रेणी 1 के लिए प्रारंभिक पाठ्यक्रम सफलतापूर्वक पूरा किया हो;

(ङ) किसी अनुमोदित प्रशिक्षण संस्थान या नौवहन महानिदेशालय द्वारा अनुमोदित संस्थान में अंतर्देशीय जलयानों के लिए पाँच बुनियादी सुरक्षा पाठ्यक्रम पूरे किए हों।

(2) इस नियम में किसी बात के होते हुए भी, राज्य सरकार, उपर्युक्त उपनियम (1) में विनिर्दिष्ट अपेक्षाओं के अलावा अंतर्देशीय जल के किसी विशेष क्षेत्र के लिए अनिवार्य अपेक्षाएं निर्धारित कर सकेगी, जिसके लिए अंतर्देशीय जलयान का सुरक्षित नौवहन या प्रचालन सुनिश्चित करने के लिए उक्त अपेक्षाओं का अनुपालन अपेक्षित है।

9. अंतर्देशीय जलयान के मास्टर श्रेणी 2 के प्रमाणन के लिए न्यूनतम अपेक्षाएं:

(1) मास्टर श्रेणी 2 के रूप में प्रमाणन के लिए प्रत्येक अभ्यर्थी को:

(क) इन नियमों के अंतर्गत जारी वैध मास्टर श्रेणी 3/सेरांग सक्षमता प्रमाणपत्र धारक होना चाहिए;

(ख) जलयान पर न्यूनतम 36 माह की सेवा होनी चाहिए, जिसमें से 12 माह मास्टर श्रेणी 3/सेरांग के रूप में होनी चाहिए;

(ग) विधिवत पंजीकृत एमबीबीएस चिकित्सक से प्ररूप संख्या 1 में अपनी शारीरिक योग्यता के संबंध में चिकित्सा प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा;

(घ) किसी अनुमोदित प्रशिक्षण संस्थान में मास्टर श्रेणी 2 के लिए प्रारंभिक पाठ्यक्रम सफलतापूर्वक पूरा किया हो;

(ङ) किसी अनुमोदित प्रशिक्षण संस्थान या नौवहन महानिदेशालय द्वारा अनुमोदित संस्थान में अंतर्देशीय जलयानों के लिए पाँच बुनियादी सुरक्षा पाठ्यक्रम पूरे किए हों।

(2) इस नियम में किसी बात के होते हुए भी, राज्य सरकार उपयुक्त उपनियम (1) में विनिर्दिष्ट अपेक्षाओं के अलावा अंतर्देशीय जल के किसी विशेष क्षेत्र के लिए अनिवार्य अपेक्षाएं निर्धारित कर सकेगी, जिसके लिए अंतर्देशीय जलयान का सुरक्षित नौवहन या प्रचालन सुनिश्चित करने के लिए उक्त अपेक्षाओं का अनुपालन अपेक्षित है।

10. अंतर्देशीय जलयान के मास्टर श्रेणी 3/सेरांग के प्रमाणन के लिए न्यूनतम अपेक्षाएं-

(1) मास्टर श्रेणी 3/सेरांग के रूप में प्रमाणन के लिए प्रत्येक अभ्यर्थी:

(क) भारत का नागरिक होना चाहिए;

(ख) कम से कम इक्कीस वर्ष की आयु का होना चाहिए;

(ग) चिकित्सकीय रूप से स्वस्थ होना चाहिए और विधिवत पंजीकृत एमबीबीएस चिकित्सक से प्ररूप संख्या 1 में अपनी शारीरिक स्वास्थ्य के संबंध में चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा;

(घ) किसी भी अनुमोदित प्रशिक्षण संस्थान में मास्टर श्रेणी 3/सेरांग के लिए अनुमोदित प्रारंभिक पाठ्यक्रम सफलतापूर्वक पूरा किया हो और अंतर्देशीय जलयानों पर न्यूनतम 36 माह की सेवा की हो; और

(ङ) किसी भी अनुमोदित प्रशिक्षण संस्थान या नौवहन महानिदेशालय द्वारा अनुमोदित संस्थान में अंतर्देशीय जलयानों के लिए पाँच बुनियादी सुरक्षा पाठ्यक्रम पूरे किए हों।

2. इस नियम में किसी बात के होते हुए भी, राज्य सरकार उपनियम (1) में निर्दिष्ट अपेक्षाओं के अलावा, अंतर्देशीय जल के किसी विशेष क्षेत्र के लिए अनिवार्य के रूप में अन्य अपेक्षाएं निर्धारित कर सकती है, जिसके लिए अंतर्देशीय जलयान के सुरक्षित नौवहन या प्रचालन सुनिश्चित करने के लिए उक्त अपेक्षाओं का अनुपालन अपेक्षित है।

3. अंतर्देशीय जलयानों पर सेवारत मौजूदा मास्टर श्रेणी 3/सेरंगों को मास्टर श्रेणी 3/सेरंग के रूप में सेवा करने की अनुमति दी जाएगी और उन्हें नए प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लेने के लिए इन नियमों के लागू होने की तिथि से अधिकतम 3 वर्ष का समय देना होगा।

11. इन नियमों के अधिनियम से पहले मौजूदा लास्कर/डेक कर्मचारियों के लिए अंतर्देशीय जलयान के मास्टर श्रेणी 3/सेरांग के प्रमाणीकरण हेतु न्यूनतम अपेक्षाएं।

(1) मौजूदा लास्कर/डेक कार्मिकों के प्रमाणन के प्रयोजनों के लिए, जिन्होंने इन नियमों के अधिनियमन से पहले अंतर्देशीय जलयानों में सेवाएं शुरू कर दी हैं, पर निम्नलिखित शर्तें लागू होंगी;

क. केन्द्रीय या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त बोर्ड से 8वीं कक्षा उत्तीर्ण हो या किसी अनुमोदित प्रशिक्षण संस्थान से सामान्य प्रयोजन रेटिंग के लिए कन्वर्जन पाठ्यक्रम पूरा किया हो;

ख. हिंदी या अंग्रेजी या राज्य की क्षेत्रीय भाषा पढ़ने और लिखने में सक्षम हो;

ग. निम्नलिखित न्यूनतम सेवा मानदंडों में से किसी एक को पूरा करना;

i. कम से कम 300 जीटी क्षमता वाले अंतर्देशीय जलयानों या समुद्री जलयानों पर चार वर्ष की सेवा; या

ii. कम से कम 24 मीटर लंबाई वाले जलयानों पर पांच वर्ष की सेवा; या

iii. 10 मीटर से कम लंबाई वाले जलयान पर छह वर्ष; या

iv. ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने रक्षा, पुलिस, प्रांतीय सशस्त्र कांस्टेबुलरी या अन्य अर्धसैनिक बलों के जलयानों पर 5 वर्ष या उससे अधिक समय तक सेवा की हो;

घ. जिसमें से कम से कम एक वर्ष की सेवा हेल्समैन या सहायक मास्टर (डेक) या सीकनी या बोट मास्टर या समकक्ष के रूप में की हो;

ङ किसी भी अनुमोदित प्रशिक्षण संस्थान में मास्टर श्रेणी 3/सेरांग के लिए प्रारंभिक पाठ्यक्रम में सफलतापूर्वक भाग लिया हो;

च. किसी भी अनुमोदित प्रशिक्षण संस्थान या नौवहन महानिदेशालय द्वारा अनुमोदित संस्थान में अंतर्देशीय जलयानों के लिए पांच बुनियादी सुरक्षा पाठ्यक्रम पूरे किए हों।

(2) इस नियम में निहित किसी बात के होते हुए भी, राज्य सरकार उपरोक्त उपनियम (1) में उन विनिर्दिष्ट अपेक्षाओं के अलावा अंतर्देशीय जल के किसी विशेष क्षेत्र के लिए अनिवार्य के रूप में अन्य अपेक्षाएं निर्धारित कर सकती है, जिसके लिए अंतर्देशीय जलयान के सुरक्षित नौवहन या संचालन को सुनिश्चित करने के लिए उक्त अपेक्षाओं का अनुपालन अपेक्षित है।

12. रेटिंग रूट के माध्यम से नए प्रवेशकों के लिए अंतर्देशीय जलयान के मास्टर श्रेणी 3/सेरांग के प्रमाणन के लिए न्यूनतम अपेक्षाएं.–

(1) मौजूदा लास्कर/डेक कार्मिकों/सामान्य प्रयोजन रेटिंग सहित रेटिंग मार्ग के माध्यम से नए प्रवेशकों के प्रमाणन के प्रयोजनों के लिए निम्नलिखित अपेक्षाओं को पूरा करना होगा;

i. अंतर्देशीय जलयान के मौजूदा डेक/इंजन कार्मिकों के लिए न्यूनतम 8वीं कक्षा उत्तीर्ण हो तथा नए प्रवेशकों के लिए न्यूनतम 10वीं कक्षा उत्तीर्ण होना अपेक्षित है;

ii. किसी भी अनुमोदित प्रशिक्षण संस्थान से सामान्य प्रयोजन रेटिंग पाठ्यक्रम सफलतापूर्वक पूरा किया हो; और

iii. अंतर्देशीय जलयानों या समुद्री जहाजों पर कम से कम तीन वर्ष की सेवा की हो, जिसमें से एक वर्ष की सेवा हेल्समैन या सीकनी या समकक्ष के रूप में हो।

(2) उप-नियम (1) में अपेक्षाओं के अतिरिक्त, रेटिंग मार्ग के माध्यम से प्रत्येक नए प्रवेशकों, जिसमें मौजूदा लास्कर या डेक कार्मिक या सामान्य प्रयोजन रेटिंग शामिल हैं,

(क) भारत का नागरिक हो;
(ख) इक्कीस वर्ष से कम आयु न हो;
(ग) चिकित्सकीय रूप से स्वस्थ होना चाहिए तथा इन नियमों के साथ संलग्न प्ररूप संख्या 1 में अपनी शारीरिक स्वस्थता के बारे में विधिवत पंजीकृत एमबीबीएस चिकित्सक से चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना चाहिए;
(घ) किसी भी अनुमोदित प्रशिक्षण संस्थान में मास्टर श्रेणी 3 या सेरांग के लिए प्रारंभिक पाठ्यक्रम में सफलतापूर्वक भाग लिया हो तथा अंतर्देशीय जलयानों पर न्यूनतम 36 माह की सेवा की हो; और
(ङ) किसी भी अनुमोदित प्रशिक्षण संस्थान या नौवहन महानिदेशालय द्वारा अनुमोदित संस्थान में अंतर्देशीय जलयानों के लिए पांच बुनियादी सुरक्षा पाठ्यक्रम पूरे किए हों।

(3) इस नियम में निहित किसी बात के होते हुए भी, राज्य सरकार उपरोक्त उपनियम (1) में उन विनिर्दिष्ट अपेक्षाओं के अलावा अंतर्देशीय जल के किसी विशेष क्षेत्र के लिए अनिवार्य के रूप में अन्य अपेक्षाएं निर्धारित कर सकती है, जिसके लिए अंतर्देशीय जलयान का सुरक्षित नौचालन या प्रचालन को सुनिश्चित करने के लिए उक्त अपेक्षाओं का अनुपालन अपेक्षित है।

13. कैडेट प्रशिक्षण मार्ग के माध्यम से नए प्रवेशकों के लिए अंतर्देशीय जलयान के मास्टर श्रेणी 3 या सेरांग या इंजन चालक श्रेणी 2 के प्रमाणन के लिए न्यूनतम अपेक्षाएं—

(1) कैडेट प्रशिक्षण मार्ग के माध्यम से प्रत्येक नए प्रवेशकों के प्रमाणन के प्रयोजनार्थ, उन्हें निम्नलिखित अपेक्षाओं को पूरा करना होगा –

(क) भारत का नागरिक हो;
(ख) अठारह वर्ष से कम आयु का न हो;
(ग) चिकित्सकीय रूप से स्वस्थ होना चाहिए और इन नियमों के साथ संलग्न प्ररूप संख्या 1 में अपनी शारीरिक स्वस्थता के बारे में विधिवत पंजीकृत एमबीबीएस चिकित्सक से चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अपेक्षित है;
(घ) निम्नलिखित में से कोई भी शैक्षणिक अर्हताएं होनी चाहिए:
(i) केंद्र या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त बोर्ड से कक्षा 12वीं की परीक्षा उत्तीर्ण; या
(ii) केंद्र या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त बोर्ड से कक्षा 10वीं की परीक्षा उत्तीर्ण की हो और जिन्होंने औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान या कौशल विकास विश्वविद्यालय या राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय या कौशल विकास परिषद या समकक्ष संस्थान या संगठन से व्यावसायिक या कौशल प्रशिक्षण पाठ्यक्रम सफलतापूर्वक पूरा किया हो; या

(iii) केंद्र या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त बोर्ड से कक्षा 10वीं की परीक्षा उत्तीर्ण की हो और जिन्होंने अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद या कौशल विकास विश्वविद्यालय या समकक्ष संस्थान या संगठन द्वारा अनुमोदित यांत्रिक या समुद्री या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा सफलतापूर्वक पूरा किया हो; या

(iv) केंद्र या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त बोर्ड से कक्षा 10वीं की परीक्षा उत्तीर्ण की हो और जिन्होंने राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत उपरोक्त (iii) में अर्हता के समकक्ष क्रेडिट सफलतापूर्वक पूरा कर लिया हो; और

(ङ) किसी भी अनुमोदित प्रशिक्षण संस्थान से अंतर्देशीय जलयान कैडेट प्रशिक्षण पाठ्यक्रम सफलतापूर्वक पूरा किया हो, जिसका पाठ्यक्रम और अवधि भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण द्वारा यथाविनिर्दिष्ट हो;

(च) किसी भी अनुमोदित प्रशिक्षण संस्थान या नौवहन महानिदेशालय द्वारा अनुमोदित संस्थान में अंतर्देशीय जलयानों के लिए पांच बुनियादी सुरक्षा पाठ्यक्रम सफलतापूर्वक पूरे किए हों;

(छ) अंतर्देशीय जलयानों या समुद्री जहाजों पर या तो निम्न अवधि तक सेवा की हो:

(i) दो वर्ष, यदि अभ्यर्थी इस उप-नियम के खंड (घ) के उप-खंड (i) के अंतर्गत शैक्षिक अर्हता धारक है; या

(ii) 18 माह, यदि अभ्यर्थी इस उप-नियम के खंड (घ) के उप-खंड (ii) के अंतर्गत शैक्षिक अर्हता धारक है; या

(iii) 12 माह, यदि अभ्यर्थी इस उप-नियम के खंड (घ) के उप-खंड (iii) के अंतर्गत शैक्षिक धारक है।

परंतु कि कुल सेवा अंतर्देशीय जलयान कैडेट प्रशिक्षु या सामान्य प्रयोजन रेटिंग के रूप में की गई हो, जिसमें जलयान पर संरचित प्रशिक्षण कार्यक्रम उसकी सेवा रिकॉर्ड पुस्तिका में सत्यापित हो और उसने राज्य के पत्तन या अंतर्देशीय जलमार्गों में चलने वाले पोत पर योग्य मास्टर श्रेणी 1 या श्रेणी 2 या श्रेणी 3 सेरांग या इंजन चालक श्रेणी 1 या इंजन चालक श्रेणी 2 के तहत कम से कम छह माह की निगरानी सेवा की हो।

(ज) अंतर्देशीय जलयान कैडेट को अंतर्देशीय जलयान कैडेट प्रेरण प्रशिक्षण के सफल समापन पर सामान्य प्रयोजन रेटिंग प्रमाणपत्र प्रदान किया जाएगा।

(2) इस नियम में निहित किसी बात के होते हुए भी, राज्य सरकार उपरोक्त उपनियम (1) में उन विनिर्दिष्ट अपेक्षाओं के अलावा अंतर्देशीय जल के किसी विशेष क्षेत्र के लिए अनिवार्य के रूप में अन्य अपेक्षाएं निर्धारित कर सकती है, जिसके लिए अंतर्देशीय जलयान के सुरक्षित नौवहन या संचालन को सुनिश्चित करने के लिए उक्त अपेक्षाओं का अनुपालन अपेक्षित है।

14. इंजिनीयरिंग विभाग-

(1) अंतर्देशीय इंजीनियर प्रमाण पत्र, इंजन चालक श्रेणी 1 प्रमाण पत्र और इंजन चालक श्रेणी 2 के रूप में सक्षमता प्रमाण पत्र प्रदान करने के लिए परीक्षा, परीक्षक द्वारा संबंधित राज्य सरकारों के परीक्षा स्थलों पर, परीक्षा केंद्र द्वारा प्रकाशित तिथियों पर आयोजित की जाएगी।

(2) परीक्षा के लिए प्रत्येक आवेदन पत्र इन नियमों के साथ संलग्न प्रपत्र संख्या 3 में भरकर उसमें उल्लिखित दस्तावेजों की प्रतियों के साथ प्रस्तुत किया जाएगा और ऐसा आवेदन पत्र अभ्यर्थी की पात्रता सुनिश्चित करने के लिए अपेक्षित सहायक दस्तावेजों के साथ संबंधित परीक्षा केंद्रों या नामित प्राधिकारी द्वारा घोषित निर्धारित तिथि से पहले परीक्षा केंद्र पर प्रस्तुत किया जाएगा।

15. अंतर्देशीय जलयान के इंजीनियर के प्रमाणन के लिए न्यूनतम अपेक्षाएं-

(1) अंतर्देशीय जलयान इंजीनियर के रूप में प्रमाणन के लिए प्रत्येक अभ्यर्थी को:

क. अधिनियम के तहत जारी इंजन चालक श्रेणी 1 सक्षमता प्रमाण पत्र के साथ-साथ माध्यमिक विद्यालय प्रमाण पत्र की शैक्षणिक अर्हता धारक होना चाहिए।

ख. प्रथम श्रेणी इंजन चालक दक्षता के बाद 425 किलोवाट से अधिक प्रणोदन शक्ति वाले जलयानों पर न्यूनतम 3 वर्ष की जलयान पर सेवा होनी चाहिए, जिसमें से एक वर्ष अंतर्देशीय जलयानों के प्रथम श्रेणी इंजन चालक (इंजन कक्ष प्रभारी) के रूप में होना चाहिए।

ग. विधिवत पंजीकृत एमबीबीएस चिकित्सक चिकित्सक से प्ररूप नंबर 1 में अपनी शारीरिक स्वस्थता के बारे में एक चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना।

घ. किसी भी अनुमोदित प्रशिक्षण संस्थान में अंतर्देशीय जलयान इंजीनियर के लिए प्रारंभिक पाठ्यक्रम में सफलतापूर्वक भाग लिया हो।

ङ. किसी भी अनुमोदित प्रशिक्षण संस्थान या नौवहन महानिदेशालय द्वारा अनुमोदित संस्थान में अंतर्देशीय जलयानों के लिए पांच बुनियादी सुरक्षा पाठ्यक्रम पूरे किए हो।

16. अंतर्देशीय जलयान के इंजन चालक श्रेणी 1 के प्रमाणन के लिए न्यूनतम अपेक्षाएं-

1. इंजन चालक श्रेणी 1 के रूप में प्रमाणन के लिए प्रत्येक अभ्यर्थी को:

(क) अधिनियम के तहत जारी वैध द्वितीय श्रेणी इंजन चालक, योग्यता प्रमाण पत्र धारक होना चाहिए।

(ख) न्यूनतम 36 माह की सेवा होनी चाहिए, जिसमें से 12 माह द्वितीय श्रेणी इंजन चालक के रूप में होनी चाहिए.

(ग) विधिवत पंजीकृत एमबीबीएस चिकित्सक से प्ररूप संख्या 1 में अपनी शारीरिक स्वस्थता के बारे में एक चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना।

(घ) किसी भी अनुमोदित प्रशिक्षण संस्थान में इंजन चालक श्रेणी 1 के लिए प्रारंभिक पाठ्यक्रम में सफलतापूर्वक भाग लिया हो।

(ङ) किसी भी अनुमोदित प्रशिक्षण संस्थान या नौवहन महानिदेशालय द्वारा अनुमोदित संस्थान में अंतर्देशीय जलयानों के लिए पांच बुनियादी सुरक्षा पाठ्यक्रम पूरे किए हों।

17. अंतर्देशीय जलयान के इंजन चालक श्रेणी 2 के प्रमाणन के लिए न्यूनतम अपेक्षाएं-

1. इंजन चालक श्रेणी 1 के रूप में प्रमाणन के लिए प्रत्येक अभ्यर्थी को:

(क) भारत का नागरिक होना चाहिए;

(ख) 21 वर्ष से कम आयु का न हो;

(ग) इन नियमों के साथ संलग्न प्ररूप संख्या 1 में अपनी शारीरिक स्वस्थता के बारे में विधिवत पंजीकृत एमबीबीएस चिकित्सक से चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा;

(घ) किसी अनुमोदित प्रशिक्षण संस्थान से इंजन चालक श्रेणी 2 के लिए प्रारंभिक पाठ्यक्रम पूरा किया होगा;

(ङ) सामान्य प्रयोजन रेटिंग के रूप में अंतर्देशीय जलयानों पर न्यूनतम 36 माह की सेवा की हो; और

(च) किसी भी अनुमोदित प्रशिक्षण संस्थान या नौवहन महानिदेशालय द्वारा अनुमोदित संस्थान में अंतर्देशीय जलयानों के लिए पांच बुनियादी सुरक्षा पाठ्यक्रम पूरे किए हो।

(2) अंतर्देशीय जलयानों पर सेवारत मौजूदा इंजन चालक श्रेणी 2 को इंजन चालक श्रेणी 2 के रूप में सेवा करने की अनुमति दी जा सकती है और नए प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लेने के लिए इन नियमों के लागू होने की तारीख से अधिकतम 3 वर्ष का समय दिया जा सकता है।

18. सेवा प्रमाणपत्र-

(1) कोई अभ्यर्थी, जिसने भारतीय तट रक्षक, नौसेना या सेना के किसी जलयान पर पर 5 वर्ष तक मास्टर या इंजीनियर के तौर पर काम किया है, उसे जलयान के आकार के आधार पर मास्टर श्रेणी 1, मास्टर श्रेणी 2, मास्टर श्रेणी 3/सेरांग, अंतर्देशीय इंजीनियर, इंजन चालक श्रेणी 1 या इंजन चालक श्रेणी 2 के तौर पर और किसी भी अनुमोदित प्रशिक्षण संस्थान या नौवहन महानिदेशालय द्वारा अनुमोदित संस्थान में अंतर्देशीय जलयानों के लिए पांच बुनियादी सुरक्षा पाठ्यक्रमों सहित प्रासंगिक प्रारंभिक पाठ्यक्रम के सफल समापन पर, सेवा प्रमाण-पत्र दिया जा सकता है।

(2) जो अभ्यर्थी ऊपर दिए गए उप-नियम (1) का पालन करते पाए जाएंगे, उन्हें लिखित परीक्षा से छूट दी जाएगी, लेकिन उन्हें मौखिक परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी:

बशर्ते कि आवेदक द्वारा प्रस्तुत भारतीय तटरक्षक, नौसेना या सेना द्वारा जारी अर्हता के प्रासंगिक प्रमाणपत्रों को निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा सत्यापित किया जाएगा।

(3) सेवा प्रमाण-पत्र इन नियमों के साथ जुड़े प्ररूप संख्या 2 में जारी किया जाएगा और इसका प्रभाव इन नियमों के अंतर्गत प्रदत्त सक्षमता प्रमाण-पत्र जैसा ही होगा।

19. अंतर्देशीय जलयान के सामान्य उद्देश्य रेटिंग में शामिल होने के लिए न्यूनतम अपेक्षाएं.-

(1) सामान्य उद्देश्य रेटिंग के तौर पर प्रमाण-पत्र के लिए प्रत्येक अभ्यर्थी को:

(क) भारत का नागरिक होना चाहिए

(ख) आयु 18 वर्ष से कम न हो

(ग) अंतर्देशीय जलयान के मौजूदा डेक/इंजन कार्मिकों के लिए कम से कम 8वीं कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए और नए प्रवेशकों के लिए कम से कम 10वीं कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए;

(घ) प्ररूप संख्या 1 में अपनी शारीरिक स्वस्थता के बारे में किसी पंजीकृत एमबीबीएस चिकित्सक से चिकित्सा प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना चाहिए।

(ङ) यदि नए प्रवेशक हैं, तो किसी भी अनुमोदित प्रशिक्षण संस्थान में सामान्य उद्देश्य रेटिंग्स के लिए प्रवेश प्रशिक्षण पूरा किया हो।

(च) यदि मौजूदा डेक/इंजन कार्मिक ने किसी अंतर्देशीय जलयान पर सहायक डेक/इंजन कार्मिक के तौर पर कम से कम 2 वर्ष पूरे कर लिए हैं और डेक कार्मिक के लिए मास्टर श्रेणी 1/2/3 से या इंजन कार्मिक के लिए इंजीनियर/इंजन चालक श्रेणी 1/2 से सक्षमता का प्रमाण-पत्र प्राप्त कर लिया है, जिसके अंतर्गत उसने सहायक डेक/इंजन कार्मिक के तौर पर पिछले छह माह का प्रशिक्षण पूरा किया है।

परंतु कि, मौजूदा डेक/इंजन कार्मिकों को किसी भी अनुमोदित प्रशिक्षण संस्थान में कन्वर्ज़न पाठ्यक्रम पूरा किया हो।

(छ) किसी भी अनुमोदित प्रशिक्षण संस्थान या नौवहन महानिदेशालय द्वारा अनुमोदित संस्थान में अंतर्देशीय जलयानों के लिए पांच बुनियादी सुरक्षा पाठ्यक्रम पूरे किए हों।

(2) अंतर्देशीय जलयान पर काम कर रहे मौजूदा रेटिंग्स/लास्कर्स को रेटिंग्स/लास्कर्स के तौर पर काम करने की अनुमति दी जाएगी और इन नियमों के लागू होने की तारीख से नए प्रशिक्षण कार्यक्रम पूरा करने के लिए उन्हें अधिकतम 3 वर्ष का समय दिया जाएगा।

(3) मौजूदा मांझी या मछुआरे जिनकी आयु 23 वर्ष या उससे ज़्यादा है, जो पारंपरिक रूप से मशीन से चलने वाले जलयानों पर काम करते हैं, जिन्होंने कम से कम 8वीं कक्षा उतिर्ण की हो और जिनके पास किसी मान्यता प्राप्त मछुआरा समाज या उसके समकक्ष से प्रमाणित पांच वर्ष का अनुभव हो और जिन्होंने जीपी रेटिंग के लिए अनुमोदित कन्वर्ज़न पाठ्यक्रम सफलतापूर्वक पूरा किया हो, उन्हें सामान्य प्रयोजन रेटिंग प्रमाण-पत्र दिया जाएगा।

20. सक्षम प्राधिकारी को रिपोर्ट करना -

राज्य सरकार, संबंधित प्राधिकारी द्वारा जारी किए गए, प्रदान किए गए, रद्द किए गए या निलंबित किए गए प्रमाण-पत्रों या अन्य टिप्पणियों के आंकड़ों व विवरण की सूचना की नियमित तीस दिनों से अनधिक अंतराल पर संबंधित सक्षम प्राधिकारी को रिपोर्ट और अद्यतित करेगी।

21. प्रशिक्षण संस्थानों का अनुमोदन -

इन नियमों के प्रयोजनार्थ, प्रशिक्षण संस्थान को निम्नलिखित द्वारा मंज़ूरी दी जाएगी:
(i) अनुसूची-I के अनुसार संबंधित राज्य सरकार, अपने अधिकार क्षेत्र के अंदर आने वाले संस्थानों के लिए; और
(ii) अनुसूची-I के अनुसार, भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण, निम्नलिखित संस्थानों के लिए:
(क) केंद्र सरकार या भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण द्वारा स्थापित संस्थान; या
(ख) किसी भी राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में आने वाले संस्थान, यदि राज्य सरकार द्वारा अनुरोध किया जाता है।
(ग) राज्य सरकारों और भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण द्वारा अंतर्देशीय जलयान नौवहन प्रशिक्षण संस्थानों/केंद्रों के अनुमोदन के मानक इन नियमों में अनुसूची-I में दिए गए हैं।

22. अंतर्देशीय जलयान के कर्मीदल की पहचान रिकॉर्ड पुस्तिका जारी करना - (1) इस अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत किसी भी यांत्रिक प्रणोदित अंतर्देशीय जलयान पर किसी भी व्यक्ति को अंतर्देशीय जलयान चालक दल की पहचान रिकॉर्ड पुस्तिका प्राप्त किए बिना नियोजित नहीं किया जाएगा, जिसमें भारतीय अंतर्देशीय जलयान चालक दल (आईएनडीआईवीसी) संख्या शामिल होगी।

(2) प्रत्येक नया प्रवेशार्थी या मौजूदा सामान्य प्रयोजन रेटिंग, प्रवेश प्रशिक्षण के अंतर्गत पाठ्यक्रम या सामान्य प्रयोजन रेटिंग के लिए कन्वर्जन पाठ्यक्रम, या अंतर्देशीय जलयान कैडेट पाठ्यक्रम या अन्य स्वीकृत पाठ्यक्रमों जैसा भी मामला हो, के पूरा होने से पहले, अंतर्देशीय जलयान कर्मीदल की पहचान रिकॉर्ड पुस्तिका जारी करने के लिए उस राज्य के निर्दिष्ट प्राधिकारी को, जिसमें स्वीकृत प्रशिक्षण संस्थान स्थित है 'जलयान' और 'नाविक' पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करेगा।

(3) उप-नियम (2) के अंतर्गत आने वाले लोगों को छोड़कर, प्रत्येक मौजूदा सक्षमता प्रमाणपत्र धारक को, इन नियमों के लागू होने की तारीख से 2 वर्ष के भीतर, अंतर्देशीय जलयान कर्मीदल की पहचान रिकॉर्ड पुस्तिका जारी करने के लिए उस

राज्य के नामोद्धिष्ट प्राधिकारी को, जिसमें सक्षमता प्रमाणपत्र जारी किया गया था, पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करना होगा

(4) निर्दिष्ट प्राधिकारी पोर्टल के माध्यम से जारी अंतर्देशीय जलयान कर्मीदल की पहचान और रिकॉर्ड पुस्तकों का एक रजिस्टर का अनुरक्षण करेगा।

(5) निर्दिष्ट प्राधिकारी, स्वीकृत प्रशिक्षण संस्थानों से पूरे किए गए प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों का विवरण, और इस अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत जलयानों के कर्मीदल के प्रत्येक सदस्य द्वारा की गई सेवाओं का विवरण अंतर्देशीय जलयान कर्मीदल की पहचान और रिकॉर्ड पुस्तिका में अद्यतित करेगा।

23. दूसरे देशों द्वारा सक्षमता प्रमाणपत्रों की मान्यता–

विदेशी देशों द्वारा सामर्थ्य प्रमाणपत्रों की द्विपक्षीय मान्यता के प्रयोजनों के लिए, विनिर्दिष्ट प्राधिकारी सामर्थ्य प्रमाणपत्र का समर्थन करेगा:

परंतु कि प्रमाणपत्र धारक को भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण द्वारा यथाविनिर्दिष्ट जांच, पद्धति और दिशानिर्देश से जुड़ी दूसरी अतिरिक्त अपेक्षाएं पूरी करनी होंगी।

अनुसूची-I

राज्य सरकारों और भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण द्वारा अंतर्देशीय जलयान नौवहन प्रशिक्षण संस्थानों / केंद्रों के अनुमोदन के लिए मानक

भाग 1 - **अंतर्देशीय जलयान नौवहन प्रशिक्षण संस्थानों का अनुमोदन**

1.1 **इस अनुसूची का अनुपालन**

क) अंतर्देशीय जलयान (चालक दल) नियम, 2025 के अधिसूचना की तारीख से, अंतर्देशीय जलयान नौवहन प्रशिक्षण संस्थान ("आईवीएनटीआई") को अंतर्देशीय जलयान (चालक दल) नियम, 2025 के नियम 21 के अनुसार, राज्य सरकार या भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण (आईडब्ल्यूएआई) ("अनुमोदन प्राधिकारी") से मंज़ूरी मिलेगी।

ख) राज्य सरकारों या केंद्र सरकार या आईडब्ल्यूएआई द्वारा स्थापित मौजूदा आईवीएनटीआई को 31 दिसंबर, 2026 तक ऐसे छूट के अध्यधीन, जो सक्षम प्राधिकारी द्वारा दी जा सकती है, इस अनुसूची की अपेक्षाओं को पूरा करना होगा।

ग) किसी भी नए प्रवेशक द्वारा अंतर्देशीय जलयानों के लिए पांच बुनियादी सुरक्षा पाठ्यक्रम, अथवा ऐसे पाठ्यक्रमों के लिए नौवहन महानिदेशालय द्वारा अनुमोदित संस्थान के अंतर्गत मानकों व प्रक्रिया के अनुसार, इन संस्थानों द्वारा इस अनुसूची में निर्दिष्ट मानक पूरा किए जाने के अध्यधीन, मानक और प्रक्रिया के अनुसार अनुमोदित किसी भी आईवीएनटीआई से पूरा करने होंगे। नौवहन महानिदेशालय ऐसे पाठ्यक्रम चलाने के लिए इन संस्थान की मंज़ूरी, निरीक्षण या मंज़ूरी रद्द करने से जुड़ी सभी अपेक्षाओं और प्रक्रियाओं का संचालन करेगा।

1.2 **पात्र संस्थाएँ**

क) प्रत्येक आईवीएनटीआई को नीचे दिए गए किसी भी व्यक्ति द्वारा स्थापित और प्रशासित किया जाएगा:

i. कोई एक व्यक्ति; या

ii. एचयूएफ; या

iii. सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860, समय-समय पर यथा संशोधित, हो या किसी अन्य संबंधित अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत सोसायटी; या

iv. भारतीय न्यास अधिनियम, 1882 के तहत पंजीकृत न्यास अथवा न्यास के अध्यक्ष/प्रेसीडेंट/सचिव के माध्मय से समय-समय पर यथा: संशोधित लागू राज्य न्यास विधान या किसी अन्य प्रासंगिक अधिनियम के तहत पंजीकृत कोई पब्लिक धर्मार्थ न्यास; या

v. कंपनी अधिनियम, 1956 या कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत स्थापित कंपनी; या

vi. केंद्र या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन या उनके द्वारा पंजीकृत किसी सोसायटी या न्यास द्वारा; या

vii. सीमित दायित्व भागीदारी अधिनियम, 2008 के तहत सीमित दायित्व भागीदारी; या

viii. भारतीय भागीदारी अधिनियम, 1932 के तहत भागीदारी फर्म; या

ix. व्यक्तियों का कोई संघ या व्यक्तियों का कोई समूह ग्रुप, चाहे वह निगमित हो या नहीं; या

x. कोई अन्य कृत्रिम न्यायिक व्यक्ति, जो उपरोक्त में से किसी के अंतर्गत नहीं आता हो।

1.3 संस्थान का आवेदन और अनुमोदन प्रक्रिया

क) आवेदन का अनुमोदन दो चरणों में होगा:

i. सैद्धांतिक अनुमोदन; और

ii. अंतिम अनुमोदन

ख) सैद्धांतिक अनुमोदन और अंतिम अनुमोदन के लिए प्रत्येक आवेदन, प्रक्रिया शुल्क के साथ पोर्टल के माध्यम से प्रस्तुत किया जाएगा।

ग) सैद्धांतिक अनुमोदन, अंतिम अनुमोदन और परिसर बदलने का अनुमोदन लेने के लिए प्रक्रिया शुल्क, अनुमोदन प्राधिकारी विनिर्दिष्ट करेगा।

घ) सैद्धांतिक अनुमोदन देने के लिए आवेदन में निम्नलिखित विवरण होंगे:

i. मालिकाना हक या लीज़ का प्रमाण या भूमि/ परिसर के मालिक से इसे बेचने का प्रस्तावित करार या मालिक से अनापत्ति प्रमाणपत्र के साथ लीज का प्रस्तावित करार के साथ उस भूमि या परिसर का विवरण, जहाँ संस्थान स्थापित करने का प्रस्ताव है।

ii. इस अनुसूची के भाग 2 के अनुसार प्रस्तावित अवसंरचना का विवरण।

iii. आईवीएनटीआई का प्रस्तावित नाम जिसे अनुमोदन प्राधिकारी भी मंज़ूर करेगा।

परंतु कि "सरकार", "भारत", "राष्ट्रीय", "राज्य" जैसे शब्दों का प्रयोग संप्रतीक और नाम (अनुचित प्रयोग निवारण) अधिनियम, 1950 के अनुसार प्रतिबंधित होगा।

iv. प्रत्येक आईवीएनटीआई का एक विशिष्ट नाम होना अपेक्षित है।

v. प्रारंभिक पूंजीगत और आवृत्ति व्यय के लिए आईवीएनटीआई की वित्तपोषण का प्रस्तावित स्रोत vi. व्यवसाय योजना और परियोजना व्यवहार्यता रिपोर्ट जिसमें निम्नलिखित शामिल होंगे:

क. प्रत्येक पाठ्यक्रम के लिए प्रस्तावित बैच की संख्या, जो प्रत्येक पाठ्यक्रम के लिए 20 छात्र से कम नहीं होगी;

ख. आवृत्ति, जिसमें प्रत्येक पाठ्यक्रम वार्षिक तौर पर संचालित किया जाएगा;

ग. प्रत्येक पाठ्यक्रम के लिए प्रस्तावित शुल्क संरचना;

घ. कक्षाकक्षों की प्रस्तावित संख्या; और

ङ. संकाय की प्रस्तावित संख्या।

vii. प्रत्येक पाठ्यक्रम की सालाना क्षमता, प्रत्येक पाठ्यक्रम के लिए अनुमोदित बैच की संख्या और प्रत्येक पाठ्यक्रम के संचालन की वार्षिक आवृत्ति पर आधारित होगी। सभी पाठ्यक्रम के लिए कुल वार्षिक क्षमता, सभी पाठ्यक्रम की वार्षिक क्षमता का जोड़ होगी।

viii. संस्थान में संचालित किए जाने वाले प्रस्तावित कानूनी पाठ्यक्रमों और वैल्यू-एडेड पाठ्यक्रमों का विवरण प्रस्तुत किया जाएगा।

ङ) अनुमोदन प्राधिकारी द्वारा गठित जांच समिति आवेदन और समर्थन दस्तावजों का मूल्यांकन करेगी। जांच समिति की सिफारिशों और रिकॉर्ड में सामाग्री के आधार पर, अनुमोदन प्राधिकारी, आवेदन की तारीख से एक माह के भीतर सैद्धांतिक अनुमोदन करेगा या उसे अस्वीकार करेगा। आवेदन में कमी पाए जाने पर, आवेदक को इसकी सूचना दी जाएगी और वे उसमें सुधार के बाद दोबारा आवेदन कर सकते हैं। यदि सैद्धांतिक अनुमोदन प्राप्त हो जाता है, तो संस्थान को सिस्टम सृजित एक विशिष्ट अस्थायी आईवीएनटीआई संख्या जारी की जाती है।

च) सैद्धांतिक अनुमोदन की वैद्यता, दीर्घ-कालिक आवसीय पाठ्यक्रम शुरू करने के लिए मंजूरी मिलने की तारीख से 5 वर्ष और कक्षा पाठ्यक्रम शुरू करने के लिए, मंजूरी मिलने की तारीख से 2 वर्ष होगी।

1.4 संस्थान की अंतिम अनुमोदन प्रक्रिया

क) आवेदक को सैद्धांतिक मंज़ूरी की वैधता अवधि के दौरान किसी भी समय संस्थान के तैयार होने की सूचना अनुमोदन प्राधिकारी को देनी होगी, जिसके बाद फील्ड विज़िट कमेटी ("एफवीसी") संस्थान के तैयार का वास्तविक सत्यापन करेगी।

ख) आवेदक को ऑनलाइन आवेदन प्ररूप के अनुसार अंतिम अनुमोदन के लिए अपना आवेदन, स्व-प्रमाणित प्रति के साथ प्रस्तुत करना होगा।

ग) जांच समिति, आवेदक की जमा की गई स्व-प्रमाणित प्रति के साथ आवेदन का मूल्यांकन करेगी। घ) अनुमोदन प्राधिकारी एफवीसी का गठन किया जाएगा। एफवीसी संस्थान की बुनियादी सुविधाओं को वास्तविक रूप से जांच करेगी।

ङ) एफवीसी, आईवीएनटीआई के अवसंरचना, प्रशासन, सुविधाएं, प्रयोगशाला उपकरण, प्रासंगिक दस्तावेज़ और अन्य आवश्यक और वांछित अपेक्षाओं संबंधी तैयारी की जांच करेगी।

च) एफवीसी इस अनुसूची में निर्दिष्ट शर्तों के अनुसार प्रधानाचार्य/ निदेशक और संकाय की नियुक्ति से जुड़ी प्रगति की भी जांच करेगी।

छ) एफवीसी सत्यापन के लिए मूल दस्तावेज मांग सकती है।

ज) वे पाठ्यचर्या और पाठ्य सामग्री के अनुसार उपकरण की वास्तविक उपलब्धता और कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर, इंटरनेट, प्रिंटर, पुस्तक का शीर्षक, पुस्तक के खण्डों, राष्ट्रीय और अंतराष्ट्रीय जर्नल्स की सदस्यता और आईवीएनटीआई के डिजिटल स्टॉक रजिस्टर में प्रविष्टि की जांच करेंगे।

झ) एफवीसी द्वारा वास्तविक निरीक्षण के समय, संस्थान को अपने खर्चे पर एफवीसी की पूरी कार्रवाई की तारीख और समय सहित, वीडियो रिकॉर्डिंग का प्रबंध करना होगा, जिसमें, संस्थान इसे प्रशिक्षण संस्थान की वेबसाइट पर अपलोड करेगा और वेब पोर्टल पर लिंक साझा करेगा।

ञ) सत्यापन पूरा होने के बाद, एफवीसी अपनी सिफारिशें अनुमोदन प्राधिकारी को सौंपेगा।

ट) आवेदक को अनुमोदन प्राधिकारी के सामने प्रस्तुति देने के लिए बुलाया जा सकता है।

1.5 अंतिम स्वीकृति प्रदान करना

क) अनुमोद प्राधिकारी, समितियों की सिफारिशों और रिकॉर्ड में सामग्री पर विचार करने के बाद, अंतिम अनुमोदन के लिए आवेदन मिलने के 60 दिनों के भीतर या तो अनुमोदन देने का निर्णय करेगी या कमियों के बारे में बताएगी या उसे अस्वीकार कर सकती है। कमियों के बारे में बताने पर, आवेदक सुधार के बाद पुन: आवेदन कर सकता है।

ख) अनुमोदन प्राधिकारी का निर्णय पोर्टल पर अनुमोदन पत्र (एलओए) या कमी संबंधी पत्र (एलओडी)/ अस्वीकरण पत्र (एलओआर) के रूप में अपलोड किया जाएगा। अस्वीकरण के मामले में, अस्वीकार के खास कारण बताए जाएंगे।

ग) आवेदक को सैद्धांतिक अनुमोदन के वैधता अवधि के भीतर अंतिम अनुमोदन लेना होगा।

घ) आईवीएनटीआई को सांविधिक या दूसरे पाठ्यक्रम संचालित करने के लिए मंज़ूरी मिलने के बाद स्थायी आईवीएनटीआई संख्या जारी की जाएगी।

1.6 आईवीएनटीआई द्वारा संचालित पाठ्यक्रमों को स्वीकृति

क) संस्थान द्वारा प्रस्तावित पाठ्यक्रम, अंतर्देशीय पोत (चालक दल) नियम, 2025 के अनुसार होंगे और पाठ्यक्रमों की पाठ्यचर्या व अवधि वह होगी जो आईडब्ल्यूएआई द्वारा यथाविनिर्दिष्ट की जाएगी।

ख) किसी भी समय "बुनियादी सुरक्षा प्रशिक्षण" पाठ्यक्रम [अर्थात व्यक्तिगत उत्तरजीवित तकनीक (पीएसटी), व्यक्तिगत सुरक्षा और सामाजिक उत्तरदायित्व (पीएसएसआर), प्रारंभिक प्राथमिक चिकित्सा (ईएफए), अग्नि की रोकथाम और अग्निशमन (एफपीएफएफ)] और निर्दिष्ट सुरक्षा कर्तव्यों वाले नाविकों के लिए सुरक्षा प्रशिक्षण (एसटीएसडीएसडी) के अनुमोदन पर एक समग्र पैकेज के रूप में विचार किया जाएगा।

ग) किसी भी अंतर्देशीय जलयान नौवहन प्रशिक्षण संस्थान को पांच से कम पाठ्यक्रम के लिए मंज़ूरी नहीं दी जाएगी। बुनियादी सुरक्षा प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों, जिसमें 1.6(ख) में उल्लेखित 5 पाठ्यक्रम शामिल हैं, को 5 पाठ्यक्रम के बराबर माना जाएगा।

घ) यदि अंतर्देशीय जलयान नौवहन प्रशिक्षण संस्थान छह माह के समय में पांच से कम पाठ्यक्रम संचालित करता है, तो आईवीएनटीआई के सभी अनुमोदन वापस ले लिए माने जाएंगे।

1.7 परिसरों का स्थानांतरण

संस्थान, संस्थान के परिसर को एक अवस्थिति या स्थान से दूसरी स्थान पर परिवर्तित या शिफ्ट करने के मामले में, अनुमोदन के लिए लागू प्रोसेसिंग फीस के साथ नए सिरे से आवेदन करना होगा। संस्थान, वास्तव में तभी शिफ्ट होगा जब ऐसा अनुमोदन मिल जाएगा। ऐसे आवेदन प्राप्ति के 60 दिनों के भीतर निपटाए जाएंगे।

1.8 प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

संस्थान अनुमोदन प्राधिकारी से बातचीत करने के लिए प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता को मनोनीत करेंगे।

1.9 गुणवत्ता मानक

संस्थान नीचे दिए गए गुणवत्ता मानकों का पालन करेंगे:

क) आईवीएनटीआई, अंतिम अनुमोदन मिलने के 12 माह के भीतर प्रासंगिक आईएसओ प्रमाणन या उसके समतुल्य डिग्री लेनी होगी।

ख) आईडब्ल्यूएआई द्वारा यथाविनिर्दिष्ट किए जाने वाले पाठ्यक्रम के अनुसार मूलभूत सुरक्षा पाठ्यक्रम का अनुपालन किया जाएगा।

ग) आईवीएनटीआई यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रधानाध्यापक, संकाय और अनुदेशकों और अतिथि संकाय, इस अनुसूची के भाग 3 में विनिर्दिष्ट अर्हताओं का अनुपालन करेंगे।

भाग 2 – अवसंरचना

2.1 नए आईवीएनटीआई की स्थापना

क) इस अनुसूची के धारा 1.2 के अंतर्गत पात्र संगठन के पास अंतिम अनुमोदन के लिए आवेदन प्रस्तुत करने से पूर्व अपेक्षित लीज़ पर ली गई या मालिकाना हक वाली भूमि या भवन का कानूनी दखल होना चाहिए।

ख) भवन का निर्माण, लागू स्थानीय या नगर निगम कानूनों के अनुसार किया जाएगा और संबंधित कानूनी प्राधिकरण द्वारा जारी वैध अधिभोग प्रमाणपत्र होना चाहिए।

2.2 भूमि संबंधी अपेक्षाएं

क) निम्नलिखत के लिए भूमि की अपेक्षाएं:

i. जो संस्थान जीपी रेटिंग पाठ्यक्रम (जो आवासीय प्रकृति के होंगे) और मूलभूत सुरक्षा पाठ्यक्रम संचालित करने वाले संस्थानों के पास प्रस्ताव कम से कम 1 एकड़ का स्वतंत्र परिसर (स्वयं का या लीज़ पर लिया) होना चाहिए। लीज़ की अवधि कम से कम 10 वर्ष होनी चाहिए।

ii. सक्षमता या वैल्यू-एडेड पाठ्यक्रम स्वयं या लीज़ पर ली गई परिसर पर कम से कम 3 वर्ष के लीज़ पर संचालित किए जा सकते हैं और इसे आगे भी बढ़ाया जा सकता है।

ख) भूमि या परिसर का उपयोग मुख्य रूप से अनुमोदन प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित पाठ्यक्रम संचालित करने के लिए किया जाएगा।

ग) भवन के निर्माण और सुरक्षा में निम्नलिखित अपेक्षाओं का अनुपालन किया जाएगा:

i. भवन में उचित छत के साथ नियमित निर्माण होगा।

ii. भवन में अग्नि संसूचन और फायर अलार्म सिस्टम लगा होगा।

iii. भवन में विद्युतीय सुरक्षा और कीट मुक्त (Bug-free) वातावरण सुनिश्चित किया जाएगा।

iv. शुद्धिकरण सुविधा के साथ साफ और वैकल्पिक की आपूर्ति होगी।

v. आवश्यक सेवाओं के लिए बिजली आपूर्ति का दूसरा स्रोत होगा।

2.3 सुविधाएं

क) प्रशासनिक और संकाय क्षेत्र को निम्नलिखित अपेक्षाओं का अनुपालन पूरा करना होगा:

i. संस्थान के प्रमुख/अध्यक्ष के लिए कम से कम 8 मी² का अलग कक्ष होगा।

ii. प्रत्येक पूर्णकालिक संकाय सदस्य के लिए कम से कम 4मी² का कारपेट क्षेत्र होगा।

iii. संकाय को कुर्सी, टेबल और अलमारी समेत उपयुक्त फर्नीचर दिया जाएगा।

ख) कक्षाकक्षों के लिए निम्नलिखित अपेक्षाओं को पूरा करना होगा:

i. 20 छात्रों तक के लिए आकार संबंधी अपेक्षाएं कम से कम 30 वर्ग मीटर, अधिकतम 24 छात्रों तक के लिए कम से कम 36 वर्ग मीटर और 40 छात्रों तक के लिए कम से कम 50 वर्ग मीटर होगी। कक्षा कक्ष का न्यूनतम आकार 30 वर्ग मीटर होगा।

ii. स्पष्ट दृश्यता सुनिश्चित की जाएगी।

iii. शिक्षकों के लिए ऊँचे मंच, मेज और कुर्सी की व्यवस्था की जाएगी।

iv. प्रत्येक छात्र को डेस्क और कुर्सी प्रदान की जाएगी।

v. सामान्य क्षेत्र और कक्षा के प्रवेश द्वार पर सूचना पट्ट लगाया जाएगा।

vi. उत्तम वेंटिलेशन, प्रकाश और तापमान नियंत्रण की व्यवस्था की जाएगी।

ग) निम्नलिखित शिक्षण सहायक सामग्री उपलब्ध कराई जाएगी:

i. प्रत्येक कक्षा में ओवरहेड प्रोजेक्टर या प्रोजेक्टर सहित कंप्यूटर होंगे।

ii. प्रौद्योगिकी आधारित सहायक सामग्री जैसे शैक्षिक ऐप, इंटरैक्टिव व्हाइटबोर्ड।

iii. लेखन सामग्री के साथ काले या सफेद या स्मार्ट बोर्ड।

iv. दृश्य-श्रव्य उपकरण, मानचित्र और जलयानों के मॉडल।

v. शिक्षण प्रबंधन प्रणालियाँ।

घ) एक समर्पित पुस्तकालय होगा और उसमें निम्नलिखित अपेक्षाओं का पालन किया जाएगा:

i. पाठ्यक्रम के प्रकार के आधार पर 20-50 वर्ग मीटर का क्षेत्रफल।

ii. बैठने की पर्याप्त व्यवस्था, प्रकाश और वेंटिलेशन।

iii. पाठ्यपुस्तकों, प्रकाशनों और संदर्भ सामग्रियों से सुसज्जित।

iv. कम से कम तीन इंटरनेट-सक्षम वर्कस्टेशन उपलब्ध कराए जाएंगे।

ङ) निम्नलिखित सामान्य सुविधाएँ प्रदान की जाएंगी:

i. फोटोकॉपी की सुविधा

ii. स्वच्छ भोजन सेवा सहित जलपान क्षेत्र।

iii. पुरुष और महिला अभ्यर्थियों के लिए अलग-अलग शौचालय की सुविधा, जिसमें प्रति 40 अभ्यर्थियों पर कम से कम एक शौचालय होगा। इसके अतिरिक्त, पुरुष अभ्यर्थियों के लिए अलग मूत्रालय, जहाँ मूत्रालयों की संख्या शौचालयों की संख्या का कम से कम 75% होगी।

iv. इंटरनेट सुविधाएँ।

v. आवासीय पाठ्यक्रमों के लिए मनोरंजन कक्ष और खेल का मैदान।

vi. आवासीय पाठ्यक्रमों के लिए परेड ग्राउंड और सभागार।

2.4. निम्नलिखित शैक्षणिक सुविधाएँ प्रदान की जाएगी:

क) कंप्यूटर प्रशिक्षण

i. कंप्यूटर प्रशिक्षण के लिए समर्पित स्थान होगा।

ii. प्रति 40 अभ्यर्थियों पर कम से कम 5 वर्कस्टेशन उपलब्ध कराए जाएँगे।

ख) नौका कार्य और तैराकी सुविधाएँ

i. यदि परिसर में सुविधा उपलब्ध कराना संभव न हो, तो बाहरी एजेंसियों के साथ औपचारिक समझौता।

ii. स्विमिंग पूल (50 फीट x 30 फीट, गहराई 3-12 फीट) या समान विनिर्देशनों के साथ समझौते के तहत व्यवस्था।

ग) अग्निशमन मॉक-अप

व्यावहारिक प्रशिक्षण के लिए स्वयं की सुविधा या समझौते के तहत व्यवस्था।

घ) खानपान (आवासीय पाठ्यक्रमों अर्थात जीपी रेटिंग पाठ्यक्रमों के लिए)

i. उचित वेंटिलेशन और कीट नियंत्रण के साथ स्वच्छ रसोईघर।

ii. पौष्टिक और ताज़ा भोजन दिया जाता है।

iii. सभी उम्मीदवारों के बैठने के लिए भोजन कक्ष (या आधे अभ्यर्थियों के लिए अलग-अलग भोजन समय के साथ)।

iv. बर्तन और हाथ धोने के लिए धुलाई की सुविधा।

ङ) छात्रावास और आवासीय सुविधाएँ

i. कमरे

क. प्रति कमरा अधिकतम 4 अभ्यर्थी।

ख. प्रति अभ्यर्थी न्यूनतम 4 वर्ग मीटर फर्श क्षेत्र।

ग. रेटिंग अभ्यर्थियों के लिए दो-स्तरीय बंक की अनुमति।

ii. वेंटिलेशन और उपयोगी सुविधाएं

क. पर्याप्त प्रकाश और पंखे सहित प्राकृतिक वेंटिलेशन।

ख. अलमारी, चारपाई, गद्दा और व्यक्तिगत उपयोगी सुविधाएं प्रदान की गई है।

iii. शौचालय सुविधाएँ

क. प्रति 4 अभ्यर्थियों के लिए 1 वॉश बेसिन, 1 शॉवर और 1 शौचालय।

ख. प्रति 20 अभ्यर्थियों के लिए 1 मूत्रालय।

ग. शौचालय सीटों के साथ पश्चिमी शैली के शौचालय।

घ. शॉवर में गर्म पानी के साथ 24 घंटे पानी की आपूर्ति।

iv. लिनेन और लॉण्डरी सुविधा

क. पाठ्यक्रम शुरू होने पर नए लिनेन उपलब्ध कराए जाएँगे।

ख. हर सप्ताह लिनेन बदले जाएँगे।

ग. लॉण्डरी सेवा, आंतरिक या आउटसोर्स, जैसी भी स्थिति हो, प्रदान की जाएगी।

घ. इस्त्री की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी।

भाग 3 - मानव संसाधन

3.1 सामान्य अपेक्षाएं

(क) एक प्रधानाचार्य/अध्यक्ष की नियुक्ति स्थायी रूप से की जाएगी।

(ख) इस अनुसूची के भाग 3.2 के अनुसार, पाठ्यक्रमों के लिए योग्य संकायों की आवश्यकता होगी।

(ग) प्रत्येक श्रेणी के पाठ्यक्रमों में 50% संकाय पूर्णकालिक होने चाहिए।

(घ) अतिथि संकाय, अंशकालिक आधार पर नियुक्त किए जाएँगे।

(ङ) स्थायी संकाय कार्य समय के दौरान उपलब्ध रहेंगे।

(च) 3 माह या उससे अधिक समय के लिए नियोजित संविदा संकाय को स्थायी माना जाएगा।

(छ) उद्योग विशेषज्ञों को अतिथि संकाय के रूप में योगदान देने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।

(ज) प्रत्येक पाठ्यक्रम के लिए एक नामित पाठ्यक्रम प्रभारी नियुक्त किया जाएगा।

(झ) 50% व्याख्यान या प्रशिक्षण स्थायी संकाय द्वारा होंगे।

(ञ) संकाय की शैक्षणिक योग्यताओं पर ज़ोर दिया जाएगा।

(ट) संकाय के लिए उचित रोजगार अनुबंध आवश्यक होंगे।

3.2 अर्हता और छूट

(क) शैक्षणिक योग्यताओं पर ज़ोर दिया जाएगा।

(ख) प्रधानाचार्य/उप-प्रधानाचार्य के पास निम्नलिखित न्यूनतम अर्हताएं होंगी:

मास्टर (एफजी) या मुख्य अभियंता (एमईओ श्रेणी I) के रूप में न्यूनतम सीओसी या भारतीय तटरक्षक, नौसेना या सेना के जलयान के मास्टर या इंजीनियर के रूप में सेवा करने का प्रमाणपत्र (सीओएस) धारक।

(ग) संकाय समय-समय पर आईडब्ल्यूएआई द्वारा अनिवार्य किए गए प्रशिक्षक और मूल्यांकनकर्ता पाठ्यक्रम करेगा।

(घ) अंतर्देशीय जलयान (चालक दल) नियम, 2025 के अनुसार पाठ्यक्रमों के लिए उन संकाय सदस्यों को वरीयता दी जाएगी जिनके पास एम.एससी./एम.टेक/बी.टेक/विषय विशेषज्ञ की डिग्री हो।

(ङ) प्रशिक्षकों को विषय वस्तु में योग्य और अनुभवी होना चाहिए।

(च) संकाय के लिए न्यूनतम और विस्तृत अर्हता अपेक्षाएं इस प्रकार होंगी:

i. नौवहन महानिदेशालय द्वारा जारी मास्टर (विदेश जाने वाला) या समुद्री इंजन - अधिकारी (एमईओ) श्रेणी I सक्षमता प्रमाणपत्र धारक हो, साथ ही जलयानों या राज्य समुद्री बोर्डों या नौवहन या पत्तन महानिदेशालय में प्रमाणपत्रित अधिकारी के रूप में कम से कम 5 वर्ष का अनुभव हो; या

ii. नौवहन महानिदेशालय द्वारा जारी फर्स्ट मेट (विदेश जाने वाला) या समुद्री इंजन - अधिकारी (एमईओ) श्रेणी II योग्यता प्रमाणपत्र धारक हो, साथ ही जलयानों या राज्य समुद्री बोर्डों या नौवहन या पत्तन महानिदेशालय में प्रमाणपत्रित अधिकारी के रूप में कम से कम 7 वर्ष का अनुभव हो; या

iii. न्यूनतम 10 वर्षों के नौकायन अनुभव के साथ मास्टर [तटीय यात्रा जलयान (एनसीवी)] या समुद्री इंजन - अधिकारी (एमईओ) श्रेणी III (तटीय यात्रा जलयान के निकट - मुख्य अभियंता अधिकारी) प्रमाणपत्र धारक हो, जिसमें से कम से कम 5 वर्ष का अनुभव जलयानों या राज्य समुद्री बोर्डों या अंतर्देशीय जल परिवहन या पत्तन या नौवहन महानिदेशालय मास्टर या मुख्य अभियंता के रूप में हों; या

iv. शैक्षणिक अर्हता माध्यमिक विद्यालय प्रमाणपत्र (एसएससी) और उससे ऊपर के साथ अंतर्देशीय जलयान मास्टर श्रेणी I या अंतर्देशीय इंजीनियर प्रमाणपत्र के साथ अंतर्देशीय जलयानों पर प्रमाणपत्रित अधिकारी के रूप में न्यूनतम 15 वर्ष की सेवा, जिसमें से कम से कम 5 वर्ष की सेवा जलयानों या राज्य समुद्री बोर्डों या अंतर्देशीय जल परिवहन या डीजी शिपिंग या पत्तनों पर मास्टर या मुख्य अभियंता के रूप में हो; या

v. भारतीय नौसेना/तटरक्षक बल के कार्मिकों ने न्यूनतम 5 वर्ष के नौकायन अनुभव के साथ दीर्घ नेविगेशन और डायरेक्शन (लॉन्ग एनडी) पाठ्यक्रम किया हो और न्यूनतम 5 वर्ष के शिक्षण अनुभव के साथ शिक्षा अधिकारी हों।

(छ) जीपी रेटिंग पाठ्यक्रमों के लिए संकाय के पास न्यूनतम मास्टर-एनसीवी के रूप में सीओसी धारक, या चीफ मेट (एफजी) या एमईओ श्रेणी III (सीईओ) या एमईओ श्रेणी II या अंतर्देशीय जलयान मास्टर श्रेणी I या अंतर्देशीय जलयान इंजीनियर के रूप में दो वर्ष का अनुभव होना चाहिए।

(ज) बुनियादी सुरक्षा पाठ्यक्रमों अर्थात एसटीसीडब्ल्यू सुरक्षा प्रशिक्षण और एसटीएसडीएसडी पाठ्यक्रम के लिए संकाय न्यूनतम मास्टर-एनसीवी या चीफ मेट (एफजी) या एमईओ श्रेणी III (सीईओ) या एमईओ श्रेणी II के रूप में सीओसी धारक होना चाहिए।

(झ) अंतर्देशीय जलयान मास्टर श्रेणी I या अंतर्देशीय इंजीनियर के पास नौवहन महानिदेशालय द्वारा अनुमोदित बुनियादी सुरक्षा पाठ्यक्रम प्रमाणपत्र होना चाहिए, जिन्हें पाठ्यक्रमों के लिए प्रशिक्षक के रूप में इस्तेमाल किया जा सके।

3.3 शिक्षण घंटे

(क) प्रधानाचार्य/उप-प्रधानाचार्य: प्रति सप्ताह अधिकतम 16 घंटे।

(ख) स्थायी संकाय: प्रति सप्ताह अधिकतम 24 घंटे।

(ग) प्रशिक्षक: प्रति सप्ताह अधिकतम 24 घंटे।

(घ) प्रायोगिक कक्षाओं के लिए शिक्षण घंटे 1.5 गुना बढ़ाए जा सकते हैं।

3.4 आयु एवं चिकित्सीय योग्यता

(क) निम्नलिखित के लिए अधिकतम आयु सीमा:

i. प्रधानाचार्य या स्थायी संकाय के लिए 70 वर्ष;

ii. अतिथि संकाय के लिए 72 वर्ष;

iii. प्रशिक्षक के लिए 65 वर्ष।

(ख) कर्मचारी चिकित्सीय रूप से स्वस्थ और स्पष्ट संवाद करने में सक्षम होना चाहिए।

3.5 संकाय भार मैट्रिक्स/विवरण

(क) आईवीएनटीआई, संस्थान की वेबसाइट और केंद्रीकृत वेब पोर्टल पर कर्मचारियों का विवरण हर समय अद्यतन रखेगा।

(ख) जब भी प्रधानाचार्य, संकाय और प्रशिक्षक में कोई परिवर्तन होता है, तो आईवीएनटीआई को संपूर्ण संकाय भार मैट्रिक्स नए सिरे से अपलोड करना होगा। यदि कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो संपूर्ण संकाय लोड मैट्रिक्स हर छह माह में अपलोड किया जाना चाहिए।

भाग 4 – आईवीएनटीआई के लिए प्रशासनिक अपेक्षाएं

4.1 विज्ञापन/ब्रोशर/प्रॉस्पेक्टस और वेबसाइट

(क) आईवीएनटीआई का प्रचार करने वाले विज्ञापनों में पूर्ण प्रकटीकरण आवश्यक होगा।

(ख) विज्ञापनों, ब्रोशर या प्रॉस्पेक्टस में संस्थान द्वारा ऑन-बोर्ड प्रशिक्षण के बारे में विवरण शामिल होना चाहिए।

(ग) संस्थान द्वारा कोई भ्रामक दावा नहीं किया जाना चाहिए।

4.2 प्रवेश मानक

(क) किसी अनुमोदित प्रशिक्षण संस्थान में प्रवेश पाने के इच्छुक किसी भी भारतीय नागरिक को अंतर्देशीय जलयान (चालक दल) नियम, 2025 के अंतर्गत निर्दिष्ट पात्रता मानदंडों को पूरा करना होगा।

(ख) किसी अनुमोदित प्रशिक्षण संस्थान में प्रवेश पाने के इच्छुक किसी भी विदेशी नागरिक को अपेक्षित समकक्ष अर्हताएं पूरी करनी होंगी।

4.3 दस्तावेजों का सत्यापन

(क) संस्थान प्रवेश से पहले मूल दस्तावेजों की जांच करेगा।

(ख) संस्थान पाठ्यक्रम पूरा होने पर मूल प्रमाण पत्र जारी करेगा।

4.4 पाठ्यक्रम शुल्क

(क) पाठ्यक्रम शुल्क अलग-अलग संस्थानों द्वारा निर्धारित किया जाएगा।

(ख) अनुमोदित प्रशिक्षण संस्थान द्वारा एक समान शुल्क संरचना निर्दिष्ट की जाएगी।

लेकिन यह अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग और महिलाओं के अभ्यर्थियों के लिए अलग-अलग शुल्क संरचनाएँ निर्दिष्ट की जा सकती हैं, जो एक समान शुल्क संरचना से कम हों।

(ग) आईवीएनटीआई अभ्यर्थी को शुल्क के लिए उचित रसीदें देगा। आईवीएनटीआई नकद में कोई शुल्क नहीं लेगा।

4.5 व्यावहारिक प्रशिक्षण

(क) संस्थान द्वारा सभी व्यावहारिक प्रशिक्षणों की अनिवार्य वीडियो रिकॉर्डिंग की जाएगी।

4.6 बैच विवरण

(क) संस्थान निर्धारित समय के भीतर संस्थान की वेबसाइट और केंद्रीकृत वेब पोर्टल पर बैच विवरण अपलोड करेगा।

4.7 बायोमेट्रिक उपस्थिति

(क) 6 दिनों से कम अवधि वाले पाठ्यक्रमों के लिए न्यूनतम उपस्थिति 100% और अन्य सभी पाठ्यक्रमों के लिए 80% होगी।

(ख) सभी कर्मचारियों और अभ्यर्थियों के लिए बायोमेट्रिक उपस्थिति अनिवार्य होगी।

4.8 पाठ्यक्रम का संचालन

(क) संस्थान आईडब्ल्यूएआई द्वारा प्रकाशित पाठ्यक्रम दिशानिर्देशों और पाठ्यक्रम का पालन करेगा और समय-समय पर विषयवस्तु को अद्यतन करेगा।

(ख) मासिक समय-सारिणी आईवीएनटीआई की वेबसाइट पर प्रकाशित की जाएगी।

(ग) पाठ्यक्रम केवल दिन के समय ही संचालित किए जाएँगे।

(घ) आंशिक पाठ्यक्रम संचालन की अनुमति नहीं है, अर्थात पाठ्यक्रम सामग्री को पूरी तरह से कवर किया जाना चाहिए।

(ङ) कुछ पाठ्यक्रमों के लिए अलग-अलग बैचों की अनुमति दी जा सकती है।

(च) बैच संख्या प्रणाली प्रत्येक वर्ष 001 से शुरू होगी।

(छ) वर्ष को कैलेंडर वर्ष माना जाएगा।

4.9 मूल्यांकन एवं मॉनीटरिंग

(क) आईवीएनटीआई सतत मूल्यांकन प्रणाली लागू करेगा।

4.10 अंतिम जलयान परीक्षा

(क) अंतर्देशीय जलयान (चालक दल) नियम, 2025 और आईडब्ल्यूएआई द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार अंतिम परीक्षाएँ आयोजित की जाएँगी।

(ख) अनुत्तीर्ण अभ्यर्थियों के लिए पुन: परीक्षा।

4.11 प्रमाणपत्र जारी करना

(क) पाठ्यक्रम पूरा करने के प्रमाणपत्र का प्रारूप आईडब्ल्यूएआई द्वारा निर्दिष्ट किया जाएगा।

(ख) संस्थान सभी प्रमाणपत्रों परआईवीएनटीआई क्रमांक डालेगा।

(ग) सिस्टम से निकाली गई प्रमाणपत्र संख्याओं का उपयोग करें।

(घ) अधिकृत हस्ताक्षरकर्ताओं को प्रमाणपत्र पर हस्ताक्षर करना आवश्यक होगा।

4.12 वर्दी और पहचान पत्र

(क) परिसर में शिक्षकों और अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित वर्दी पहनना अनिवार्य है।

(ख) सभी कर्मचारियों, शिक्षकों और अभ्यर्थियों के पास लेमिनेटेड फोटो पहचान पत्र होना अनिवार्य है।

4.14 वेल्यू- एडेड पाठ्यक्रम

(क) प्रत्येक आईवीएनटीआई मूल्यवर्धित पाठ्यक्रम शुरू करने की सूचना प्रदान करेगा और यह सुनिश्चित करेगा कि किसी अन्य मूल्यवर्धित पाठ्यक्रम के संचालन के कारण सांविधिक पाठ्यक्रमों से समझौता न किया जाए।

(ख) मूल्यवर्धित पाठ्यक्रमों के लिए एक अस्वीकरण जोड़ा जाएगा जिसमें कहा जाएगा कि वे गैर-सांविधिक हैं।

4.15 फीडबैक तंत्र

(क) अनिवार्य फीडबैक तंत्र लागू करें और पाठ्यक्रम पूरा होने पर अभ्यर्थियों से फीडबैक प्राप्त करें।

4.16 रैगिंग पर प्रतिबंध

(क) आईवीएनटीआई रैगिंग रोकने के लिए कड़े कदम उठाएगा।

(ख) आईवीएनटीआई सभी मामलों की रिपोर्ट अनुमोदन प्राधिकारी को देगा।

4.17. जलयान पर प्रशिक्षण के लिए छात्रों का प्लेसमेंट

प्रत्येक आईवीएनटीआई में एक प्लेसमेंट सेल होगा जो अंतर्देशीय जलयानों पर प्लेसमेंट प्रदान करने का प्रयास करेगा।

4.18 अभिलेख

आईवीएनटीआई निम्नलिखित अभिलेखों को 5 वर्षों तक बनाए रखेगा, जिन्हें सत्यापन के लिए तत्काल उपलब्ध कराया जाएगा:

क) इस अनुसूची के अंतर्गत दी गई अंतिम स्वीकृति

ख) स्वामित्व का प्रमाण या वैध पट्टा विलेख

ग) स्विमिंग पूल और ऐसी अन्य सुविधाओं के लिए टाई-अप या कोई अन्य समझौता, यदि कोई हो

घ) प्रवेश अभिलेख

ङ) व्यावहारिक प्रशिक्षण सुविधा विवरण, प्रकार अनुमोदन आदि से संबंधित दस्तावेज़, जैसे अग्नि मॉक-अप, स्विमिंग पूल, जलाशय, प्रकार अनुमोदन, भार परीक्षण आदि।

च) अंतिम व्यापक निरीक्षण कार्यक्रम रिपोर्ट, आकस्मिक निरीक्षण रिपोर्ट, गुणवत्ता लेखा परीक्षा रिपोर्ट

छ) प्रकाशित विज्ञापन और ब्रोशर

ज) पूर्ण संकाय लोड मैट्रिक्स

झ) पूर्ण कक्षा उपयोग चार्ट

ञ) अभ्यर्थियों के प्लेसमेंट का रिकॉर्ड

ट) आवेदन पत्र और सभी सहायक दस्तावेजों की संबंधित अभ्यर्थी द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित सत्यापित प्रति।

ठ) अभ्यर्थी से ली गई फीस का रिकॉर्ड

ड) प्रधानाचार्य, स्थायी संकाय, अतिथि संकाय, प्रशिक्षकों की बायोमेट्रिक उपस्थिति रिपोर्ट

ढ) परीक्षा के बाद कम से कम बारह माह तक उत्तर-पुस्तिकाएँ और अन्य मूल्यांकन रिकॉर्ड। इसके अलावा, अनुमोदित या अधिकृत एजेंसी प्रशिक्षण की सामान्य गुणवत्ता का आकलन करने के लिए औचक/वार्षिक निरीक्षण के दौरान कुछ अभ्यर्थियों से प्रश्न भी पूछ सकती है।

ण) संकाय/प्रशिक्षक प्रशिक्षण और संकाय/प्रशिक्षक मूल्यांकन का रिकॉर्ड।

त) अतिथि संकाय द्वारा लिखित घोषणा का रिकॉर्ड जिसमें यह उल्लेख हो कि वह एक सप्ताह में 18 घंटे से अधिक व्याख्यान नहीं देगा।

थ) 65 वर्ष से अधिक आयु के प्रधानाचार्य, संकाय और प्रशिक्षकों की वार्षिक चिकित्सा स्वस्थता का रिकॉर्ड

द) रैगिंग के सभी मामलों का रिकॉर्ड, चाहे वे कितने भी छोटे क्यों न हों और संस्थान द्वारा उन पर की गई कार्रवाई

ध) अभ्यार्थियों और हितधारकों से कागजी/इलेक्ट्रॉनिक रूप में प्राप्त फीडबैक डेटा

भाग 5 - निरीक्षण और अनुशासनात्मक कार्रवाई

क) निरीक्षण

i. क्षेत्रीय निरीक्षण समिति प्रत्येक दो वर्ष में निरीक्षण कर सकती है और अनुमोदन प्राधिकारी की अनुमति से औचक निरीक्षण भी कर सकती है।

ii. निरीक्षणों में इस अनुसूची के भाग 4 में निर्दिष्ट प्रशासनिक अपेक्षाओं के अनुपालन की पुष्टि की जाएगी।

iii. निरीक्षण रिपोर्ट संस्थानों को 7 दिनों के भीतर भेजी जाएगी जिसमें कमियों और सुधार की समय-सीमा का उल्लेख होगा।

ख) व्यापक निरीक्षण कार्यक्रम (सीआईपी)

i. आईवीएनटीआई का पाँच वर्षों के अंतराल पर सीआईपी निरीक्षण किया जाएगा।

ii. अनुमोदन प्राधिकारी संस्थान को एक ग्रेडिंग प्रदान करेगा (मूल्यांकन चेकलिस्ट के अनुसार संस्थान द्वारा प्राप्त क्रेडिट अंकों के आधार पर), जो पाठ्यक्रमों के लिए संस्थान की समग्र ग्रेडिंग को दर्शाता हो, जैसा कि नीचे दी गई तालिका में दिखाया गया है:

तालिका 1: ग्रेडिंग स्केल

क्र सं.	% क्रेडिट अंकों का स्कोर	ग्रेड	टिप्पणियाँ
1	80% और अधिक	क1	उत्कृष्ट
2.	70-79.9%	क2	बहुत अच्छा
3.	60-69.9%	ख1	अच्छा

4.	50-59.9%	ख2	औसत
5.	40-49.9%	ग1	औसत से नीचे
6.	40% से नीचे	ग2	खराब

iii. यह ग्रेडिंग सीआईपी के आयोजन की तिथि से पाँच वर्षों तक वैध रहेगी, जब तक कि संबंधित अनुमोदन प्राधिकारी द्वारा इसे रद्द न कर दिया जाए। हालाँकि, अनुमोदन प्राधिकारी वार्षिक निरीक्षणों के दौरान या संस्थान के अनुरोध पर अतिरिक्त निरीक्षणों के आधार पर ग्रेडिंग को पुनः निर्धारित कर सकता है।

ग) ग्रेडिंग की कार्यप्रणाली आईडब्ल्यूएआई द्वारा निर्दिष्ट की जाएगी।

घ) निरीक्षण के लिए बाह्य सहायता

i. अनुमोदन प्राधिकारी निरीक्षण में सहायता के लिए बाह्य सदस्यों को नियुक्त कर सकता है।

ii. बाह्य निरीक्षकों को निम्नलिखित अपेक्षाओं को पूरा करना होगा:

क. 72 वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिए

ख. मास्टर (एफजी) या एमईओ श्रेणी-I के रूप में सीओसी धारक होना चाहिए

ग. आईएसओ लीड ऑडिटर कोर्स पूरा किया होना चाहिए

ङ) अंतिम रूप से दिए गए अनुमोदन का निलंबन और वापसी

i. अनुमोदन प्राधिकारी आईवीएनटीआई को अंतिम रूप से दिए गए अनुमोदन को निलंबित या रद्द कर सकता है यदि:

क. उसके पास यह मानने का कारण हो कि ऐसे संस्थान ने इस अनुसूची के अंतर्गत किए गए किसी निरीक्षण या अन्यथा के परिणामस्वरूप, इस अनुसूची में निर्दिष्ट किसी मानक का उल्लंघन किया है; या

ख. सीआईपी के संचालन के बाद आईवीएनटीआई को दी गई ग्रेडिंग औसत से कम या खराब है।

ii. अनुमोदन प्राधिकारी, आईवीएनटीआई के स्वामी को सुनवाई का अवसर देने के बाद, आईवीएनटीआई को निलंबन का नोटिस जारी करेगा जिसमें सुधारी जाने वाली त्रुटियों और आईवीएनटीआई द्वारा पालन की जाने वाली शर्तों के साथ-साथ उस समयावधि का भी उल्लेख होगा जिसके भीतर ऐसा सुधार ऐसे नोटिस जारी होने की तिथि से किया जाना है। लेकिन यह आईवीएनटीआई द्वारा इस अनुसूची से किसी बड़ी कमी या बड़ी असमान्यता की स्थिति में, अनुमोदन प्राधिकारी तुरंत निलंबन का नोटिस जारी कर सकता है।

iii. निलंबन का नोटिस जारी होने के बाद, आईवीएनटीआई तब तक किसी नए छात्र को प्रवेश नहीं देगा जब तक कि निलंबन के नोटिस में निर्दिष्ट त्रुटियों और शर्तों का आईवीएनटीआई द्वारा ऐसे नोटिस में निर्दिष्ट अवधि के भीतर पालन नहीं कर लिया जाता।

iv. आईवीएनटीआई द्वारा निलंबन नोटिस के ऐसे नोटिस में निर्दिष्ट अवधि के भीतर अनुपालन न किए जाने की स्थिति में, अनुमोदन प्राधिकारी आईवीएनटीआई के स्वामी को सुनवाई का अवसर देने के बाद, अनुपालन न किए जाने को दर्ज करते हुए अंतिम रूप से दिए गए अनुमोदन को रद्द करने का नोटिस जारी कर सकता है, जो तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

v. आपात स्थिति में, अनुमोदन प्राधिकारी निरीक्षणों या अभिलेख में दर्ज अन्य सामग्री के आधार पर किसी भी संस्थान को कमियों को दूर करने के निर्देश जारी कर सकता है।

vi. अनुमोदन प्राधिकारी द्वारा अंतिम रूप में दिए गए अनुमोदन को वापस लिए जाने के बाद कोई भी आईवीएनटीआई संचालित नहीं होगा।

च) अनुमोदनों का प्रदर्शन

अनुमोदन प्राधिकारी द्वारा जारी सभी अनुमोदन, यदि कोई हों, प्रशिक्षण संस्थान और उसकी वेबसाइट पर प्रदर्शित किए जाएँगे।

छ) पाठ्यक्रमों को बंद करना/संस्थान का बंद होना

i. प्रत्येक IVNTI किसी विशेष पाठ्यक्रम को बंद करने या संस्थान को बंद करने से पहले, अनुमोदन प्राधिकारी को तीन माह पहले सूचना देगा।

लेकिन यह पाँच बुनियादी सुरक्षा पाठ्यक्रमों के संयुक्त पैकेज में से अलग-अलग बुनियादी सुरक्षा पाठ्यक्रम बंद नहीं किए जाएँगे।

ii. मौजूदा बैचों के पाठ्यक्रम उनके पूरा होने तक जारी रहेंगे और पाठ्यक्रम के बंद होने या संस्थान के बंद होने से किसी भी मौजूदा बैच पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

अनुसूची-II

मास्टर के जिम्मेदारियां एवं अधिकार

(नियम 7(3) देखें)

जलयान पर संपूर्ण ज़िम्मेदारी मास्टर की होती है। कंपनी की ओर से सहायता केवल सलाह के रूप में दी जाएगी, अंतिम निर्णय और ज़िम्मेदारी मास्टर पर छोड़ दी जाएगी।

वह जलयान की उचित सुरक्षा और रखरखाव के लिए ज़िम्मेदार है, जिसमें जलयान पर सवार सभी व्यक्तियों को कार्य सौंपना शामिल है, जिनमें शामिल हैं:

- निगरानी
- रखरखाव योजना और अनुवर्ती कार्रवाई
- आपातकालीन उपाय और अभ्यास
- कार्गो प्रचालन
- सुरक्षित पोत प्रचालन से संबंधित सभी कार्य।

मास्टर यह सुनिश्चित करेगा कि सभी आपातकालीन प्रक्रियाओं को नियोजन, प्रशिक्षण और अभ्यास के माध्यम से परिभाषित किया जाए और बनाए रखा जाए ताकि दुर्घटनाओं/घटनाओं की स्थिति में परिणामों को न्यूनतम किया जा सके, जिसमें प्रदूषण-रोधी और सुरक्षा उपाय भी शामिल हैं, जो चालक दल, जलयान और पर्यावरण के सर्वोत्तम हित में हों।

उसे यह सुनिश्चित करना होगा कि सभी जीवन रक्षक और सुरक्षा उपकरण हर समय नियमों के अनुसार उचित हालत में रखे जाएँ।

मास्टर कंपनी को उन सभी दोषों और अन्य मामलों की रिपोर्ट करने के लिए ज़िम्मेदार है जो जलयान के सुरक्षित संचालन को प्रभावित कर सकते हैं या प्रदूषण का जोखिम पैदा कर सकते हैं, और जिनके लिए कंपनी की सहायता की आवश्यकता होती है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उन्हें सभी संबंधित जलयानों पर ठीक किया जाए और लागू किया जाए।

मास्टर निम्नलिखित द्वारा जारी नियमों और विनियमों के अनुसार जलयान के लिए ज़िम्मेदार है:

• राष्ट्रीय प्राधिकरण

• राज्य सरकारें/समुद्री बोर्ड

• वर्गीकरण समितियाँ

और उसे परिस्थितियों के अनुसार उचित निर्णय लेने का पूर्ण अधिकार उत्तम है।

मास्टर हर समय सुरक्षित नौचालन, चालक दल के संबंध, खानपान और कल्याण, उत्तम अनुशासन, चालक दल के प्रदर्शन, प्रशिक्षण के मूल्यांकन, अभिज्ञता और कार्य मनोबल के लिए ज़िम्मेदार होता है।

मास्टर जलयान पर सभी आवश्यक रिपोर्टिंग और संपर्क के लिए ज़िम्मेदार होता है। वह कंपनी, मालिकों और चार्टरकर्ताओं का प्रतिनिधित्व करता है, और आवश्यकता पड़ने पर कंपनी, स्वामियों, चार्टरकर्ताओं और किसी भी तीसरे पक्ष के लिए रिपोर्टिंग लाइन का काम करता है।

मास्टर जलयान, चेस्ट, प्रावधानों, खरीद पर नियंत्रण और यदि आवश्यक हो, तो किसी भी विसंगति की रिपोर्ट करने के लिए ज़िम्मेदार होता है।

उसका एक मुख्य कार्य खुद को पेशेवर रूप से अद्यतन रखना, जलयान के कर्मचारियों को अपना अनुभव प्रदान करना है ताकि अनुभव और पेशेवर अद्यतनीकरण बढ़ सके।

जैसा कि आगे के विषयों में वर्णित है, मास्टर जलयान से कंपनी या किसी तृतीय पक्ष को डेटा की फीडबैक लाइन के लिए ज़िम्मेदार है।

संक्षेप में, यह कहा जा सकता हैं कि:

मास्टर सभी अनिवार्य नियमों के अनुसार अपने जलयान के यात्रा करने के उपयुक्त होने, नौचालन, कार्गो और रखरखाव के लिए ज़िम्मेदार है। वह सभी दोषों की पहचान करने, कंपनी, वर्गीकरण समिति, और यदि आवश्यक हो तो किसी भी तृतीय पक्ष को उनकी सूचना देने और यदि यह संभव न हो, तो जलयान पर सीधे उनका समाधान करने के लिए ज़िम्मेदार है। मास्टर तट-आधारित प्रबंधन को जानकारी प्रदान करने में सहायता करेगा। इस मामले में, दोनों पक्षों के बीच उत्तम संचार अत्यंत महत्वपूर्ण है।

मास्टर जलयान पर सभी रिपोर्टिंग दायित्वों के लिए ज़िम्मेदार है।

प्रपत्र संख्या 1

सक्षमता प्रमाणपत्र के लिए चिकित्सा प्रमाणपत्र
[नियम 8 (1) (ग), 9 (1) (ग), 10 (1) (ग), 15 (1) (ग), 16 (1) (ग), 17 (ग) और 19 (1) (घ) देखें]
(विधिवत पंजीकृत एमबीबीएस चिकित्सक द्वारा भरा जाना है)

1. आवेदक का नाम:

2. पहचान पत्र का प्रकार और संख्या

3. पहचान चिह्न (1)
(2)

4. (क) क्या आपके विचार से आवेदक को कोई दृष्टि दोष है? हाँ/नहीं
यदि हाँ, तो क्या उपयुक्त चश्मे से इसे ठीक किया गया है? हाँ/नहीं

ख. क्या आवेदक आपकी पूरी जांच के अनुसार पिगमेंट के रंगों, लाल और हरा को आसानी से पहचान सकता है? हाँ/नहीं

ग. आपकी राय में, क्या उसे दिन के समय पर्याप्त उजाले में 25 मीटर की दूरी से चीजें दिखाई देती हैं? हाँ/नहीं

घ. आपकी राय में, क्या आवेदक को कोई बहरापन है जिससे उसे सामान्य ध्वनि संकेत सुनने में कठिनाई हो? हाँ/नहीं

ङ. आपकी राय में, क्या आवेदक को रात के समय देखने में कठिनाई होती है?

या कोई विकृति या किसी अंग की कमी है, जो उसे चालक के रूप में अपने कर्तव्यों के कुशल निर्वहन में बाधा डालेगी? हाँ/नहीं

यदि हाँ, तो अपने कारण विस्तार से बताएँ:

मैं प्रमाणित करता/करती हूँ कि मैंने आवेदक का स्वयं परीक्षण किया है..... मैं यह भी प्रमाणित करता/करती हूँ कि आवेदक की जाँच करते समय मैंने उसकी दूर की दृष्टि और श्रवण क्षमता, उसकी भुजाओं, पैरों, सिर, दोनों हाथ-पैरों के अंगों के जोड़ों की स्थिति पर विशेष ध्यान दिया है और जहां तक मेरा निर्णय है, वह ड्राइविंग लाइसेंस रखने के लिए चिकित्सकीय रूप से अर्हरक/निरर्हरक है।

आवेदक निम्नलिखित कारणों से लाइसेंस रखने के लिए चिकित्सकीय रूप से निरर्हरक है:-

हस्ताक्षर

1. चिकित्सा अधिकारी/चिकित्सक का नाम और पदनाम
(मुहर)

2. चिकित्सा अधिकारी का पंजीकरण क्रमांक

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान

दिनांक:

टिप्पणी: चिकित्सा अधिकारी फोटोग्राफ पर इस प्रकार हस्ताक्षर करेगा कि उसके हस्ताक्षर का कुछ भाग फोटोग्राफ पर तथा कुछ भाग प्रमाण पत्र पर हो।

प्ररूप 2

[नियम 18(3) देखें]

सेवा प्रमाणपत्र

नाम	:	
पुत्र/पत्नी/पुत्री	:	
स्थायी पता	:	
वर्तमान पता	:	
जन्म तिथि	:	
जन्म स्थान	:	
लंबाई	:	
पहचान चिह्न	:	**(2)**

फोटो

हस्ताक्षर या बायें अंगूठे का निशान

सेना/नौसेना/तटरक्षक बल में आपके सेवा रिकॉर्ड, आपके मेडिकल फिटनेस प्रमाणपत्र और 5 बुनियादी सुरक्षा पाठ्यक्रम प्रमाणपत्रों के साथ _____ के लिए प्रारंभिक पाठ्यक्रम के मूल्यांकन के आधार पर, आपको अंतर्देशीय यांत्रिक रूप से चालित जलयान (सीमाएँ, यदि कोई हों) पर _____(मास्टर/सेरांग/इंजीनियर/प्रथम श्रेणी इंजन चालक/द्वितीय श्रेणी इंजन चालक) के कार्यों को पूरा करने के लिए विधिवत अर्हक पाया गया है। मैं अंतर्देशीय

जलयान नियम, 2025 के तहत जारी नियमों के प्रावधानों के तहत आपको अंतर्देशीय यांत्रिक रूप से चालित जलयान (सीमाएँ, यदि कोई हों) पर _____(प्रथम श्रेणी मास्टर/द्वितीय श्रेणी मास्टर/सेरांग/इंजीनियर/प्रथम श्रेणी इंजन चालक/द्वितीय श्रेणी इंजन चालक/लास्कर) के रूप में योग्यता प्रमाणपत्र प्रदान करता/करती हूँ।

दिनांक:_____

स्थान:_____

प्रमुख परीक्षक के हस्ताक्षर

प्ररूप 3

सक्षमता प्रमाण-पत्र के लिए आवेदन पत्र

अंतर्देशीय पोत के इंजीनियर/इंजन चालक/सेरांग के रूप में कार्य करने हेतु सक्षमता प्रमाणपत्र हेतु आवेदन

भाग-क

आवेदक का पासपोर्ट आकार का फोटो

व्यक्तिगत विवरण

1. पूरा नाम :-
2. उपनाम :-
3. राष्ट्रीयता :-
4. स्थायी पता :-
5. जन्म तिथि :-
6. जन्म स्थान :-

भाग -ख

सभी पूर्व प्रमाणपत्रों (यदि कोई हो), का विवरण

1. क्रमांक :-
2. सेवा की सक्षमता :-
3. ग्रेड :-
4. कहां जारी किया गया :-
5. जारी करने की तिथि :-
6. क्या प्रमाण पत्र कभी न्यायालय या प्राधिकारी द्वारा निलंबित या रद्द किया गया है (यदि हां, तो विवरण प्रदान करें).....

भाग -ग

अब अपेक्षित प्रमाणपत्र है

1. ग्रेड :-

2. सक्षमता :-

भाग -घ

क्या आपने इस परीक्षा के लिए पहले तैयारी की है? हाँ/नहीं।

यदि हाँ, तो वर्ष और माह का उल्लेख करें

भाग – ड

आवेदक को यह घोषणा करनी होगी:

टिप्पण: कोई भी व्यक्ति, जो अपने लिए या किसी अन्य व्यक्ति के लिए सक्षमता अथवा सेवा प्रमाणपत्र प्राप्त करने के लिए कोई भी मिथ्या अभ्यावेदन प्रस्तुत करता/करती है, बनाए जाने के लिए कहता/ कहती है अथवा इसे बनाए जाने में सहायता करता/करती है, को धोखाधड़ी के लिए भारतीय दंड संहिता की धारा 420 के तहत और साथ ही, भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 182 के तहत सरकारी कर्मचारी को जानबूझकर गलत जानकारी देने के लिए प्रत्येक अपराध के लिए दंडित किया जा सकता है।

घोषणा

मैं यह घोषणा करता/करती हूँ कि इस प्रारूप के भाग क, ख, ग, घ और ड में दी गई जानकारी मेरी जानकारी और विश्वास के अनुसार सही और सच्ची है, और भाग-छ में वर्णित और इस प्ररूप के साथ भेजे गए दस्तावेज सही और वास्तविक हैं, जो व्यक्तियों के द्वारा प्रदान किए गए और हस्ताक्षरित हैं, जिनके नाम उन पर अंकित हैं, मैं यह भी घोषणा करता/करती हूँ कि भाग छ में दिया गया विवरण, बिना किसी अपवाद के, मेरी पूरी सेवा का सत्य और सही ब्यौरा है।

दिनांक: _____

आवेदक के हस्ताक्षर:

वर्तमान पता:_____

_____

_____

भाग- च

परीक्षक का प्रमाणपत्र

उपर्युक्त भाग-ड के अंतर्गत घोषणा पर मेरी उपस्थिति में हस्ताक्षर किए गए और..... रु की फीस प्राप्त हुई।

तारीख: परीक्षक

भाग-छ

नदियों, किनारे या समुद्र पर संगत दस्तावेजों और सेवा विवरण की सूची

1. यदि जलयान पर कार्य किया हो

(i) संगत दस्तावेजों या प्रमाणपत्र की संख्या (यदि कोई हो):-

(ii) जलयान का नाम, जहाँ नियोजित किया गया:-

(iii) इंजन की हॉर्स पावर, जिस पर काम किया गया:-

(iv) जलयान का पंजीयन पत्तन और आधिकारिक नं.

2. आवेदक का सेवा संबंधी विवरण:

(i) क्षमता:-

(ii) नियुक्ति की तारीख

(iii) सेवा समापन या छोड़ने की तारीख

(iv) बताएं, क्या सेवा जारी है

(v) सेवा की कुल अवधि

क) वर्ष:

ख) माह:

क) दिन:

(vi) कुल सेवाकाल

(vii) तट या नदी पर कुल सेवाकाल:

(viii) सेवाकाल की अवधि, जिसके लिए अब प्रमाणपत्र प्रस्तुत किए गए हैं:-

(ix) सेवाकाल की अवधि, जिसके लिए कोई प्रमाणपत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है:-

भाग-ज

परीक्षक का प्रमाणपत्र

नोट:- परीक्षक को भाग-ज और झ भरकर, इस प्रपत्र को टेस्टिमोनियल और अन्य प्रमाापत्रों के साथ मुख्य परीक्षक को अग्रेषित करना चाहिए।

1. परीक्षा की तारीख और स्थान

2. प्रत्येक मद में नीचे सफल अथवा असफल लिखें:

(i)लिखित परीक्षा में:

(ii) मौखिक परीक्षा में:

3. रैंक, जिसमें लिए उत्तीर्ण किया गया:

भाग- झ

आवेदक का व्यक्तिगत विवरण

1. लंबाई:
   मीटर सेंटीमीटर

2. रूप-रंग:
3. व्यक्तिगत चिह्न निशान या विशेषता, यदि कोई हो,
4. निम्नलिखि का रंग

(क) बाल:-

(ख) आँखें:-

मैं प्रमाणित करता/करती हूँ कि भाग-ज और भाग- I में दी गई जानकारी सही है।

तारीख.....

स्थान.....

"प्ररूप नं. 4

…….. सरकार
सक्षमता प्रमाण-पत्र (सीओसी)

अंतर्देशीय जलयान अधिनियम 2021 के तहत किसी अंतर्देशीय जलयान के

मास्टर प्रथम श्रेणी / मास्टर द्वितीय श्रेणी / मास्टर तृतीय श्रेणी (सेरंग)

सीओसी नं. ……

जारीकर्ता प्राधिकारी का पता

जारीकर्ता प्राधिकारी का संपर्क नं.:……
सेवा में,

…………………………………………………………जबकि अंतर्देशीय जलयान अधिनियम 2021 की धारा 36 के तहत नियुक्त परीक्षक द्वारा प्रदान की गई रिपोर्ट के मूल्यांकन पर, आपको यंत्रवत् चालित अंतर्देशीय जलयान पर मास्टर प्रथम/द्वितीय/तृतीय श्रेणी की सेवा करने के लिए विधिवत योग्य पाया गया है, मैं, एतद्वारा उक्त अधिनियम की धारा 38 के अनुसरण में, आपको अंतर्देशीय जलयान के मास्टर प्रथम श्रेणी/मास्टर द्वितीय श्रेणी/मास्टर तृतीय श्रेणी (सेरंग) के रूप में यह सक्षमता प्रमाण-पत्र प्रदान करता/ करती हूँ।

यह दिनांक ………/………/………..... को जारी किया गया
………/…………/……………. तक वैध
यह सीओसी पूरे भारत में मान्य है। अतिरिक्त सक्षमता का अनुपालन पृष्ठ 9/10 पर पृष्ठांकित किया जाना है।

हस्ताक्षर और मुहर	हस्ताक्षर और मुहर
(जांच प्राधिकारी)	(जारी करने वाला प्राधिकारी)

जन्मतिथि: ………./………../…………….
जन्म स्थान: ……………………………………………………..
पता: ……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………..

परीक्षा उत्तीर्ण: ……………… को ………………… : ……………………

अभ्यर्थी का फोटो

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

पूर्व सक्षमता प्रमाण-पत्र (सीओसी) का विवरण
सीओसी संख्या: ……………………… ग्रेड: ………………………….
जारी करने की तिथि: ……………/…………../…………………..

दिनांक: ………………………… को ………………………….. पर सुपुर्द किया गया

विधिवत प्राधिकृत अधिकारी का नाम और हस्ताक्षर
सीमा (यदि कोई हो)

अनुमोदन (विशेष श्रेणी जलयान)

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

नौचालन क्षेत्र के लिए विशिष्ट अतिरिक्त सक्षमता

टिप्पण:

1. अंतर्देशीय जलयान के किसी द्वितीय श्रेणी मास्टर को, जो उस प्रमाण-पत्र को नहीं सौंपता है जिसे रद्द या निलंबित किया गया है, अंतर्देशीय जलयान अधिनियम, 2021 की धारा 40 और धारा 79 के तहत दंडित किया जा सकता है।
2. इस प्रमाण-पत्र के धारक को छोड़कर किसी भी व्यक्ति से,जिसे यह प्रमाण-पत्र प्राप्त होता है, जारीकर्ता प्राधिकारी को तुरंत सूचित करना अपेक्षित है।"

प्ररूप नं. 5

……..सरकार

सक्षमता प्रमाण-पत्र (सीओसी)

आई.वी. अधिनियम 2021 के तहत अंतर्देशीय जलयान का

इंजन चालक प्रथम श्रेणी / इंजन चालक द्वितीय श्रेणी / अंतर्देशीय जलयान इंजीनियर

सीओसी नं. ……

जारीकर्ता प्राधिकारी का पता

जारीकर्ता प्राधिकारी का संपर्क नं.: ……

सीओसी नं. …….

सेवा में,

……जबकि अंतर्देशीय जलयान अधिनियम 2021 की धारा 36 के तहत नियुक्त परीक्षक द्वारा प्रदान की गई रिपोर्ट के मूल्यांकन पर, आपको यंत्रवत् चालित अंतर्देशीय जलयान पर इंजन चालक प्रथम श्रेणी / इंजन चालक द्वितीय श्रेणी / अंतर्देशीय जलयान इंजीनियर के रूप में सेवा करने के लिए विधिवत योग्य पाया गया है, मैं उक्त अधिनियम की धारा 37 के अनुसरण में, आपको अंतर्देशीय जलयान के इंजन चालक प्रथम श्रेणी / इंजन चालक द्वितीय श्रेणी / अंतर्देशीय पोत इंजीनियर के रूप में यह सक्षमता प्रमाण-पत्र प्रदान करता/करती हूँ।

दिनांक ………/……..…/……….. को जारी किया गया

यह सीओसी संपूर्ण भारत में मान्य है।

हस्ताक्षर और मुहर (जांच प्राधिकारी)

हस्ताक्षर और मुहर (जारी करने वाला प्राधिकारी)

जन्म तिथि: …….…/……..…./…………….
जन्म स्थान: ……………………………………….……..
पता: ……………………………………………………..…….
………………………………………………………..…….
…………………………………………………………..
परीक्षा: …………………… को ………………..…….. में उत्तीर्ण की गई
सीओसी संख्या: ……………….……
अभ्यर्थी के हस्ताक्षर
पूर्व सक्षमता प्रमाण-पत्र (सीओसी/सीओएस) का विवरण
सीओसी संख्या: ..…………….…… ग्रेड: …………….…………
जारी करने की तिथि: …………/…..………./……..…………...
दिनांक: ……………….….. को ………………….….. पर सुपुर्द किया गया

विधिवत अधिकृत अधिकारी का नाम और हस्ताक्षर

सीमाएँ (यदि कोई हो)

अनुमोदन (विशेष श्रेणी जलयान)

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

टिप्पण:

1. अंतर्देशीय जलयान के किसी प्रथम श्रेणी इंजन चालक को, जो उस प्रमाण-पत्र को नहीं सौंपता है जिसे रद्द या निलंबित किया गया है, अंतर्देशीय जलयान अधिनियम, 2021 की धारा 87(2) के तहत दंडित किया जा सकता है।
2. इस प्रमाण-पत्र के धारक को छोड़कर कोई भी व्यक्ति से,जिसे यह प्रमाण-पत्र प्राप्त होता है, जारीकर्ता प्राधिकारी को तुरंत सूचित करना अपेक्षित है।"

[एफ. सं. आईडब्ल्यूटी--11011/91/2021- आईडब्ल्यूटी(4)]

डॉ. कमला कांत नाथ सलाहकार (सांख्यिकी)

टिप्पण: दिनांक 7 जून, 2022 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 422 (अ),दिनांक 7 जून, 2022 को भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i), तारीख 7 जून, 2022 में प्रकाशित किए गए मुख्य नियमों को एतदद्वारा अधिक्रान्त किया जाता है।

MINISTRY OF PORTS, SHIPPING AND WATERWAYS

NOTIFICATION

New Delhi , the 25 th November, 2025

G.S.R. 870(E).— In exercise of powers conferred by sub-section (1) of section 34, section 35, sub-section (1) of section 36, sub-section (3) of section 37, sub-sections (1) and (4) of section 38, section 39, sub-section (2) of section 41 read with clauses (z) to (zg) of sub-section (2) of section 106 of The Inland Vessels Act, 2021 (24 of 2021), the Central Government proposes to frame fresh Inland Vessels (Manning) Rules 2025 in supersession of the Inland Vessels (Manning) Rules, 2022, notified by the Government of India in the Ministry of Ports, Shipping and Waterways vide number G.S.R. 422(E) dated the 7th June, 2022 except as respects things done or omitted to be done before such supersession, and hereby publish as required by sub-section (1) of section 106 of The Inland Vessels Act, 2021 (24 of 2021) for information of all persons likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft rules shall be taken into consideration after the expiry of thirty days from the date on which the copies of this notification, as published in the Official Gazette, are made available to the public;

Objections or suggestions, if any, to these draft rules may be sent to the Director (IWT-I), Ministry of Ports, Shipping & Waterways, Transport Bhawan, 1-Parliament Street, New Delhi-110001, or by email at diriwt1-psw@gov.in and psw-usiwt2@gov.in within the period specified above;

DRAFT RULES

1. **Short Title and Commencement.-**

(1) These Rules shall be called the Inland Vessels (Manning) Rules 2025.
(2) They shall come into force on the date of their final publication in the Official Gazette.

2. **Definitions.-**

(1) In these rules, unless the context otherwise requires-

a. "Act" means Inland Vessels Act 2021(24 of 2021);

(b) "approved training institute" means training institutes approved under rule 21;
(c) "basic safety courses" means the following five courses whose syllabus and duration shall be such as may be specified by the Inland Waterways Authority of India:
(i) Elementary First Aid;
(ii) Proficiency in survival techniques;
(iii) Personal safety and social responsibility;
(iv) Fire Prevention and Fire Fighting; and
(v) Security Training for Seafarers with Designated Security Duties;

(d) "conversion course to general purpose rating" means such course whose syllabus and duration shall be such as may be specified by the Inland Waterways Authority of India;
(e) "experience" includes the experience acquired by crew by serving on inland vessels and vessels registered under the Merchant Shipping Act, 1958 (44 of 1958), including River-Sea Vessels;
(f) "gross tonnage(GT) of a vessel" means for a vessel of 24 meters length and above vessel, gross tonnage, calculated as per the International Convention on Tonnage Measurement of Ships, 1969, and for a vessel with less than 24 meters length, gross tonnage, calculated as per the Merchant Shipping (Tonnage Measurement of Ships) Rules, 1987.
(g) "Indian Inland Vessels Crew (INDIVC) Number" means the unique number assigned to every inland vessel crew member by an approved training institute;
(h) "new training program" means basic safety course, conversion course, refresher and revalidation course, preparation course under this rule.
(i) "portal" means Central Database 'Jalyan' & 'Navic' portal developed by the Inland Waterways Authority of India under section 22 and section 106 of the Act;
(j) "preparatory course" means the course for various grades on the deck and engine department, whose syllabus and duration shall be such as may be specified by the Inland Waterways Authority of India;
(k) "refresher and revalidation course" means the course for various grades on the deck department and engine department which a CoC holder has to undergo every 5 years for endorsement of validity of CoC for another 5 years. The syllabus and duration of the courses shall be such as may be specified by the Inland Waterways Authority of India;
(l) "Schedule" means the schedules annexed to these rules containing the standards for approval of training institutes and Master's responsibilities /Authority" ;
(m) "total power of engines KW" means the total power of all propulsion engines of the inland vessel;
(n) "zone" means any such inland water area, as the State Government may, by notification, declare, depending on the following maximum significant wave height criteria, as Zone 1, Zone 2 and Zone 3, for the purpose of these rules-

a. Zone 1 means an area where the maximum significant wave height does not exceed 2.0 metres;
b. Zone 2 means an area where the maximum significant wave height does not exceed 1.2 metres;
c. Zone 3 means an area where the maximum significant wave height does not exceed 0.6 metres.

(2) Words and expressions used and not defined in these rules but defined in the Act, shall have the meanings respectively assigned to them in the Act.

3. **Inland vessels. -**

For the purpose of these rules, inland vessels shall be classified as per the following categories-
(A) The inland vessels, which fall in Category A, are decked vessels of any of the following types-
(a) vessels, other than house boats, which are more than 24 metres in length and house boats of more than 30 metres in length;
(b) vessels which carry more than 50 passengers on board;
(c) all vessels equipped for tow, having a bollard pull capacity exceeding10 tonnes;
(d) vessels designed and built to carry petroleum goods, chemicals or liquefied gases bulk as cargo;
(e) vessels carrying dangerous goods; and
(f) vessels of 300 gross tonnage and above.
(B) Category B - Vessels not covered under Category 'A' or Category 'C'.

(C) Category C - Vessels of less than 10 m in length.

4. Minimum manning. -

(1) Every inland vessel shall have minimum manning on-board as specified under sub-rule (3).

(2) The minimum manning applicable to each inland vessel, shall be recorded by the Surveyor in the Certificate of Survey, in accordance with the type and size of the vessel, its operating area, engine capacity and such other factors as may be decided by the Central Government, from time to time.

(3) Every mechanically-propelled inland vessel shall have on board minimum following crew when in operation:

Category A	DECK MANNING		
	GT < 300	300 ≤ GT < 1000	GT ≥ 1000
	a) One master with Inland Master Class 2 Certificate	a. One master with Inland Master Class 2 certificate	(a) One master with Inland Master Class 1 certificate (b) One Chief Officer with Inland Master Class 2 certificate OR One master with Inland master class 3 certificate having 2 year experience as master class 3 on vessel > 300 GT
	ENGINE MANNING		
	kW < 425 Propulsion power	Propulsion power: 425 ≤ kW < 750	kW ≥ 750 Propulsion power
	a) One engineer with Inland Engine Driver Class 2 certificate	a. One engineer with Inland Engine Driver Class 1 certificate	a. One chief engineer with Inland Engineer certificate or one chief engineer with Inland Engine Driver Class 1 certificate with 2 years of experience as Engine Driver Class 1 on vessel with ≥ 750 kW propulsion power. b. One second engineer with Inland Engine Driver Class 1 Certificate or Inland Engine Driver Class 2 certificate with 2 years of experience.
	RATINGS		
	GT < 300 or kW< 425	GT≥ 300 or kW ≥ 425	
	a. Three General purpose ratings for attending duties of deck hands, engine	a. Four General purpose ratings for attending duties of deck hands, engine hands and cooking	

	hands and cooking		
Category B	DECK MANNING		
	GT < 300	300 ≤ GT < 1000	GT ≥ 1000
	a) One master with Inland Master Class 3 / Serang certificate	a) One master with Inland Master Class 2 certificate	(a) One master with Inland Master Class 1 certificate (b) One Chief Officer with Inland Master Class 2 certificate
	ENGINE MANNING		
	kW < 425 Propulsion power	Propulsion power: 425 ≤ kW < 750	kW ≥ 750 Propulsion power
	a) One engineer with Inland Engine Driver Class 2 certificate	a) One engineer with Inland Engine Driver Class 1 certificate or One engineer with Inland Engine Driver class 2 certificate having 2-year experience as Engine Driver class 2 on vessel < 425 KW.	a. One chief engineer with Inland Engineer certificate or One chief engineer with Inland Engine Driver Class 1 Certificate with 2-year experience as Engine Driver Class 1 on vessel with ≥ 750 kW. b. One second engineer with Inland Engine Driver Class 1 Certificate OR Inland Engine Driver Class 2 certificate with 2 years of exp.
	RATINGS		
	GT < 300	GT≥ 300	
	b. Two General purpose ratings for attending duties of deck hands, engine hands and cooking	Three General purpose ratings for attending duties of deck hands, engine hands and cooking	
Category C: Minimum manning is to be as acceptable to the Designated Authority			

Note 1: In the case of Serang, Engine Driver Class 2 and GP rating, the requirements specified above may be complied with within 3 years of coming into force of the Rules.

Note 2: Number of General-Purpose ratings may be reduced for vessels of less than 500 GT on short duration voyages of less than 1 hour, as acceptable to the Designated Authority.

Note 3: In addition to the manning prescribed for the deck department and engine department in respect of vessels exceeding 1000 GT, every vessel of more than 3000 GT shall carry on board a Master (Foreign Going) or Master (Near Coastal Voyage) and a Mate (Foreign Going) or Mate (Near Coastal Voyage), or in the alternative(to Mate), an Inland Vessel Master First Class holding a Restricted GMDSS License and Radar

Observer's Course Certificate issued by the Directorate General of Shipping and an Inland Vessel Manoeuvring Simulator Course Certificate as specified by the Inland Waterways Authority of India. Such vessels shall also carry a Marine Engineer Officer (NCV) Class II or a Marine Engineer Officer (Foreign Going) Class III, or an Inland Vessel Engineer or Inland Vessel Engine Driver I Class with not less than two years' experience on a mechanically propelled vessel of more than 3000 GT.

Note 4: The Designated Authority may, in cases of crew shortage, permit manning levels lower than those prescribed under sub-rule (3), for a single voyage or for a period not exceeding one month, whichever is earlier.

Note 5: Existing holders of Master Class 3 or Serang certificates with a minimum of two years' experience may be allowed to serve on Category 'A' vessels of less than 300 GT.".

Note 6: Existing holders of CoC prior to notification of this rule shall undergo basic safety course and given maximum 3 years from the date of coming into force of these rules to undergo new training program.

(4) Every non- mechanically propelled inland vessel, as referred to in sub-clause (ii) of clause (y) of section 3 of the Act (such as dumb vessels, barges, floating units, floating surfaces, rigs or jetties) of less than 15 metres in length shall be manned by a minimum one General Purpose Rating and every such vessel of 15 metres length or more shall be manned by a minimum two General Purpose Ratings.

(5) Any mechanically propelled inland vessel of propulsion power not exceeding 425 kW shall be deemed to have complied with the requirements of a Master and an Engineer, provided that such vessel has, as her Master and Engineer, a person possessing both certificates of appropriate class.

(6) The Designated Authority may specify minimum manning of higher order than prescribed in sub-rule (3), if other factors like nature of trade of the vessel, length of voyage necessitate such additional manning, in the interest of Safety of life, property, environment and the inland waterways.

5. Appointment of Examiners & Examination Centres.-

(1) The Chief Examiner appointed under Section 36 of the Act by the respective State Government shall be responsible for conducting the Examination and issue of Certificate of Competency to the persons desirous of obtaining such Certificates of Competency.

(2) The Chief Examiner shall be assisted by suitable number of Examiners appointed by the respective State Government.

(3) The list of Examination Centres, norms and standards applicable to such Examination Centres and the conduct of examinations or assessments shall be specified by the respective State Government by circulars issued from time to time.

(4) Each Examination center shall announce its Examination schedule for various Grades based on the assessment of local needs, ensuring adequate frequency of the examination so that the candidates do not have to wait for more than 6 months to appear in the examination from the date of application.

(5) No person shall be appointed as Chief Examiner unless he fulfils one of the following requirements of qualification and experience:

(a) Possesses a Master (Foreign Going) or Marine Engineer Officer (MEO) Class I Certificate of Competency issued by Directorate General of Shipping with minimum 8 years' experience as Certificated Officer on ships or under State Maritime Boards or Director General of Shipping or Ports or State Inland Waterways Authority or Inland Water Transport Directorate or equivalent; or;

(b) Possesses a First Mate (Foreign Going) or Marine Engineer Officer (MEO) Class II Certificate of Competency issued by Directorate General of Shipping with minimum 10 years' experience as Certificated Officer on ships or under State Maritime Boards or Directorate General of Shipping or Ports or State Inland Waterways Authority or Inland Water Transport Directorate or equivalent; or;

(c)Possesses a Master (Near Coastal Voyage Vessel) or Marine Engineer Officer (MEO) Class III (Near Coastal Voyage Vessel-Chief Engineer Officer) Certificate with a minimum of 10 years of sailing experience of which at least 5 years shall be in the capacity of Master or Chief Engineer on ships or under State Maritime Boards or Directorate General of Shipping or Ports or State Inland Waterways Authority or Inland Water Transport Directorate; or

(d) Possesses academic qualification of Secondary School Certificate (SSC) and above along with an Inland Vessel Master Class I or Inland Engineer Certificate with a minimum of 15 years of service onboard in inland vessels or under State Maritime Boards or State Inland Waterways Authority Inland Water Transport Directorate or Directorate General of Shipping or Ports or equivalent as Certificated Officer of which at least 5 years shall be in the capacity of a Master or Chief Engineer on ships or State Maritime Boards or Director General of Shipping or Ports; or.

(e)Possesses qualifications as in (a), (b), (c) or (d) above and experience as a faculty or examiner in any Institute or Department approved by Inland Waterways Authority of India or Designated Authority or Directorate General of Shipping or Mercantile Marine Department. The tenure of experience as faculty or examiner may be counted towards shipboard or inland vessel experience required under clauses (a), (b), (c) and (d) of this sub-rule; and

(f)In case of any chief examiner appointed after the notification of these rules, he must undergo Trainer and Assessor Course for Inland Vessels as may specified by the Inland Waterways Authority of India at any approved training institute.

Provided that the Designated Authority may exempt Master Foreign Going Master or Marine Engineer Officer Class I chief examiners from the requirement of this course.

(6) A Chief Examiner shall discharge the following duties;

(a) Supervise overall conduct of examinations for various grades of Certificate of Competency in the State;

(b) Supervise overall issuance of various grades of certificates of competency; and

(c) Fix the frequency and schedule of examination for various grades of certificate of competency in State.

(7) There shall be separate Examiners for the deck department and the engine department, respectively. The minimum qualifying experience for such appointment shall be computed with reference to the candidate's service and expertise in the relevant department, deck or engine, as the case may be. No person shall be appointed as an examiner for respective department unless he fulfils the relevant qualification and experience from the following:

(a) Possesses a Master (Foreign Going) or Marine Engineer Officer (MEO) Class I Certificate of Competency issued by Directorate General of Shipping with minimum 5 years' experience as Certificated Officer on ships or under State Maritime Boards or Directorate General of Shipping or Ports or State Inland Waterways Authority or Inland Water Transport Directorate or equivalent; or

(b) Possesses a First Mate (Foreign Going) or Marine Engineer Officer (MEO) Class II Certificate of Competency issued by Director General of Shipping with minimum 7 years' experience as Certificated Officer on ships or under State Maritime Boards or Directorate General of Shipping or Ports or State Inland Waterways Authority or Inland Water Transport Directorate or equivalent; or

(c) Possesses a Master (Near Coastal Voyage Vessel) or Marine Engineer Officer (MEO) Class III (Near Coastal Voyage Vessel - Chief Engineer Officer) Certificate with a minimum of 7 years of sailing experience of which at least 3 years shall be in the capacity of Master or Chief Engineer on ships or under State Maritime

Boards or Directorate General of Shipping or Ports or State Inland Waterways Authority or Inland Water Transport Directorate or equivalent; or

(d) Possesses academic qualification Secondary School Certificate (SSC) and above along with an Inland Vessel Master Class I or Inland Engineer Certificate with a minimum of 12 years of service onboard inland vessels or under State Maritime Boards or State Inland Waterways Authority or Directorate General of Shipping or Ports or Inland Water Transport Directorate or equivalent or as Certificated Officer of which at least 3 years shall be in the capacity of a Master or Chief Engineer;

and

(e) Possesses qualifications as in (a), (b), (c) or (d) above and experience as a faculty or examiner in any Institute or Department approved by Inland Waterways Authority of India or Designated Authority or Directorate General of Shipping or Mercantile Marine Department. The tenure of experience as faculty or examiner may be counted towards shipboard or inland vessel experience required under clauses (a), (b), (c) and (d) of this sub-rule; and

(f)In case of any examiner appointed after the notification of these rules, he must undergo Trainer and Assessor Course for Inland Vessels as may specified by the Inland Waterways Authority of India at any approved training institute.

Provided that the Designated Authority may exempt Master (Foreign Going) Master or Marine Engineer Officer Class I examiners from the requirement of this course .

(8) An Examiner shall discharge the following duties; namely: -

(a) Supervise and conduct examinations for various grades of Certificate of Competency at an examination centre.

(b) Issuance of various grades of certificates of competency.

(c) evaluate the persons who have undergone exams and training programmes and to report the list of successful candidates to the chief examiner.

(d) Assist Chief Examiner in discharge of his duties and responsibilities.

(9) For the purposes of this Rule and Section 37 (1) of the Act, the respective State Governments may evaluate the report provided by examiners to the Chief Examiner.

6. Issuance of Certificate of Competency. -

(1) No candidate shall be granted a Certificate of Competency in Form no. 4 and Form No. 5, of these rules unless he secures 50% minimum marks.

(2) The examination for each grade of Certificate of Competency shall comprise of a written and oral examination; which shall be based on the syllabus for each grade of examination, as may be issued by the Inland Waterways Authority of India in the form of circulars from time to time.

(3) The sub-rule (2) above does not apply to issuance of Certificate of Service issued under these Rules.

(4) A Certificate of Competency may be issued for the following grades, namely:

(a) Deck Department-

(i) Master Class 1

(ii) Master Class 2

(iii) Master Class 3 / Serang

(b) Engine Department-

(i) Inland Engineer

(ii) Engine Driver Class 1

(iii) Engine Driver Class 2

(5) All holders of Certificate of Competency in sub-rule (2) shall be required to mandatorily undergo refresher and revalidation course after five years from the date of issuance of certificate of competency and thereafter at interval of every five years, at any approved training institute and Certificate of Competency shall be endorsed by Chief Examiner.

7. Master and Deck Department.-

(1) Examination for the grant of Certificate of Competency as inland vessel Master Class 1, Master Class 2 and Master Class 3 / Serang shall be held by the examiner at the places of examination in the respective State on such dates as may be published by the examination centre.

(2) Every application for examination shall be filled and submitted in Form no. 3 appended to these rules together with copies of documents stated therein and such application along with the supporting documents required for ascertaining eligibility of the candidate detailed in Rule 9, Rule 10, Rule 11, Rule 13, Rule 14 and Rule 15 herein; shall be submitted online through 'Jalyan' and 'Navic' portal or shall be submitted at the examination centre as per the scheduled date as may be declared by the respective examination centres or the designated authority, as the case may be.

(3) The general responsibilities and authority of Master of a vessel are indicated in Schedule II to these rules.

8. Minimum requirements for certification of Master Class 1 of an inland vessel.-

(1) Every candidate for certification as Master Class 1 shall:

(a) hold a valid Certificate of Competency as Master Class 2 of an inland vessel issued under these rules;

(b)have a minimum onboard service of 3 years after 2nd Class Master, out of which minimum one year as in-charge of the inland vessel of not less than 300 GT;

(c) Produce a medical certificate as to his physical fitness in Form No. 1 from a duly registered MBBS doctor ;

(d) have successfully attended preparatory course for Master Class 1 at any approved training institute;

(e) have completed the five basic safety courses for inland vessels at any approved training institute or an institute approved by the Directorate General of Shipping.

(2) Notwithstanding anything contained in this Rule, the State Government may stipulate requirements, other than those specified in sub-rule (1) above, as mandatory for any particular area of inland water, which requires compliance with the said requirements to ensure safe navigation or operation of inland vessel.

9. Minimum requirements for certification of Master Class 2 of an inland vessel:

(1) Every candidate for certification as Master Class 2 shall:

(a)be in possession of valid Master Class 3/Serang Certificate of Competency issued under these rules;

(b)have a minimum onboard service of 36 Months out of which 12 Months must be as Master Class 3/Serang;

(c) Shall produce a medical certificate as to his physical fitness in Form No. 1 from a duly registered MBBS doctor;

(d) have successfully attended preparatory course for Master Class 2 at any approved training institute;

(e) have completed the five basic safety courses for inland vessels at any approved training institute or an institute approved by the Directorate General of Shipping.

(2) Notwithstanding anything contained in this Rule, the State Government may stipulate requirements, other than those specified in sub-rule (1) above, as mandatory for any particular area of inland water, which requires compliance with the said requirements to ensure safe navigation or operation of inland vessel.

10. Minimum requirements for certification of Master Class 3/Serang of an inland vessel.-

(1) Every candidate for certification as Master Class 3/Serang shall be:

(a) A Citizen of India;

(b) Not less than twenty one years of age;

(c) Medically fit and produce a medical certificate as to his physical fitness in Form No. 1 from a duly registered MBBS doctor;

(d) have successfully attended approved preparatory course for Master Class 3/Serang at any approved training institute and possess a minimum service of 36 Months on inland vessels; and

(e) have completed the five basic safety courses for inland vessels at any approved training institute or an institute approved by the Directorate General of Shipping.

(2) Notwithstanding anything contained in this Rule, the State Government may stipulate requirements, other than those specified in sub-rule (1) above, as mandatory for any particular area of inland water, which requires compliance with the said requirements to ensure safe navigation or operation of inland vessel.

(3) Existing Master Class 3/Serangs serving on Inland Vessels shall be allowed to serve as Master Class 3/Serangs and given maximum 3 years from the date of coming into force of these rules to undergo new training program.

11. Minimum requirements for certification of Master Class 3/ Serang of an inland vessel for existing Lascars/Deck Hands prior to enactment of these Rules .-

(1) For the purposes of certification of existing Lascars/Deck Hands, who have started services in inland vessels before the enactment of these rules, the following conditions shall apply;

a. be 8th class pass from a board recognized by Central or State Government or has completed conversion course for general purpose rating at any approved training institute;
b. be able to read and write Hindi or English or Regional Language of the State;
c. meeting any one of the following minimum service criteria;

i. Four years of service on Inland vessels or sea going vessels of not less than 300 GT; or
ii. Five years on vessels of not less than 24 m in length; or
iii. Six years on vessel not less than 10 m in length; or
iv. such candidates who have served on the vessels of Defence, Police, Provincial Armed Constabulary or other Paramilitary forces for 5 years or more;

d. have performed at least one year of which service as helmsman or an Assistant Master (Deck) or Seacunny or boat master or equivalent;
e. have successfully attended preparatory course for Master Class 3/ Serang at any approved training institute;
f. have completed the five basic safety courses for inland vessels at any approved training institute or an institute approved by the Directorate General of Shipping.

(2) Notwithstanding anything contained in this Rule, the State Government may stipulate requirements, other than those specified in sub-rule (1) above, as mandatory for any particular area of inland water, which requires compliance with the said requirements to ensure safe navigation or operation of inland vessel.

12. Minimum requirements for certification of Master Class 3/Serang of an inland vessel for New Entrants Through Rating Route.–

(1) For the purposes of certification of new entrants through rating route, including existing Lascars/Deck Hands/General Purpose Rating shall meet the following requirements;

i. have passed minimum 8th class for existing Deck/Engine Hands of inland vessel and passed minimum 10^{th} class for new entrants;;
ii. Successfully completed General Purpose Rating Course at any approved training institute; and
iii. Have minimum three years of services on Inland vessels or sea going vessels out of which one year of the service shall be as helmsman or as Seacunny or equivalent.

(2) In addition to the requirements in sub-rule (1) every new entrant through rating route, including existing Lascars or Deck Hands or General Purpose Rating shall be:
(a) A Citizen of India;
(b) Not less than twenty-one years of age;
(c) Medically fit and produce a medical certificate as to his physical fitness in Form No. 1 appended to these rules from a duly registered MBBS doctor ;
(d) have successfully attended preparatory course for Master Class 3 or Serang at any approved training institute along with minimum service of 36 months on inland vessels; and
(e) have completed the five basic safety courses for inland vessels at any approved training institute or an institute approved by the Directorate General of Shipping.

(3) Notwithstanding anything contained in this Rule, the State Government may stipulate requirements, other than those specified in sub-rule (1) above, as mandatory for any particular area of inland water, which requires compliance with the said requirements to ensure safe navigation or operation of inland vessel.

13. Minimum requirements for certification of Master Class 3 or Serang or Engine Driver Class 2 of an inland vessel for new entrants through cadet training route.—
(1) For the purposes of certification of every new entrant through cadet training route, they shall meet the following requirements-
(a) be a citizen of India;
(b) not be less than eighteen years of age;
(c) be medically fit and produce a medical certificate as to his physical fitness in Form No. 1 appended to these rules from a duly registered MBBS doctor ;
(d) possess any of the following educational qualifications:
(i) passed class 12th class examination from board recognised by the Central or the State Government; or
(ii) passed class 10th examination from board recognised by the Central or the State Government and who have successfully completed a vocational or skill training course from an Industrial Training Institute or Skill Development University or National Open School or Skill Development Council or equivalent institute or organisation; or
(iii) passed class 10th examination from board recognised by the Central or the State Government and who have successfully completed Diploma in Mechanical or Marine or Electrical Engineering approved by All India Council for Technical Education or Skill Development University or an equivalent institute or organisation; or
(iv) passed Class 10th examination from Board recognised by the Central or State Government and who have successfully completed credits equivalent to qualification in (iii) above under National Education Policy; and
(e) have successfully completed inland vessel cadets training course from any approved training institute, whose syllabus and duration shall be such as may be specified by the Inland Waterways Authority of India;
(f) have successfully completed five basic safety courses for inland vessels at any approved training institute or at an institute approved by the Directorate General of Shipping;
(g) have served on Inland vessels or sea going vessels either for:
(i) two years, in case the candidate possesses the educational qualification under sub-clause (i) of clause (d) of this sub-rule; or
(ii) 18 months, in case the candidate possesses the educational qualification under sub-clause (ii) of clause (d) of this sub-rule; or
(iii) 12 months, in case the candidate possesses the educational qualification under sub-clause (iii) of clause (d) of this sub-rule.
Provided the total service has been performed as Inland Vessel cadet apprentice or General Purpose Rating with onboard vessel Structured Training Program verified in his service record book and have performed at least six months' watch keeping service under qualified Master Class 1 or Class 2 or Class 3 Serang or Engine

Driver Class 1 or Engine Driver Class 2 on board the vessel plying in the port or Inland waterways of the State.

(h) The Inland Vessel Cadet shall be awarded the General Purpose Rating Certificate on successful completion of the Inland Vessel Cadet Induction Training.

(2) Notwithstanding anything contained in this Rule, the State Government may stipulate requirements, other than those specified in sub-rule (1) above, as mandatory for any particular area of inland water, which requires compliance with the said requirements to ensure safe navigation or operation of inland vessel.

14. Engineering Department.-

(1) Examination for the grant of certificate of competency as Inland Engineer Certificate, Engine Driver Class 1 Certificate and Engine Driver Class 2 shall be held by the examiner at the places of examination in the respective State Governments, on such dates as may be published by the examination centre.

(2) Every application for examination shall be filled and submitted in Form No. 3 appended to these rules together with copies of documents stated therein and such application along with the supporting documents required for ascertaining eligibility of the candidate, shall be submitted at the examination centre before the scheduled date as may be declared by the respective examination centres or the designated authority..

15. Minimum requirements for certification of Engineer of an Inland vessel.-

(1) Every candidate for certification as Inland Vessel Engineer shall:

a. be in possession of Engine Driver Class 1 Certificate of Competency issued under the Act along with academic qualification of Secondary School Certificate.
b. have the minimum onboard service of 3 years on vessels having propulsion power more than 425 kW, after 1st Class Engine Driver competency out of which one year as 1st Class Engine Driver (Engine room in-charge) of inland vessels.
c. produce a medical certificate as to his physical fitness in Form No. 1 from a duly registered MBBS doctor.
d. have successfully attended Preparatory Course for Inland Vessel Engineer at any approved training institute.
e. have completed the five basic safety courses for inland vessels at any approved training institute or an institute approved by the Directorate General of Shipping.

16. Minimum requirements for certification of Engine Driver Class 1 of an inland vessel.-

1. Every candidate for certification as Engine Driver Class 1 shall:

(a) be in possession of valid 2nd Class Engine Driver, Certificate of Competency issued under the Act.

(b)have minimum service of 36 Months out of which 12 Months should be as 2nd Class Engine Driver.

(c) Produce a medical certificate as to his physical fitness in Form No. 1 from a duly registered MBBS doctor.

(d) have successfully attended preparatory course for Engine Driver Class1 at any approved training institute.

(e) have completed the five basic safety courses for inland vessels at any approved training institute or an institute approved by the Directorate General of Shipping.

17. Minimum requirements for certification of Engine Driver Class 2 of an inland vessel.-

1. Every candidate for certification as Engine Driver Class 1 shall:

(a) be a citizen of India

(b) age not be less than 21 years;
(c) shall produce a medical certificate as to his physical fitness in Form No. 1 appended to these rules from a duly registered MBBS doctor ;
(d) shall have completed preparatory course for Engine Driver Class 2 from an approved training institute;
(e) shall have minimum service of 36 months on Inland Vessels as General-Purpose Rating; and
(f) have completed the five basic safety courses for inland vessels at any approved training institute or an institute approved by the Directorate General of Shipping.

(2) Existing Engine Driver Class 2 serving on inland vessels may be allowed to serve as Engine Driver Class 2 and given maximum of 3 years from the date of coming into force of these rules to undergo new training program.

18. Certificate of Service.-

(1) A candidate who has served as a master, or as an engineer of a vessel of the Indian Coast Guard, Navy or Army for a period of 5 years may be granted a certificate of service as a Master Class 1, Master Class 2, Master Class 3/serang, Inland Engineer, Engine driver Class 1 or Engine driver Class 2 depending on the size of vessel served and on successful completion of relevant preparatory course including the five basic safety courses for inland vessels at any approved training institute or an institute approved by the Directorate General of Shipping.
(2) Candidates who are found to have complied with sub-rule (1) above, shall be exempted from written examination, but will be required to qualify the oral examination:
Provided that relevant certificates of competence issued by the Indian Coast Guard, Navy or Army submitted by the applicant, shall be verified by the Designated Authority.
(3)A certificate of service shall be issued in Form No. 2 appended to these rules and shall have the same effect as a certificate of competency granted under these rules.

19. Minimum requirements to join as General Purpose Rating of an inland vessel.-

(1) Every candidate for certification as General Purpose Rating shall:
(a) be a citizen of India
(b) be not less than 18 years of age
(c) have passed minimum 8th class for existing Deck/Engine Hands of inland vessel and passed minimum 10^{th} for new entrants;
(d) produce a medical certificate as to his physical fitness in Form No. 1 from a duly registered MBBS doctor.
(e) if new entrant, shall have completed induction training for General Purpose Ratings at any approved training institute
(f) if Existing Deck/Engine Hand; have completed minimum 2 years as assistant Deck/Engine Hand on an Inland Vessel and have obtained a Certificate of Proficiency from a Master Class 1/2/3 for Deck Hand or from Engineer/Engine Driver Class 1/2 for Engine Hand under whom he has completed last six months of training as assistant deck/engine hand.
Provided that, the existing Deck/Engine Hands will be required to undergo a conversion course at any approved training institute.
(g) Have completed the five basic safety courses for inland vessels at any approved training institute or an institute approved by the Directorate General of Shipping

(2) Existing ratings/lascars serving on Inland Vessels shall be allowed to serve as ratings/lascars and given maximum 3 years from the date of coming into force of these rules to undergo new training program.

(3) The existing Manjhees or fisherman of twenty-three years of age and above, who traditionally work on mechanically propelled vessels, have passed minimum 8th Class and possessing five years of experience duly certified by a recognised fisherman society or equivalent and having successfully undergone approved conversion course for GP rating shall be awarded General Purpose Rating certificate.

20. Reporting to Competent Authority. -

The State Government shall report and update the Competent Authority with the information on data and details of certificates issued, granted, cancelled or suspended or such other remarks, made by the respective authority at regular intervals of not more than thirty days.

21. Approval of Training Institutes. -

For the purposes of these rules, training institutes shall be approved by:

(i) the concerned State Government, for institutes within their jurisdiction, in accordance with the Schedule-I; and

(ii) Inland Waterways Authority of India for the following institutes, in accordance with the Schedule-I:

(a) institutes established by the Central Government or Inland Waterways Authority of India; or

(b) institutes within the jurisdiction of any State Government, if a request is made by the State Government.

(c) Standards for approval of Inland Vessel Navigation Training Institutes / Centers by State Governments and Inland Waterways Authority of India are indicated in Schedule-I in these rules.

22. Issuance of Inland Vessels Crew's Identification Record Book. - (1) No person shall be employed on a mechanically propelled inland vessel registered under this Act, without obtaining the Inland Vessels Crew's Identification Record Book which shall include the Indian Inland Vessels Crew(INDIVC) Number.

(2) Every new entrant or an existing General Purpose Rating before the completion of the course under induction training or conversion course for General Purpose Ratings or Inland Vessel Cadet Course or other approved courses, as the case may be, shall make an online application through the 'Jalyan' & 'Navic' portal to the Designated Authority of the State in which the approved training institute is situated for issuance of Inland Vessels Crew's Identification Record Book.

(3) Every existing certificate of competency holder, other than those covered under sub-rule (2), shall, within 2 years from the date of coming into force of these rules, make an online application through the portal to the Designated Authority of the State in which the Certificate of Competency had been issued, for issuance of the Inland Vessels Crew's Identification Record Book.

(4) The Designated Authority shall maintain a register of the Inland Vessels Crew's Identification and Record Books issued through the portal.

(5) The Designated Authority shall update the details of the training courses completed from approved training institutes, and the details of services done by each member of the crew onboard the vessels registered under this Act in Inland Vessels Crew's Identification and Record Book.

23. Recognition of certificates of competency by other countries. –

For the purposes of bilateral recognition of Certificates of Competency by foreign countries, the Designated Authority shall endorse the Certificate of Competency:

Provided the certificate holder shall be required to meet such other additional requirements relating to examination, procedures and guidelines as may be specified by Inland Waterways Authority of India.

SCHEDULE-I

Standards for Approval of Inland Vessel Navigation Training Institutes / Centers by State Governments and Inland Waterways Authority of India

Part 1 - **Approval of Inland Vessel Navigation Training Institutes**

1.1 **Compliance with this Schedule**

a) From the date of notification of the Inland Vessels (Manning) Rules, 2025, Inland Vessel Navigation Training Institutes ("IVNTI") shall be approved by the State Government or Inland Waterway Authority of India (IWAI) ("Approving Authority"), in accordance with Rule 21 of Inland Vessels (Manning) Rules, 2025.
b) Existing IVNTIs established by State Governments or Central Government or IWAI shall have to comply with the requirements of this Schedule by 31st December, 2026, subject to any exemptions which may be granted by the Approving Authority.
c) The five basic safety courses for inland vessels may be completed by a new entrant at any IVNTI approved in accordance with the standards and procedure under this Schedule or an institute approved by the Directorate General of Shipping for such courses subjected to the standards specified in this schedule are met by these institutes. The Directorate General of Shipping shall administer all requirements and procedures relating to approval, inspection, or cancellation of approval of these institutes for conducting such courses.

1.2 **Eligible Entities**
a) Every IVNTI shall be established and administered by any of the following persons:
i. An individual; or
ii. HUF; or
iii. Society registered under Societies Registration Act, 1860, as amended from time to time or any other relevant Acts; or
iv. Trust registered under Indian Trust Act, 1882 or any public charitable trust registered under applicable State Trust legislation, as amended from time to time or any other relevant Acts through the Chairman/President/Secretary of the Trust; or
v. Company established under Companies Act, 1956 or Companies Act, 2013; or
vi. Central or State Government or UT Administration or by a Society or a Trust registered by them; or
vii. Limited Liability Partnership within the meaning of Limited Liability Partnership Act, 2008; or
viii. Partnership firm within the meaning of Indian Partnership Act, 1932; or
ix. An association of persons or a body of individuals, whether incorporated or not; or
x. any other artificial juridical person, not falling within any of the above.

1.3 Application & Approval process of the Institute
a) The approval of the application shall be in two phases:
i. In-principle approval; and
ii. Final approval
b) Every application for grant of in-principle approval and final approval shall be submitted through the portal along with the processing fees.
c) The processing fee for seeking in-principle approval, final approval and approval for shifting of premise shall be specified by the Approving Authority.
d) The application for grant of in-principle approval shall contain the following particulars:

i. Details of land or premises where the institute is proposed to be established along with proof of ownership or lease or the proposed agreement to sell from the owner of the land/premises or proposed agreement to lease along with a no-objection certificate from the owner.

ii. Details of the proposed infrastructure in accordance with Part 2 of this Schedule.

iii. Proposed name of the IVNTI which shall be also be approved by the Approving Authority.

Provided the usage of words including "Government", "India", "National", “State” shall be prohibited in accordance with Emblems and Name (Prevention of Improper use) Act, 1950.

iv. Every IVNTI shall be required to have a unique name.

v. Proposed source of funding of IVNTI for initial capital expenditure and recurring expenditure

vi. Business Plan and Project Feasibility Report which shall include:

A. the proposed batch strength for every course which shall not be less than 20 students for each course;

B. the frequency with which each course shall be conducted annually;

C. the proposed fee structure for every course;

D. the proposed number of class rooms; and

E. the proposed number of faculty.

vii. The annual capacity for each course shall be based on the approved batch strength for every course and the frequency with which every course shall be conducted annually. The total annual capacity for all courses to be conducted shall be a sum of the annual capacity of all courses.

viii. The details of the proposed statutory courses and value-added courses to be conducted in the institute shall be submitted.

e) The Screening Committee as constituted by the Approving Authority shall evaluate the application and supporting documents. Based on the recommendations of the Screening Committee and the material on record, the Approving Authority shall grant in-principle approval or reject the same, within a month from the date of application. In cases of deficiency in application, it shall be communicated to the applicant and he/she can re-apply after rectification. If in-principal approval is granted, a system generated unique provisional IVNTI No. is issued to the Institute.

f) The validity of the in-principle approval shall be 5 years from the date of its receipt for commencement of long-term residential courses and 2 years from the date of its receipt for commencement of classroom courses.

1.4 **Procedure for final approval of the Institute**

a) The applicant shall communicate the readiness of the institute anytime within the period of validity of in-principle approval, to the Approving Authority, after which the team of Field Visit Committee (“FVC”) shall physically verify the readiness of the institute.

b) Applicants shall submit their application for final approval along with self-attested copies as per online application formats.

c) The Screening Committee shall evaluate application along with self-attested copies submitted by the applicants.

d) FVC shall be constituted by Approving Authority. The FVC shall verify physically the infrastructural facilities of the institution.

e) FVC shall verify readiness with respect to infrastructure, administration, amenities, laboratory equipment, relevant documents and other essential and desirable requirements of the IVNTIs.

f) FVC shall also verify the progress related to appointment of Principal/ Director and faculty in accordance with conditions specified in this Schedule.

g) The FVC may ask for the original documents for verification.

h) They shall verify actual availability of equipment as per the curriculum and syllabus and computers, software, internet, printers, book titles, book volumes, subscription of national and international journals and entry in the digital stock registers of the IVNTI.

i) At the time of physical inspection by FVC, the institution shall arrange for video recording at the expense of the institution, with the date and time of the entire proceedings of the FVC. The institution shall upload the same on the website of the training institute and share the link in the web portal.

j) After completion of the verification, the FVC shall submit its recommendations to the Approving Authority.

k) Applicants may be called for making presentation to the Approving Authority.

1.5 **Grant of Final Approval**

a) Approving Authority after considering the recommendations of the Committees, and material on record shall take decision either decide to grant approval or otherwise communicate deficiencies or may reject the same within 60 days of receipt of application for final approval. In case of communication of deficiencies, the applicant may re-apply after rectification.

b) The decision of the Approving Authority shall be uploaded on the Portal in the form of Letter of Approval (LoA) or Letter of Deficiency (LoD)/ Letter of Rejection (LoR). In case of rejection, specific reasons for rejection shall be communicated.

c) The applicant must obtain the final approval within the validity period of in-principle approval.

d) The permanent IVNTI No. will be issued once the IVNTI is approved for conducting statutory or other courses

1.6 **Approval of courses conducted by IVNTI**

a) The courses offered by the institute shall be in accordance with the Inland Vessels (Manning) Rules, 2025 and the syllabus and duration of the courses shall be such as may be specified IWAI.

b) Approval of "Basic Safety Training" course [i.e. Personal Survival Techniques (PST), Personal Safety & Social Responsibility (PSSR), Elementary First Aid (EFA), Fire Prevention & Fire Fighting (FPFF)] and Security Training for Seafarers with Designated Security Duties (STSDSD) shall be considered as a composite package at any point of time.

c) No Inland Vessel Navigation Training Institute shall be approved for less than five courses. The Basic Safety Training course which consists of 5 courses as mentioned in 1.6(b) shall be considered equivalent to 5 courses.

d) All the approvals of IVNTI shall be deemed to be withdrawn if the Inland Vessel Navigation Training Institute conducts less than five courses for a period of six months.

1.7 **Transfer of premises**

Institutes shall apply afresh with applicable processing fees for approvals in case of transfer or shifting of premises of the institute from one location or place to another location or place. Institute shall actually shift only after such approval is granted. Such applications shall be disposed within 60 days of receipt.

1.8 **Authorized signatories**

Institutes shall nominate authorized signatories to communicate with the Approving Authority.

1.9 **Quality standards**

The institutes shall comply with the following quality standards:

a) IVNTI's shall obtain relevant ISO certification or equivalent within 12 months of receiving final approval.

b) Compliance with basic safety courses as per the syllabus to be specified by IWAI.

c) The IVNTIs shall ensure that the principal, faculty, and instructors & visiting faculty comply with the qualifications specified in Part 3 of this Schedule.

Part 2 – Infrastructure

2.1 Establishment of new IVNTI

a) Eligibile entity under Section 1.2 of this Schedule must have lawful possession of required leased or owned land or building before submission of application for final approval.

b) Building shall be constructed in accordance with the applicable local or municipal laws and shall have valid occupancy certificate issued by the statutory authority concerned.

2.2 **Land Requirements**

a) Land requirements for:

i. Institutes proposing to conduct GP Rating courses (which are residential in nature) and Basic Safety Courses shall have an independent campus of minimum 1 Acre, (owned or leased). The period of lease shall be a minimum of 10 years.

ii. Competency or Value-Added courses may be conducted in an owned or leased premises for minimum 3-year lease and extendable further.

b) Land or premises shall be used primarily for conducting courses approved by the Approving Authority.

c) Construction and Safety of the building shall comply with the following requirements:

i. Buildings shall have regular construction with proper roofing.

ii. Buildings shall be equipped with fire detection and fire alarm system.

iii. Buildings shall have electrical safety and ensure a bug-free environment.

iv. There shall be supply of clean and potable water with purification facility.

v. There shall be an alternate source of electric supply for essential services.

2.3 **Facilities**

a) Administrative and Faculty Areas shall comply with the following requirements:

i. There shall be separate room of at least 8 m^2 for Principal/head of Institute.

ii. There shall be at least 4 m^2 carpet area per full-time faculty member.

iii. Faculty shall be provided with appropriate furniture including chair, table, and cupboard.

b) Classrooms shall comply with the following requirements:

i. size requirements shall be at least 30 m^2 for upto 20 students, at least 36 m^2 for upto 24 students, at least 50 m^2 for upto 40 students. The minimum size of a class room shall be 30 m^2.

ii. clear visibility shall be ensured.

iii. provisions shall be made for raised platform, table, and chair for faculty.

iv. every student shall be provided with desk and chair.

v. notice board shall be provided in common area and at classroom entrance.

vi. provision for good ventilation, lighting and temperature control shall be made.

c) The following teaching aids shall be provided:

i. overhead projector or computer with projector in each classroom.

ii. technology based aids such as educational apps, interactive whiteboards

iii. black or white or smart boards with writing materials.

iv. audio-visual equipment, maps and models of vessels.

v. learning management systems

d) There shall be a dedicated library and shall comply with the following requirements:

i. area of 20-50 m^2 based on course type.

ii. adequate seating, lighting and ventilation.

iii. stocked with textbooks, publications and reference materials.
iv. at least three internet-enabled workstations shall be provided.
e) Following general facilities shall be provided:
i. photocopying facilities
ii. refreshment area with hygienic food service.
iii. Separate toilet facilities for male and female candidates, with a minimum of one toilet per 40 candidates. Additionally, separate urinals for male candidates, with the number of urinals being at least 75% of the number of toilets.
iv. internet facilities.
v. recreation room and playground for residential courses.
vi. parade ground and auditorium for residential courses.

2.4. The following academic facilities shall be provided:
a) Computer Training
i. There shall be dedicated space for computer training.
ii. At least 5 workstations shall be provided per 40 candidates.
b) Boat Work and Swimming Facilities
i. Formal agreement with outside agencies, if on-campus facility is not possible.
ii. Swimming pool (50 ft x 30 ft, depth 3-12 ft) or tie-up arrangement with similar specifications.
c) Fire Fighting Mock-up
Own facility or tie-up arrangement for practical training.
d) Catering (for Residential Courses i.e. GP Rating Courses)
i. Hygienic kitchen with proper ventilation and pest control.
ii. Nutritious and fresh food served.
iii. Dining hall to seat all candidates (or half with staggered meal times).
iv. Wash facilities for utensils and hand washing.
e) Hostel and Residential Facilities
i. Rooms
A. Maximum 4 candidates per room.
B. Minimum 4 m^2 floor area per candidate.
C. Two-tier bunks allowed for rating candidates.
ii. Ventilation and Utilities
A. Natural ventilation with adequate lighting and fans.
B. Cupboard space, cot, mattress, and personal utilities provided.
iii. Toilet Facilities
A. 1 wash basin, 1 shower, and 1 WC per 4 candidates.
B. 1 urinal per 20 candidates.
C. Western-style WCs with toilet seats.
D. 24-hour water supply with hot water in showers.
iv. Linen and Laundry
A. New linen shall be provided at commencement of courses.
B. Weekly linen change shall be done.
C. Laundry service, in-house or outsourced, as the case may be shall be provided.
D. Ironing facilities shall be provided.

Part 3 – Human resources

3.1 **General Requirements**
(a) A Principal/Head shall be appointed on permanent basis.

(b) Courses require qualified faculties in accordance with Part 3.2 of this Schedule.
(c) 50% of faculty in each category of courses must be full-time.
(d) Visiting faculty shall be engaged on a part-time basis.
(e) Permanent faculty shall be available during working hours.
(f) Contractual faculty employed for equal to or more than 3 months shall be considered permanent.
(g) Encourage industry experts to contribute as visiting faculty.
(h) A designated course in-charge shall be in place for every course.
(i) 50% of lectures or training by permanent faculty.
(j) Emphasize on the pedagogic abilities of faculty.
(k) Proper employment contracts for faculty shall be required.

3.2 **Qualification and Exemption**

(a) Emphasize pedagogic abilities.
(b) Principal/Vice-Principal shall have the following minimum qualifications:
Minimum COC as Master (FG) or Chief Engineer (MEO Class I) or holder of Certificate of Services (COS) having served as a master or engineer of the vessel of the Indian Coast Guard, Navy or Army.
(c) Faculty shall undertake Trainer and Assessor Course as mandated by IWAI from time to time
(d) For courses as per Inland Vessels (Manning) Rules, 2025 preference shall be given to faculty who have an M.Sc./ M.Tech / B.Tech / Domain Experts.
(e) Instructors must be qualified and experienced in subject matter.
(f) Minimum & detailed qualification requirements for faculty shall be:
i. Possesses a Master (Foreign Going) or Marine Engine - Officer (MEO) Class I Certificate of Competency issued by Director General of Shipping with minimum 5 years' experience as Certificated Officer on ships or State Maritime Boards or Directorate General of Shipping or Ports; or
ii. Possesses a First Mate (Foreign Going) or Marine Engine - Officer (MEO) Class II Certificate of Competency issued by Director General of Shipping with minimum 7 years' experience as Certificated Officer on ships or State Maritime Boards or Directorate General of Shipping or Ports; or
iii. Possesses a Master [Near Coastal Voyage Vessel (NCV)] or Marine Engine - Officer (MEO) Class III (Near Coastal Voyage Vessel - Chief Engineer Officer) Certificate with a minimum of 10 years of sailing experience of which at least 5 years shall be in the capacity of Master or Chief Engineer on ships or State Maritime Boards or Inland Water Transport or DG Shipping or ports; or

iv. Possesses academic qualification Secondary School Certificate (SSC) and above along with an Inland Vessel Master Class I or Inland Engineer Certificate with a minimum of 15 years of service onboard inland vessels as Certificated Officer of which at least 5 years shall be in the capacity of a Master or Chief Engineer on ships or State Maritime Boards or Inland Water Transport or DG Shipping or ports; or
v. The personnel from Indian Navy/Coast Guard have under gone long Navigation and Direction (Long ND) course with a minimum of 5 years of sailing experience and Education Officers with minimum of 5 years teaching experience.
(g) The faculty for GP Rating courses shall be minimum holder of COC as Master-NCV, or Chief Mate (FG) or MEO Class III (CEO) or MEO Class II or Inland Vessel Master Class 1 or Inland Vessel Engineer with two years' experience in rank.
(h) The faculty for the basic safety courses i.e. STCW Safety Training and STSDSD Course shall be minimum holder of CoC as Master-NCV or Chief Mate (FG) or MEO Class III (CEO) or MEO Class II.
(i) Inland Vessel Master Class I or Inland Engineer holding DG Shipping approved Basic Safety Courses certificate may be used as instructors for the courses.

3.3 **Teaching Hours**

(a) Principal/Vice Principal: Maximum 16 hours per week.

(b) Permanent faculty: Maximum 24 hours per week.
(c) Instructors: Maximum 24 hours per week.
(d) Teaching hours may be increased by 1.5 times for practical classes.

3.4 **Age and Medical Fitness**
(a) Maximum Age limits for:
i. Principal or permanent faculty is 70 years;
ii. visiting faculty is 72 years;
iii. instructor is 65 years.
(b) Staff must be medically fit and capable of clear communication.

3.5 **Faculty Load Matrix / Details**
(a) IVNTI shall keep staff details updated at all times on the website of the institute and the centralized web portal.
(b) Whenever there is change in Principal, faculty and instructor, the IVNTI must upload a fresh the complete faculty load matrix. If there is no change, the complete faculty load matrix is to be uploaded every six months.

Part 4 – **Administrative requirement for IVNTI**

4.1 Advertisements/Brochure/Prospectus and Websites
(a) Full disclosure shall be required in advertisements promoting the IVNTI.
(b) Advertisements or brochure or prospectus shall include statement about on-board training by institute.
(c) No misleading claims should be made by institute.

4.2 **Admission Standards**
(a) Any Indian citizen desirous of obtaining admission in an approved training institute shall meet the eligibility criteria specified under the Inland Vessels (Manning) Rules, 2025.
(b) Any foreign citizen desirous of obtaining admission in an approved training institute shall meet the required equivalent qualifications.

4.3 **Verification of Documents**
(a) Institute shall scrutinize original documents before admission.
(b) Institute shall issue original certificates upon course completion.

4.4 **Course Fees**
(a) Course fees shall be fixed by individual institutes.
(b) A uniform fee structure shall be specified by the approved training institute.
Provided that different fee structures which are lower than the uniform fee structure, may be specified for candidates belonging to SC, ST, EWS and women.
(c) The IVNTI shall give proper receipts for fee charge to the candidate. The IVNTIs shall not collect any fee in cash.

4.5 **Practical Training**
(a) Compulsory video recordings of all practical training shall be made by institute.

4.6 **Batch Details**

(a) Institute shall upload batch details on the website of the institute and the centralized web portal within stipulated time.

4.7 **Biometric Attendance**

(a) The minimum attendance required shall be 100% for courses whose duration is less than 6 days and 80% for all other courses.

(b) Biometric attendance for all staff and candidates shall be mandatory.

4.8 **Conduct of Course**

(a) Institute shall follow course guidelines and syllabus published by IWAI and update the content from time to time.

(b) Monthly timetable shall be published on website of IVNTI.

(c) Courses shall be conducted only during daytime hours.

(d) No partial course conduct allowed that is the course material should be covered in its entirety.

(e) Staggered batches may be allowed for certain courses.

(f) Batch numbering system shall start with 001 every year.

(g) Year shall be construed as calendar year.

4.9 **Evaluation and Monitoring**

(a) IVNTIs shall implement continuous evaluation system.

4.10 **Final Examination**

(a) Conduct final examinations in accordance with Inland Vessels (Manning) Rules, 2025 and Guidelines issued by IWAI.

(b) Re-examination for failed candidates.

4.11 **Certificate Issuance**

(a) Format of course completion certificate shall be such as may be specified by IWAI.

(b) Institute shall include IVNTI No. on all certificates.

(c) Use system-generated certificate numbers.

(d) Authorized signatories shall be required to sign the certificate.

4.12 **Uniforms and Identity Cards**

(a) Mandatory wearing of prescribed uniforms for faculty and candidates on campus.

(b) All staff, faculty and candidates must have laminated photo identity cards.

4.14 **Value Added Courses**

(a) Every IVNTI shall provide intimation for starting value added courses and shall ensure that the statutory courses shall not be compromised due to the conduct of any other value-added courses.

(b) A disclaimer shall be added for value added course stating that they are non-statutory.

4.15 **Feedback Mechanism**

(a) Implement compulsory feedback mechanism and obtain feedback from the candidates on completion of course.

4.16 **Ban on Ragging**

(a) IVNTI shall enforce strict measures to prevent ragging.

(b) IVNTI shall report all cases to Approving Authority.

4.17. **Placement of students for shipboard training**

Every IVNTI shall have a placement cell which shall endeavor to provide placements on inland vessels.

4.18 **Records**

IVNTI shall maintain the following records for 5 years which shall be readily made available for verification:

a) Final approval granted under this Schedule

b) Proof of ownership or valid lease deed

c) Tie-up or any other agreements for swimming pool and other such facilities, if any

d) Admission records

e) Documents related to practical training facility details, type approval etc., such as fire mock up, swimming pool, water body, type approvals, load test etc.

f) Last Comprehensive Inspection Programme Report, Surprise Inspection Report, Quality Audit Report

g) Advertisements and brochures published

h) Complete Faculty load matrix

i) Complete classroom utilization chart

j) Records of placement of candidates

k) Application and attested photocopy duly signed by the respective candidate of all supporting documents.

l) Records of fee charged to the candidate

m) Bio metric attendance report of Principal, permanent faculty, visiting faculty, instructors

n) Answer-scripts and other assessment records for at least twelve months thereafter. Further, the approved or authorizes agency may also ask questions to some of the candidates during the surprise/annual inspection to assess the general quality of training imparted.

o) Records of faculty / instructor training and faculty / instructor evaluation.

p) Record of written declaration by the visiting faculty stating that he/she shall not exceed 18 hours of delivering lectures in a week.

q) Record of annual medical fitness of Principal, faculty and instructors above 65 years of age

r) Record of all cases of ragging, however minor and the action taken thereon by the Institute

s) Feedback data from candidates and stakeholders in paper/ electronic form

Part 5 – Inspection and disciplinary action

a) Inspection

i. Field Visiting Committee may conduct inspections biennially and may also carry unscheduled inspections with the permission of Approving Authority.

ii. Inspections shall verify compliance with the administrative requirements specified in Part 4 of this Schedule.

iii. Inspection reports shall be communicated within 7 days to the institutes stating deficiencies and rectification timeframe.

b) Comprehensive Inspection Programme (CIP)

i. IVNTIs shall undergo CIP inspections at intervals of five years.

ii. The Approving Authority shall assign the institute with a Grading (based on the credit- points scored by the institute as per the assessment checklist), reflecting the overall grading of the institute for the courses, as shown in the Table below:

Table 1: GRADING SCALE

Sl. No.	% Score of Credit	Points	Grade Remarks
1	80% & above	A1	Outstanding
2.	70-79.9%	A2	Very Good
3.	60-69.9%	B1	Good
4.	50-59.9%	B2	Average

5. 40-49.9% C1 Below Average
6. Below 40% C2 Poor

iii. The Grading shall be valid for five years from the date of conduct of the CIP unless revoked by the Approving Authority concerned. However, the Approving Authority may re-assign the grading during the annual inspections or based on Additional inspections on the request of the Institute.

c) Methodology for Grading shall be such as may be specified by IWAI.
d) External Assistance for Inspection
i. Approving Authority may empanel external members to assist in inspections.
ii. External inspectors shall meet the following requirements:
A. Not more than 72 years old
B. Holder of COC as master (FG) or MEO Class-I
C. Completed ISO lead auditor course
e) Suspension and Withdrawal of Final Approval
i. The approving authority may suspend or cancel the final approval granted to a IVNTI if:
A. it has reason to believe that such institute has contravened any standard specified in this Schedule, as a result of any inspection carried out under this Schedule or otherwise; or
B. The Grading assigned to the IVNTI after conduct of the CIP is below average or poor.
ii. The approving authority shall, after giving the owner of IVNTI an opportunity of being heard, issue a notice of suspension to the IVNTI stating the errors to be rectified and conditions that have to be complied with by the IVNTI, along the time period within which such rectification may take place from the date of issuance of such notice.
Provided that in case of any major deficiency or major deviation from this Schedule by the IVNTI the approving authority may issue the notice of suspension immediately.
iii. After issuance of a notice of suspension, the IVNTI shall not admit any new students till the errors and conditions specified in the notice of suspension are complied with by the IVNTI within the period specified in such notice.
iv. In the event of non-compliance of the notice of suspension by the IVNTI within the period specified in such notice, the approving authority may issue the notice of cancellation of the final approval recording the non-compliance, after giving the owner of IVNTI an opportunity of being heard, which shall come into force with immediate effect.
v. In case of emergencies, the approving authority may issue directions to any institute based on inspections or other material on record to cure deficiencies.
vi. No IVNTI shall operate after its final approval has been withdrawn by the Approving Authority.

f) Display of approvals
All approvals issued by Approving Authority shall be displayed in the training institute and its website, if any.

g) Discontinuation of Courses/Closure of Institution
i. Every IVNTI before discontinuing a particular course or closure of the institute, shall give a three month's intimation to the Approving Authority prior to such discontinuation or closure.
Provided that individual basic safety courses from the composite package of five basic safety courses shall not be discontinued.
ii. Courses for existing batches shall continue to be held till their completion and no existing batch shall be adversely affected by way of such discontinuation of course or closure of the institute.

SCHEDULE-II

Master's Responsibilities and Authority
(Refer rule 7(3))

The Master has overall responsibility on board the vessel. Assistance from the Company will be given as advice only, leaving the final decision and responsibility with the Master.

He is responsible for proper ship safety and maintenance of the vessel including assigning tasks to all persons on board including:

- Watch keeping
- Maintenance planning and follow-up
- Emergency measures and drills
- Cargo operations
- All tasks relevant to safe ship operation.

The Master shall ensure that all emergency procedures are defined and maintained through planning, training and drills in view to minimize the consequences if accidents / incidents should occur, including anti-pollution and safety measures, in the best interest of crew, vessel and environment.

He has to ensure that all lifesaving and safety equipment's are kept in a proper order according to regulations at all times.

The Master is responsible to report to the Company all defects and other matters which could affect the safe operation of the ship or could present a risk of pollution, and which require the assistance of the Company to ensure that they are rectified and implemented on board of all vessels concerned.

The Master is responsible for the vessel in accordance with rules and regulations issued by :

- National authorities
- State Governments/ Maritime Boards
- Classification societies

and has full Authority to take the proper decision according to the circumstances.

The Master is responsible for the safe navigation at all times, crew relation, catering and welfare, good discipline, evaluation of crew performance training, familiarisation and working morale

The Master is responsible for all necessary reporting and liaisons on board. He represents the Company, the owners as well as the charterers, and is the reporting line to the Company, owners, charterers, and any third party if required.

The Master is responsible for accounting of the vessel, chest, provisions, control of purchasing, and if necessary to report any discrepancy.

One of his main functions is to keep himself professionally up to date, to provide his experience to the ship's staff in a way to increase experience and professional updating.

The Master is responsible for the feedback line of data from the ship to the company or any third party, as described in further subjects.

As a **summary** we could say that:

The Master is responsible for the seaworthiness, navigation, cargo and maintenance of his vessel, according to all mandatory regulations. He is responsible to identify all defects, to report them to the Company, to the Classification Society, to any third party if relevant, and, if this is not possible, to handle them directly on board. The Master will assist the shore based management with information. A good communication between both parties is, in this matter, vital.

The Master is responsible for all reporting obligations on board.

FORM No. 1

Medical Certificate for appearing in Certificate of Competency
[see rules 8 (1) (c), 9 (1) (c), 10(1) (c), 15(1) (c), 16 (1) (c), 17 (c) and 19 (1) (d)]
(To be filled in by a duly registered MBBS doctor)

1. Name of applicant:
2. Type of ID and Number
3. Identification Marks (1)

(2)

4. (a) Does the applicant to the best of your judgment suffer from any defect of vision? Yes/No

If so, has it been corrected by suitable spectacle? Yes/No

b. Can the applicant to the best of your judgment readily distinguish the pigmentary colours, red and green? Yes/No
c. In your opinion is he able to distinguish with his eyesight

at a distance of 25 meters in good day light? Yes/No

d. In your opinion does the applicant suffer from a degree of deafness which would prevent his hearing, the ordinary sound signals? Yes/No
e. In the opinion does the applicant suffer from night blindness?

Or deformity or lose of number which would interfere with
The efficient performance of his duties as a driver? Yes/No

If so, give your reasons in details:

I certify that I have personally examined the applicant ……I also certify that while examining the applicant I have directed special attention to the distant vision and hearing ability the condition of the arms, legs, heads, hand joints of both extremities of the candidate and to the best of my judgment he is medically fit/not fit to hold a driving licence.

The applicant is not medically fit to hold a licence for the following reasons:-

Signature
1. Name and designation of the Medical Officer/Practitioner
(Seal)

2. Registration Number of Medical Officer

Date: Signature or thumb impression of the candidate

Note: The Medical Officer shall affix his signature over the Photograph affixed in such a manner that part of his signature is upon the photograph and part on the certificate.

FORM No. 2
[See rule 18(3)]

Certificate of Service

No. :
Name :

Son/wife/daughter of :

Permanent Address :

Present Address :

Date of Birth :
Height :
Marks of identification (1) (2)

PHOTO

Signature or Left Thumb Impression
Based on assessment of your service record in Army / Navy/ Coast Guard, your medical fitness certificate and the
preparatory course for_____ together with the 5 basic safety course certificates, you have
been found duly qualified to fulfil the duties of a_____(Master/Serang/Engineer/First class Engine Driver/Second class Engine Driver) on an Inland mechanically propelled Vessel (limitations, if
any), I do hereby under the provisions of the rules issued under Inland Vessels Rules, 2025 grant you the certificate of competency as a_____(First class Master/Second class Master/Serang/Engineer/First class Engine
Driver/Second class Engine Driver/ Lascar) on an inland mechanically propelled vessel (limitations, if any).

Date.....
Place.....

Name and signature of Chief Examiner…

FORM NO. 3

Application Form for appearing in Certificate of Competency

APPLICATION FOR CERTIFICATE OF COMPETENCY TO ACT AS ENGINEER/ENGINE DRIVER/SERANG OF AN INLAND VESSEL

PART-A

Passport size photograph of the applicant
Personal particulars

1. Name in full :-
2. Surname :-
3. Nationality :-
4. Permanent Address :-
5. Date of birth :-
6. Place of birth :-

PART-B

Particulars of all previous certificate (if any)

1. Number :-
2. Competency of service :-
3. Grade :-
4. Where issued :-
5. Date of issue :-
6. Is the certificate at any time suspended or cancelled by court or authority (if yes, provide details)…….…….....

PART-C
Certificate now required

1. Grade :-
2. Competency :-

PART-D

HAVE YOU PREPARED FOR THIS EXAMINATION EARLIER Yes/No.
If yes, mention year & month

PART-E

Declaration to be made by applicant:

Note: Any person who makes, procures to be made or assists in making any false representation for the purpose of obtaining for himself, or any other person, a certificate either of competency or service, is for each offence liable to

be punished for cheating under section 420 of the Indian Penal Code and also for knowingly giving false information to the public servant under section 182 of the Indian Penal Code, 1860

DECLARATION

I do hereby declare that the particulars contained in Part A, B, C, D and E of this form are correct and true to the best of my knowledge and belief, and that the papers enumerated in Part-G and sent with this form are true and genuine documents, given and signed by the persons whose names appear on them, I further declare that the statement in Part G contains true and correct account of the whole of my services without exception

Date.....

Signature of the Applicant

Present Address.....

…….....

PART-F

CERTIFICATE OF THE EXAMINER

The declaration under Part-E above was signed in my presence and the fee of Rs..... received.

Date: Examiner

PART-G

LIST OF TESTIMONIALS AND STATEMENT OF SERVICE ON RIVERS OR SHORE OR SEA

1. If served on board vessel

(i) No. of testimonials or certificates(if any):-

(ii) Name of vessel where employed:-

(iii) Horse power of the engine on which worked:-

(iv) Port of registry and official no. of the vessel:-

2. Service particulars of the Applicant:

(i) Capacity:-

(ii) Date of appointment

(iii) Date of termination or leaving

(iv) State, if continuing

(v) Total period served

a) Years:

b) Months:

c) Days:

(vi) Total service

(vii) Total service on shore or river:
(viii) Period served for which certificates are now produced:-
(ix) Period served for which no certificates are produced:-

PART-H

CERTIFICATE OF THE EXAMINER

Note:- The examiner should fill up Part-H and I and forward this form to the Chief Examiner along with the testimonials and other certificates.

1. Date and place of examination
2. Insert passed or failed against each item below:

i. In written examination:

(ii) In the viva examination:
3. Rank for which passed:

PART-I

PERSONAL DESCRIPTION OF APPLICANT

1. Height:

Meters Centimeters

2. Complexion:
3. Personal marks or peculiarities, if any,
4. Colour of

(a)Hair:-

(b)Eyes:-

I hereby certify that the particulars contained in Part-H and Part-I are correct.

Date.....

Place.....

Form No. 4

GOVERNMENT OF ……………..
CERTIFICATE OF COMPETENCY (CoC)
as
FIRST CLASS MASTER/ SECOND CLASS MASTER/THIRD CLASS MASTER(SERANG)
OF AN
INLAND VESSEL UNDER INLAND VESSELS ACT, 2021
CoC No. …………………

ADDRESS OF ISSUING AUTHORITY

CONTACT NO OF ISSUING AUTHORITY: ……………….

To,
………………………………………………………………………Whereas on the evaluation of the report provided by the examiner appointed under Section 36 of the Inland Vessel Act 2021,you have been found duly qualified to as First Class Master/Second Class Master/ Third Class Master (Serang) on mechanically propelled inland vessel, I do hereby, in pursuance of section 37 of the said Act, grant you this certificate of competency as First Class Master/Second Class Master/ Third Class Master (Serang) of an Inland Vessel.

Issued this ……../…..…../……….....
Valid till ……../………/………….
This CoC is valid throughout India.. The compliance of the additional competence to be endorsed on page 9/10.

Sign & Stamp (Examining Authority)	Sign & Stamp (Chief Examiner)

Date of Birth: ……..../……..…./…………….
Place of Birth: …………………………………….……….……..
Address: ……………………………………………………….…….
………………………………………………………….…….
…………………………………………………………..
Examination Passed at: …………………… on ……..…..……..
CoC No: : ………………..……

Photo of Candidate

Signature of the Candidate

Details of pervious certificate of Competency (CoC)
CoC No: ..…………………… Grade: …………….….……….
Date of Issue: …………/…..………../……..…………...
Delivered at: ………….………..… on ………………………..…

Name & Signature of duly Authorised official
LIMITATIONS (IF ANY)

ENDORSEMENT (SPECIAL CATEGORY VESSEL)

Signature of the Candidate

ADDITIONAL COMPETENCE SPECIFIC TO NAVIGATION AREA

Note:
1. Any Second Class Master of Inland vessel who fails to handover the certificate which has been cancelled or suspended is liable to penalty under Section 40 & Section 79 of The Inland Vessels Act, 2021.
2. Any Person other than the holder of this certificate who comes in possession of this Certificate is required to inform it forthwith to the issuing authority.

Form No. 5

GOVERNMENT OF ……………..
CERTIFICATE OF COMPETENCY (CoC)
as
FIRST CLASS ENGINE DRIVER/ SECOND CLASS ENGINE DRIVER/ INLAND VESSEL ENGINEER
OF AN
INLAND VESSEL UNDER INLAND VESSELS ACT, 2021
CoC No. …………………

ADDRESS OF ISSUING AUTHORITY

CONTACT NO. OF ISSUING AUTHORITY:………………………

CoC No. ………….

To,
……………………………………………………………………Whereas on the evaluation of the report provided by the examiner appointed under Section 36 of the Inland Vessel Act 2021, you have been found duly qualified to serve as First Class Engine Driver/Second Class Engine Drive/ Inland Vessel Engineer on mechanically propelled inland vessel, I do hereby, in pursuance of Section 37 of the said Act, grant you this certificate of competency as First Class Engine Driver/Second Class Engine Drive/ Inland Vessel Engineer of an Inland Vessel.

Issued on ……..../…..…../……….......

This CoC is valid throughout India.

Sign & Stamp (Examining Authority)	Sign & Stamp (Chief Examiner)

Date of Birth: ……..../……..…./…………….
Place of Birth: ……………………………………….……….……..
Address: ……………………………………………………….…….
……………………………………………………….…….
……………………………………………………………..
Examination Passed at: …………………… on ……..….……..

CoC No: ………………..……

Photo of Candidate

Signature of the Candidate

Details of pervious certificate of Competency (CoC/CoS)
CoC No: ..……………..…… Grade: ……………….….……….
Date of Issue: …………/…..………../……..…………...
Delivered at: …………….………..… on ………………………..…

Name & Signature of duly Authorized official

LIMITATIONS (IF ANY)

ENDORSEMENT (SPECIAL CATEGORY VESSEL)

Signature of the Candidate

Note:

1. Any First Class Engine Driver of Inland vessel who fails to handover the certificate which has been cancelled or suspended is liable to penalty under Section 87(2) of The Inland Vessels Act, 2021.
2. Any Person other than the holder of this certificate who comes in possession of this Certificate is required to inform it forthwith to the issuing authority."

[F. No. IWT-11011/91/2021-IWT(4)]

Dr. KAMALA KANTA NATH, Adviser (Stats)

Note: The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), dated the 7th June, 2022, *vide* notification number G.S.R. 422 (E), dated the 7th June, 2022 are hereby superseded.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. GORAKHA NATH YADAVA
Digitally signed by GORAKHA NATH YADAVA
Date: 2025.11.29 11:20:10 +05'30'